योदश माला, खंड 18, अंक 17

मंगलवार, 14 अगस्त, 2001
23 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERENCE ONLY

NOT TO BE ISSUED

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 6.2.2002

सत्यमेव जयते

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 17, मंगलवार, 14 अगस्त, 2001/23 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340	4-39
अतारांकित प्रश्न संख्या 3395 से 3563	39-338
सभा पटल पर रखे गए पत्र	338-344
याचिका का प्रस्तुतीकरण	345
विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक	345-347
(दो) लोक पाल विधेयक	348
भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण	347
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश में गौंडा-गोरखपुर लूप लाइन का आमान परिवर्तन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामपाल सिंह	349
(दो) भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन को मध्य प्रदेश में कटनी, दमोह, सागर और बीना तथा गुजरात में राजकोट से होकर चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	349
(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गरीबों के लाभ के लिए केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	350
(चार) गुजरात के मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांकरपारा परमाणु विद्युत परियोजना की दस किलोमीटर की परिधि में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	350
(पांच) राजस्थान के जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	351

विषय कॉलम

(छह) मुम्बई में बांद्रा से नरीमन प्वाइंट तक "वेस्टर्न फ्रीवे सी लिंक" के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 351

(सात) "क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम" के अंतर्गत जिगनी और बोम्मासान्द्रा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच सम्पर्क सड़क को चौड़ा करने और इसके लिए धन उपलब्ध कराने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 352

(आठ) पश्चिम बंगाल में उत्तर दीनाजपुर और माल्दा जिलों के राजस्व विकासखंडों की बाढ़ से सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 352

(नौ) पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन. 353

(दस) मुर्गी पालन उद्योग में "पैरेन्ट लेवल ब्रीडिंग स्टॉक" के आयात की अनुमति देने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चाडा सुरेश रेड्डी . 353

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के "तराई क्षेत्र" को विशेष निर्यात जोन घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा . 353

(बारह) प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले. 354

(तेरह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तोआ और बीनापारा में कुंअर नदी पर पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० बलिराम 354

(चौदह) तमिलनाडु में तिरुवनमलाई जिले में मेलचेंगम स्थित सेंट्रल स्टेट फार्म का कार्य जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल 355

(पन्द्रह) तमिलनाडु के डिन्डीगुल जिले में डिन्डीगुल और मदातुकुलम के बीच रेल फाटकों पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० कुमारासामी 355-356

लोक सभा

मंगलवार, 14 अगस्त, 2001/23 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): कृपया सभा में कुछ नहीं बांटिए...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपनी भूतपूर्व सहयोगी बेगम ऐज़ाज रसूल के दुखद निधन के बारे में सूचना देनी है।

बेगम ऐजाज रसूल 1946 से 1950 तक संविधान सभा की सदस्य थीं और उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वह 1952 से 1956 तक राज्य सभा की भी सदस्य रहीं ।

एक सक्रिय संसदविद्, बेगम रसूल 1937 से 1952 तक और 1957 से 1968 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रहीं। उन्होने 1937 से 1940 में परिषद के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया और 1950 से 1952 तक परिषद के विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। बेगम रसूल 1969, 1974, 1980 और 1985 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य भी चुनी गयी थीं।

बेगम रसूल एक कुशल प्रशासक थीं और उन्होंने 1969 से 1971 तक उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्त्ता बेगम रसूल ने महिलाओं के हित के लिए कार्य किया । उन्होंने शिक्षा, समाज कल्याण और खेल संबधी अनेक संगठनों में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया । वह उत्तर प्रदेश महिला खाद्य परिषद और भारतीय रेड क्रास सोसायटी की उपाध्यक्ष भी रहीं।

वह भारतीय महिला हॉकी संघ के अध्यक्ष पद पर 20 वर्षो तक विराजमान रहीं और एशियाई महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष भी रहीं।

बेगम रसूल ने अनेक देशों की यात्रा की और वह 1953 में जापान गये प्रधानमंत्री सद्भावना शिष्टमंडल तथा 1955 में तुर्की गये भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सदस्य थीं ।

उनकी साहित्य में गहन रुचि थी तथा उन्होंने "थ्री वीक्स इन जापान" नामक पुस्तक लिखी और अनेक पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे।

बेगम ऐजाज रसूल का लम्बी बीमारी के पश्चात 93 वर्ष की आयु में 1 अगस्त, 2001 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में निधन हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 321, डा० जसवंत सिंह यादव।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री वी० वेत्रिसेलवन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. कैमरा ऑफ कर दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्रश्न काल के बाद कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए । यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप 'शून्य काल' में कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। कल आपने सभा में व्यवधान उत्पन्न किया था और आज भी आप वही कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। श्री आदि शंकर, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आपको सभा में ऐसे इश्तिहार नहीं दिखाने चाहिए। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए ।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मध्याह्न 11.05½ बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

स्वयंसिद्धा कार्यक्रम

***321. डा० जसवंत सिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयंसिद्धा कार्यक्रम शरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम में कितनी योजनाओं को समामेलित किया गया है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं तथा इससे महिलाओं की अधिकारिता की स्थिति कितनी मजबूत होगी; और

(घ) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के 238 विकास खंडों में कार्यान्वित की जा रही इंदिरा महिला योजना का पुनर्गठन किया गया है और 'स्वयंसिद्धा' के रूप में उसका विस्तार किया गया है ।

इस स्कीम का दीर्घकालिक उद्देश्य संघटन की सतत् प्रक्रिया और मौजूदा क्षेत्रीय कार्यक्रमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं के लिए संसाधनों की प्रत्यक्ष सुलभता व उन पर उनके नियंत्रण को सुनिश्चित करके, विशेषकर सामाजिक व आर्थिक रूप से महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण करना है ।

इस स्कीम के तात्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) स्वावलम्बी महिलाओं के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन;

(ii) महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, कानूनी अधिकारों, आर्थिक उत्थान तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों के बारे में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों में जागरूकता व विश्वास पैदा करना;

(iii) ग्रामीण महिलाओं में बचत करने की आदतें डालना तथा आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना तथा संस्थागत रूप प्रदान करना;

(iv) महिलाओं को थोड़े-थोड़े ऋण आसानी से सुलभ कराना;

(v) स्थानीय स्तर की आयोजना में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना; और

(vi) महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभागों की सेवाओं का संकेन्द्रण ।

महिला समृद्धि योजना, जिसका उद्देश्य लघु बचत द्वारा महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है, स्वयंसिद्धा में विलय कर दी गई हैं ।

53,100 स्व-सहायता समूहों के गठन की परिकल्पना की गयी है, जिससे 9,29,250 महिलाओं को लाभ मिल सकेगा ।

(घ) 'स्वयंसिद्धा' का दिनांक 27.2.2001 को अनुमोदन कर दिया गया था और इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जा चुका है ।

गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नए मापदण्ड

*322. **श्री चिंतामन वनगा :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान करने के लिए निर्धारित मापदण्डों में परिवर्तन करने विषयक कोई अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया है;

(घ) नए मापदण्डों को कब से क्रियान्वित किया जायेगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक संसद सदस्य का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई गरीबी की रेखा से नीचे की सूची में उन परिवारों को शमिल करने का सुझाव दिया गया था जिनके घरों में सीलिंग फैन और टी.वी. हैं। अभ्यावेदन पर विचार किया गया। मंत्रालय उससे सहमत नहीं हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की पहचान करने के लिए बी.पी.एल. जनगणना का कार्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में कराया जाता है। सर्वेक्षण की रूपरेखा, उसकी प्रणाली और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान के मानदंडों को राज्यों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है। इन मानदंडों को अन्तिम रूप देने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रयोजनार्थ गठित एक विशेषज्ञ समूह की सलाह भी ली जाती है। अगली बी.पी.एल. जनगणना वर्ष 2002 में होनी है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनायें

*323. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद-सदस्य इस वर्ष से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन करोड़ रु० मूल्य की सड़क परियोजनाओं का आबंटन करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य-योजना को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) संबंधी समिति की सिफारिशें ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी गई हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक संसद सदस्य (लोक सभा) एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत 2 करोड़ रु० के आबंटन के मौजूदा वितरण के अलावा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रु० तक की लागत से ग्रामीण सड़कों के निर्माण की सिफारिश कर सकता है।

इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

गृह मंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा

*324. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे और उन्होंने अपराध व आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण-संधि लागू करने तथा दूसरे अन्य समझौते करने के लिए विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात की क्या प्रतिकिया थीं;

(ग) दोनों देशों द्वारा अन्य कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई;

(घ) किन-किन समझौतों पर सहमति हुई; और

(ङ) इन समझौतों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) गृह मंत्री ने 1.7.2001 से 3.7.2001 तक संयुक्त अरब अमीरात का सरकारी दौरा किया।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ गृह मंत्री के विचार-विमर्श के दौरान, क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा की गयी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत-पाक संबन्धों के महत्व पर जोर दिया । उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आमंत्रित करने के लिए भारत द्वारा की गयी पहल का स्वागत किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे दोनों देशों के बीच संबन्धों में सुधार होगा।

दुबई के युवराज के साथ विचार-विमर्श के दौरान गृह मंत्री ने युवराज का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद अपराध जगत के लोग/अपराधी दुबई में शरण ले रहे हैं और वहां से अपहरण और धन ऐंठने के रैकेटों का संचालन कर रहे हैं तथा दुबई को धन के लेन-देन (मनी लांडरिंग) के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार के अनेक अपराधियों के खिलाफ 'रेड कार्नर नोटिस' जारी किए गए हैं और यह उम्मीद की जाती है कि इन अपराधियों को इन रेड-कार्नर नोटिसों के आधार पर निरुद्ध किया जाए और भारत को सूचित किया जाए ताकि उनके प्रत्यर्पण के संबंध में अनुरोध भेजे जा सकें। अपना प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने के लिए दुबई से अनुरोध किया गया था ताकि इस संबंध में यदि कोई कठिनाई है तो उस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जा सके और उपयुक्त प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जा सके।

[हिन्दी]

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

***325. श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली को एक सुन्दर शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1962 में कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मास्टर प्लान के अनुसार, दिल्ली में हरित पट्टी के रूप में विकसित किए जाने के लिए कितने क्षेत्रफल की पहचान की गई थी तथा उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया था;

(ग) क्या समय बीतने के साथ-साथ इस हरित पट्टी क्षेत्र पर निर्माण कार्य कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त निर्माण कार्य सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब दिल्ली में कुल कितने क्षेत्रफल भूमि "हरित पट्टी" के रूप में शेष बची है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) जी, हां। सितम्बर, 1962 में घोषित मास्टर प्लान में राजधानी शहर के योजनाबद्ध विकास की संकल्पना की गई थी जिसमें मौजूदा भौतिक विशेषताओं, विरासत महत्व, ऐतिहासिक या वास्तुकीय महत्व के स्थानों तथा हरित क्षेत्रों का भली-भांति ध्यान रखा गया था ताकि दिल्ली को एक सुन्दर शहर के रूप में विकसित किया जा सके।

दिल्ली मास्टर प्लान-62 के अनुसार, 1981 शहरकरणीय सीमाओं के चारों तरफ कृषि भूमि की एक झील की अंतर विस्तार की हरित पट्टी को गहन कृषि उपयोगों के लिए सुरक्षित रखा गया था, जिसमें केवल फार्म हाऊसों और कृषि उपयोगों के लिए अनुमति दी जानी थी ताकि समय पूर्व शहरी वृद्धि और छितरे हुए विकास को रोका जा सके। तथापि, हरित पट्टी की इस अवधारणा का, अगस्त, 1990 में अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में व्यापक उपांतरणों के जरिए अधिक्रमण कर दिया गया । इसके अनुसार संघ शासित दिल्ली प्रदेश की सीमा के चारों तरफ लगभग 2.0 कि.मी. के अंतर विस्तार की हरित पट्टी बनाना उचित समझा गया। जहां इतना अंतर विस्तार न हो, वहां इससे कम अंतर विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

मास्टर प्लान 2001 में बताया गया है कि हरित पट्टी के कुछ भाग का शहरी विस्तार के लिए उपयोग किया गया है। मास्टर प्लान 2001 तैयार करते समय 18000 से 24000 हैक्टेयर के एक क्षेत्र को शहरी विस्तार के रूप में विकसित किए जाने की संकल्पना थी ताकि बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में हरित पट्टी क्षेत्र की कोई ठीक-ठीक संगणना नहीं की गई है।

[अनुवाद]

लौह-अयस्क का निर्यात

***326. श्री जे०एस० बराड़ : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन, इस्पात-निर्माण के लिए जापान के माध्यम से भारत के लौह-अयस्क को खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत चीन से भारतीय लौह-अयस्क से निर्मित इस्पात का आयात कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो द्विपक्षीय व्यापार के रूप में चीन को सीधे लौह-अयस्क का निर्यात करने में क्या बाधायें हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, नहीं। चीन प्रतिवर्ष लगभग 700 लाख टन लौह अयस्क का आयात कर रहा है जिसमें से बहुत कम मात्रा भारतीय लौह अयस्क की है। उद्योग संबंधी सूचना के अनुसार, आयातित अयस्क की चीन के अयस्क के साथ ब्लैंडिंग की जाती है और इस्पात निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हालांकि, भारतीय फर्मों द्वारा चीन से कुछ हजार टन इस्पात का वार्षिक रूप से आयात किया जा रहा है। परन्तु यह पता लगाना मुश्किल है कि भारतीय लौह अयस्क से बना इस्पात भारत को निर्यात किया जाता है।

(ग) चीन को लौह अयस्क का निर्यात करने में मुख्य अड़चन यह है कि चीन की इस्पात मिलें जापान और दक्षिण कोरिया की तरह दीर्घकालीन करार पर हस्ताक्षर करने को तरजीह नहीं देती। इसके बजाय चीन स्रोत के लौह अयस्क की सप्लाई, स्थल पर खरीद के आधार पर की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन से आयातित इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है:-

देश का नाम	वर्ष	कुल इस्पात (परिसज्जित) (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
चीन	1998-99	11.3	12.88
चीन	1999-2000	7.9	13.50
चीन	2000-01	4.5	9.11

सीधे ग्राम-पंचायतों को धनराशि जारी करना

***327. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सीधे ग्राम-पंचायतों को धनराशि जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य इस योजना पर अमल करने के लिए सहमत नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सीधे ग्राम-पंचायतों को धनराशि के दुरुपयोग को रोकने में कहां तक सहायता मिलेगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) चूंकि, इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत सीधे ग्राम पंचायतों को निधियां मुहैया कराने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है इसलिए ग्राम पंचायतों को निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला पंचायत के जरिए जारी की जाती हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी की जाती हैं। यह योजना जिला/मध्य स्तरीय पंचायत स्तर पर चलाई जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जब ग्राम सभा सामाजिक लेखा-परीक्षा की अपनी शक्तियों का उपयोग करेगी तथा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, निधियों के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जाएगा ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

***328. श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार अयोग ने मानवाधिकारों के उल्लंघन व हिरासत में हुई मौतों के संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यैरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक, आयोग को प्रतिवेदित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों व हिरासत में हुई मौतों के संबंध में राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन व हिरासत में होने वाली मौतों के मामले रोकने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिरासत में हुई मौतों के संबंध में ही अलग से कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है। तथापि, आयोग ने वर्ष 1998-99 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, रिपोर्ट के अध्याय "नागरिक

स्वतंत्रता" के अंतर्गत मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिरासत में हुई मौतों के संबंध में मुद्दों का उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट की प्रतियां सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ सदन के पटल पर रख दी गई हैं। गत तीन वर्षों और जुलाई 2001 तक के मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिरासत में हुई मौतों के संबंध में, आयोग को सूचित किए गए, राज्य-वार ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए, दिशानिर्देश जारी करती रही है कि मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें तुरंत तथा दृढ़ता के साथ निपटाया जाए। मानवाधिकार, को एक विषय के रूप में, पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1998-99 मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या	1998-99 हिरासत में हुई मौतों के मामलों की संख्या	1999-2000 मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या	1999-2000 हिरासत में हुई मौतों के मामलों की संख्या	2000-01 मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या	2000-01 हिरासत में हुई मौतों के मामलों की संख्या	अप्रैल-जुलाई 2001 मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या	अप्रैल-जुलाई 2001 हिरासत में हुई मौतों के मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	405	121	530	84	925	78	282	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	03	38	04	30	02	11	01
3.	असम	120	37	145	33	174	22	43	12
4.	बिहार	3887	192	4247	162	4134	139	1098	53
5.	गोवा	24	01	38	04	60	05	11	03
6.	गुजरात	429	46	501	32	718	38	375	12
7.	हरियाणा	1261	22	1632	29	2553	24	727	10
8.	हिमाचल प्रदेश	154	02	119	01	118	03	38	00
9.	जम्मू और कश्मीर	269	00	209	00	292	01	99	00
10.	कर्नाटक	363	50	618	41	720	46	133	16
11.	केरल	370	29	277	20	423	27	78	12
12.	मध्य प्रदेश	1945	118	2118	71	2861	48	633	11
13.	महाराष्ट्र	1344	188	2022	156	172409	123	619	30
14.	मणिपुर	39	03	42	01	33	00	10	00
15.	मेघालय	15	07	20	02	05	01	05	03
16.	मिजोरम	26	00	01	00	09	01	02	00
17.	नागालैंड	08	01	19	00	08	00	01	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	उड़ीसा	464	68	595	46	907	57	224	19
19.	पंजाब	499	65	798	53	948	61	337	25
20.	राजस्थान	1781	50	1898	48	2565	41	792	12
21.	सिक्किम	04	00	06	00	16	00	02	00
22.	तमिलनाडु	907	65	1264	57	1529	28	375	16
23.	त्रिपुरा	16	00	53	00	41	02	13	01
24.	उत्तर प्रदेश	21806	242	28439	159	40313	131	13979	52
25.	पश्चिम बंगाल	604	46	742	62	783	47	269	19
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	05	02	13	03	14	02	04	00
27.	चंडीगढ़	45	00	58	00	73	03	23	00
28.	दादरा और नगर हवेली	04	00	07	00	06	00	03	00
29.	दमन और दीव	02	01	01	00	05	00	01	00
30.	दिल्ली	2427	17	3052	25	4048	37	1385	12
31.	लक्षद्वीप	00	00	03	00	04	00	09	00
32.	पांडिचेरी	20	01	36	00	42	00	107	00
33.	छत्तीसगढ़	00	00	00	00	280	30	467	06
34.	झारखंड	00	00	00	00	1174	34	665	19
35.	उत्तरांचल	00	00	00	00	2257	06	15	02
36.	विदेशी	00	00	00	00	39	00	00	00
	कुल	39427	1286	49541	1093	70516	1037	22915	379

पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन

***329. श्री पवन सिंह घाटोवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर के विभिन्न उग्रवादी संगठन, बंगलादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को इन देशों की सरकारों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान् । उपलब्ध सूचना के अनुसार, हमारे कुछ

पड़ोसी देशों में शिविर हैं जिनका पूर्वोत्तर में सक्रिय बहुत से विद्रोही ग्रुपों द्वारा सुरक्षित आश्रय और शरणगाहों और प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है । इस बारे में बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की सरकारों को सुग्राही बनाया गया है। इस मामले को इन देशों के साथ उठाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे अपने प्रदेश को भारत के हितों के विरुद्ध गतिधियां चलाने के लिए उपयोग नहीं करने देंगे। इन देशों के साथ निरन्तर आधार पर कार्रवाई योग्य आसूचना का आदान-प्रदान भी किया जा रहा है। इस विषय में उठाए गए अन्य कदमों में, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना और भारत-बांग्लादेश/भारत म्यांमार सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल/असम राइफल्स का सुदृढ़ करना शामिल है।

व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट

***330. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने इस्पात मंत्रालय के पुनर्गठन के संबंध में अपनी छठी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है:

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) ने इस्पात मंत्रालय के कार्यों, कार्यकलापों और गठन को युक्तिसंगत करने से संबंधित अपनी छठी रिपोर्ट (भाग-1) दिनांक 7.6.2001 को माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत कर दी है। व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. **इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकार क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी प्रबंधन की कम्पनियां**

   सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों में से आठ उपक्रमों और सरकारी प्रबंधन की एक कम्पनी की विनिवेश/निजीकरण/बन्द करने की संभावना की दृष्टि से निश्चित समय-सीमा में जांच की जानी चाहिए।

2. **इस्पात मंत्रालय**

   समूह ग और घ कर्मचारियों को कम करने की संभाव्यता की जांच करना तथा डेस्क अधिकारी प्रणाली शुरू करना।

3. **विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात (डी सी आई एण्ड एस) का कार्यालय/संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी)**

   विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के समग्र प्रचालन को दो माह में और संयुक्त संयंत्र समिति को तीन माह में परिसमाप्त करना।

(ग) से (ङ) व्यय सुधार आयेग की रिपोर्ट जुलाई, 2001 के प्रथम सप्ताह में इस्पात मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। व्यय सुधार समिति की छठी रिपोर्ट में विहित सिफारिशों पर उपयुक्त कारवाई करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है।

संविधान के 74वें संशोधन का क्रियान्वयन

***331. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नगरपालिकाओं के संबंध में संविधान के 74वें संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक आदर्श अधिनियम तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संविधान के 74वें संशोधन के क्रियान्वयन की व्याप्ति की जानकारी पाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नगरपालिका प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुरूप नए म्यूनिसिपल कानून बनाने के लिए नीतिगत विकल्पों और विधायी संकल्पों हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए यूएसयेड (यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) की फायर (फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन रिफार्मस् एण्ड एक्सपंशन) परियोजना के अंतर्गत एक अध्ययन शुरू किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के अनुरूप विधायन के लिए पहले से किए गए कार्य को ध्यान में रखकर अब तैयार दिशानिर्देश निम्नलिखित पर अधिक बल देते हैं:-

(i) नगरपालिकाओं का कार्याधिकार वित्त और कराधान, ताकि उनके कार्यों और वित्त स्रोतों से असमानता दूर की जा सके।

(ii) जिला और महानगरीय योजना समितियों की मार्फत योजना मामलों में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर विशेष बल के साथ विकास जन्य नियोजन पर विशेष ध्यान।

(iii) लेखाकरण में अर्जित आय की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली शुरू करके वित्तीय पंबंधन में सुधार।

(iv) शहरी प्रबंधन को व्यवसायिक बनाने की दृष्टि से कार्मिक प्रबंध सुधार ।

इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के पहल स्वरूप उपर्युक्त परियोजना के तहत चुने गये राज्यों में से एक राज्य में एक आदर्श म्यूनिसिपल कानून तैयार किया जा रहा है जो अन्य राज्य सरकारों हेतु रूपातंरण और अंगीकरण के लिए भी सुलभ होगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं । तथापि, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित अध्ययन किए हैं:-

1. राज्य म्यूनिसिपल वित्तीय संबंधों के प्रति दृष्टिकोण, विकल्प और परिदृश्य – इस अध्ययन ने राज्य वित्त आयोगों के लिए उपाय निर्धारित किए हैं, जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, उनकी भावी वित्तीय जरूरतों के आकलन तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिये संगत राजस्व हिस्सेदारी सिद्धान्त तय करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप म्यूनिसिपल कानून का संग्रह-इस अध्ययन के तहत, संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा उनके म्यूनिसिपल कानूनों में संशोधन करने के प्रयासों को समेकित किया गया है। संशोधित म्यूनिसिपल कानूनों में शामिल महत्वपूर्ण विशेषताओं के विश्लेषण के अलावा, संग्रह विभिन्न राज्यों में अधिनियम के कार्यान्वियन की वर्तमान स्थिति (दिसम्बर, 1996) भी दर्शाता है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय भी उपर्युक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के संपर्क में रहता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। राज्यों और संघ राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है।

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची-II की प्रविष्टि 5 के अनुसार, नगर निगम, सुधार न्यास इत्यादि सहित स्थानीय शासन राज्य का विषय है। इस दृष्टि से, नगर प्रशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी होती है। विभिन्न राज्यों में संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम को समीक्षा के उद्देश्य से शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वर्ष 1998 तथा 1999 में नई दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई तथा कोलकाता में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के चार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए थे। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों ने शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराया। राज्यों के शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन मंत्रियों का एक सम्मेलन भी नई दिल्ली में जनवरी, 2000 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संविधान (74वें संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वियन के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह किया गया था। इसके बाद महापौरों (मेयरों) का एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी दिल्ली में अप्रैल, 2000 में आयोजित किया गया था ।

शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सम्पत्ति कर को सरल तथा युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से सम्पत्ति कर सुधारों के लिए वर्ष 1998 में सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये उपाय बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक आदि अनेक राज्यों में अपनाये जा रहे हैं।

शहरी विकास मंत्रालय संविधान (74वें संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के भलीभांति कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कैम्पस खोलना

*332. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन समझौते के क्रियान्वयन के बाद से निकट भविष्य में विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में अपने कैम्पस खोलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को विदेशी संस्थाओं के लिए खोलने से पूर्व इस मामले में कुलपतियों से उनकी राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस विषय में कुलपतियों के क्या विचार हैं;

(ङ) क्या सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक-प्रतिस्पर्धार्थ खोलने तथा शिक्षा में मुक्त व्यापार से जुड़े खतरों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भारत इस प्रतिस्पर्धा के लिए कहां तक तैयार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (छ) विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में सेवा क्षेत्र में व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते के तहत अनेक प्रकार की सेवाएं आती हैं। इन सेवाओं को बारह क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र शैक्षिक सेवाएं हैं। तथापि अभी तक इस क्षेत्र के बारे में बातचीत नहीं हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा क्षेत्र में व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते का भारतीय शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, सरकार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित शिक्षा विशेषज्ञों के परामर्श से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

***333. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटर-सुविधाओं के संस्थापन तथा संवर्धन और व्यावसायिक-प्रबंधन पाठ्यक्रमों (एम.बी.ए.) को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से विशेषकर महाराष्ट्र से उक्त योजनाओं के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं के संस्थापन तथा संवर्धन के लिए और एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। निम्नलिखित (1) और (2) के संबंध में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है—(1) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर सुविधाओं के संस्थापन तथा संवर्धन के लिए प्राप्त प्रस्ताव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायतार्थ दी गई कुल धनराशि; तथा (2) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.बी.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई कुल धनराशि।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-1999 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों से कम्प्यूटर सुविधाओं का संस्थापन और संवर्धन करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	4	1,09,50,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	0	—
3.	बिहार	1	1	30,00,000
4.	गोवा	1	1	30,00,000
5.	गुजरात	2	2	60,00,000
6.	हरियाणा	3	3	33,60,000
7.	जम्मू और कश्मीर	1	1	30,00,000
8.	कर्नाटक	5	4	66,00,000
9.	मध्य प्रदेश	5	4	96,00,000
10.	महाराष्ट्र	6	5	96,65,500
11.	मणिपुर	1	1	30,00,000
12.	पंजाब	2	1	9,60,000
13.	राजस्थान	1	1	20,00,000
14.	तमिलनाडु	5	4	99,50,000
15.	उत्तर प्रदेश	11	5	1,25,00,000
16.	पश्चिम बंगाल	3	3	92,00,000
17.	दिल्ली	4	2	42,00,000

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-1999 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों से एम.बी.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य के नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	चूंकि इन सभी प्रस्तावों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई अनुदान राशि नहीं दी है।
2.	असम	1	
3.	बिहार	1	
4.	दिल्ली	1	
5.	कर्नाटक	1	
6.	केरल	2	
7.	मध्य प्रदेश	2	
8.	महाराष्ट्र	1	
9.	पंजाब	1	
10.	राजस्थान	2	
11.	तमिलनाडु	5	
12.	उत्तर प्रदेश	1	
13.	उत्तरांचल	1	
14.	पश्चिम बंगाल	4	

पंचायती-राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनियमितताएं

***334. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती-राज संस्थाओं को प्रदत्त धनराशि के उपयोग का विवेचन करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक, इन संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने की जानकारी सरकार को मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और अभियुक्तों को दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडु) : (क) से (ङ) भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए कहती रही है, जिससे कि जानकारी लेने और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के अभिलेखों को देखने संबंधी जनता के अधिकार को लागू करना सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकारों को चहुमुखी दृष्टिकोण अर्थात् चल रहे कार्यक्रमों के संबंध में जन-जागरूकता, पारदर्शिता कार्यों के निष्पादन में ग्रामीण लोगों की भागीदारी और ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा को अपनाने का भी सुझाव दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षण करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी हैं ।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनियमितताएं बरतने संबंधी कुछ शिकायतें भी केन्द्र स्तर पर प्राप्त हुई हैं। पंचायती राज राज्य का विषय होने के नाते राज्य पंचायती राज अधिनियम और राज्य में लागू अन्य संबंधित कानून/नियमों के अनुसार इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल संबंधित राज्य प्राधिकारियों को भेजा गया।

निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा कराने हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
2. ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन।
3. निधियों के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त जारी करने से पूर्व जिला प्राधिकारी की तरफ से निधियों का अन्यत्र इस्तेमाल न करने संबंधी प्रमाण पत्र पर जोर देना।
4. क्षेत्र अधिकारी योजना के अन्तर्गत मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का दौरा।
5. जिला और राज्य प्राधिकारियों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का मौके पर सत्यापन।

ग्यारवें वित्त आयोग की यह सिफारिश कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पंचायतों के सभी स्तरों के लिए लेखों का समुचित रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा का नियंत्रण और उनका पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए, को केन्द्र सरकार द्वारा

मान लिया गया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि वे ग्राम पंचायतें, जिनके यहां लेखों के रख-रखाव हेतु विशेष स्टाफ नहीं है, इसे ठेके पर करवा सकती हैं और इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष 4000 रुपए खर्च कर सकती है। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और ग्राम पंचायतों और मध्यस्तरीय पंचायतों के लेखों के रख-रखाव के लिए 9860.72 लाख रुपए की राशि अलग से रखी गई है। पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा से संबंधित सी. एंड ए.जी. की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति की तरह गठित राज्य विधान मंडल की समिति के समक्ष रखा जाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने संबंधी मुद्दे की सक्रिय रूप से पैरवी कर रहा है ताकि पंचायतों के काम काज में यथाशीघ्र ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सके।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी०आर०एस०पी०) का पुनर्गठन

***335. श्री ए० ब्रह्मैया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी०आर०एस०पी०) को और अधिक "मांग-चालित" बनाने के उद्देश्य से उसका पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) नवीन "मांग-चालित" केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पूर्ववर्ती कार्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है,

(च) क्या इस कार्यक्रम में बार-बार परिवर्तन करने से गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संबद्ध संगठनों के मन में अनश्चितता का भाव उत्पन्न होगा; और

(छ) यदि हां, तो वर्तमान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को लक्ष्योन्मुखी बनाने के उद्देश्य से उसकी समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जी, हां। विगत में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीबी मानदण्ड पर आधारित राज्यवार आबंटनों के सिद्धांत से हटकर "मांग-जनित" दृष्टिकोण में बदल गया है। राज्यों को चयन किये गए जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम समुदाय द्वारा लोगों को ध्यान में रखकर कार्यान्वित किया जाता है। इसमें जागरूकता सृजन पर और अधिक बल देकर तथा वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली से मांग को पूरा कर मांग-जनित दृष्टिकोण अपनाया गया है। ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से स्वीकार करने के लिए ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक तथा एक प्रवेश बिन्दु के रूप में शुरू किया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान चयनित 150 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आबंटन आधारित कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक समाप्त कर दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पहले चरण में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करते हैं जिसमें प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रारंभिक प्रचार-प्रसार, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां तथा जागरूकता सृजन शामिल हैं ताकि स्वच्छता के लिए मांग सृजित हो सके। इन गतिविधियों में अधिक समय लगता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनायडु, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति की सूचना दी है।

(च) और (छ) पिछले अनुभवों तथा जुलाई, 1998 में संपन्न राष्ट्रीय सेमिनार के निष्कर्षों और नौवीं योजना में बनाई गई रूप रेखा के आधार पर कार्यक्रम को वर्ष 1999 में पुनर्गठित किया गया था। चूंकि, इस कार्यक्रम को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है इसलिए इस समय इसे पुन: पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कार्यक्रम की मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए तथा क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करके नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। गतिविधियां सृजित मांग के अनुसार चलाई जाती हैं और इसलिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिलों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

देश में रह रहे पाकिस्तानी/अफगानी हिन्दू-परिवार

***336. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से पाकिस्तानी और अफगानी हिन्दू-परिवार दीर्घावधि-वीसा पर अनेक वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों देशों के ऐसे व्यक्तियों की क्रमश: कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या अपने देशों में द्वेष का वातावरण तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव होने के कारण उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) और (ख) 30.6.2001 स्थिति के अनुसार कुल 22365 पाक राष्ट्रिक और 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार कुल 19761 अफगान राष्ट्रिक, भारत में दीर्घकाल आधार पर ठहरे हुए थे। समुदाय-वार अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसे पाकिस्तानी और अफगान राष्ट्रिक भारतीय नागरिकता के लिए संबंधित राज्य सरकार को आवेदन कर रहे हैं जो उन पर कार्रवाई करती है और उन्हें अपनी संस्तुति सहित केन्द्र सरकार को अग्रेषित करती है।

(घ) राज्य सरकार से उसकी संस्तुतियों सहित, नागरिकता प्रदान करने संबंधी ऐसे आवेदन पत्र होने पर संगत नियमों एवं विनियमों के अधीन पात्र पाए गए लोगों को केन्द्र सरकार नागरिकता प्रदान करती है।

पेयजल तथा जल-मल व्ययन परियोजनाएं

*337. **श्री सी० श्रीनिवासन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही पेयजल और जल-मल व्ययन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य-वार और परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्या-क्या खामियां पाई गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) से (ङ) आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि संबंधित राज्य सरकारों तथा परियोजना प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा की जाती है ताकि राशियों का इष्टतम उपयोग/परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

1998-2000 के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए प्राप्त/खर्च विदेशी सहायता राशियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्कीम/परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	लागत (करोड़ रु० में)	कुल सहायता राशि (मिलियन में)
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	II चेन्नई जल आपूर्ति और सफाई	विश्व बैंक	778.79	86.52 यूएस डालर
2.	तमिलनाडु	चेन्नई में जल आपूर्ति व सीवरेज में कार्यात्मक सुधार	*जेबीआईसी जापान	598.70	17098 येन
3.	तमिलनाडु	दूसरी तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	विश्व बैंक	—	105 यूएस डालर
4.	तमिलनाडु	एकीकृत ग्रामीण सफाई व जल आपूर्ति परियोजना फैस-II	डीएएनआईडीए (डेनमार्क)	43.00	—
5.	महाराष्ट्र	बॉम्बे जल-मल व्ययन परियोजना	विश्व बैंक	1131.57	—
6.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति व सफाई	ओडीए/डीएफआईडी	74.30	—

1	2	3	4	5	6
7.	कर्नाटक	बंगलौर जल आपूर्ति व सीवरेज	जेबीआईसी जापान	1100.00	28,452 येन
8.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास परियोजना	एडीबी	—	85 यूएस डालर
9.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास परियोजना	एडीबी	—	20 यूएस डालर
10.	कर्नाटक	बंगलौर शहर की जल आपूर्ति व सीवरेज का सुधार	फ्रैंच	98.76	50.00 फ्रैंक
11.	कर्नाटक	बंगलौर जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई मास्टर प्लान तैयार करना	आस्ट्रेलियन एड	19.00	6.7 आस्ट्रे. डालर
12.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी विकास व तटीय पर्यावरणीय प्रबंध	एडीबी	—	175 यूएस डालर
13.	कर्नाटक	कर्नाटक एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति व सफाई परियोजना	नीदरलैंड्स	88.71	—
14.	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण पेयजल जल आपूर्ति व सफाई परियोजना	डीएएनआईडीए (डेनमार्क)	51.00	—
15.	कर्नाटक	कर्नाटक एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति व पर्यावरणीय सफाई परियोजना	विश्व बैंक	500.00	—
16.	केरल	केरल जल आपूर्ति तिरुअनन्तपुरम, कोजीकोड, पट्टूवम, मिनाड, चेस्थला तथा साथ लगे गांव	जेबीआईसी जापान	901.15	11,997 येन
17.	केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति व पर्यावरणीय सफाई परियोजना	आईडीए	—	—
18.	केरल	कुंदरा को बीएडब्ल्यूएसएस तथा साथ लगी पंचायतें	नीदरलैंड्स	16.06	—
19.	केरल	पावरट्टी क्षेत्रीय डब्ल्यूएसएस	नीदरलैंड्स	48.00	—
20.	केरल	सामाजिक आर्थिक इकाई फाउंडेशन	नीदरलैंड्स	17.56	—
21.	केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति व सफाई परियोजना	विश्व बैंक	416.301	—
22.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सीवरेज परियोजना	**ओपेक	54.80	10 यूएस डालर
23.	दिल्ली	रिठाला में सीवरेज शोधन संयंत्र	फ्रैंच	81.127	45 फ्रैंक
24.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम के लिए एकीकृत जल आपूर्ति व सीवरेज स्कीम	फ्रैंच	65.70	98 फ्रैंक
25.	आंध्र प्रदेश	विजय नगरम जिले (एपी-III) में एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति	नीदरलैंड्स	1.65	—
26.	मणिपुर	कांगचूप जल आपूर्ति का उन्नयन व आवर्द्धन	फ्रैंच	40.50	31.65 फ्रैंक

1	2	3	4	5	6
27.	राजस्थान	जयपुर की जल वितरण प्रणाली में मूल्यांकन हानि तथा क्षरण का अध्ययन	फ्रैंच	–	3.686 फ्रैंक
28.	राजस्थान	जयपुर की जल और सफाई का व्यवहार्यता अध्ययन	फ्रैंच	–	11.8 फ्रैंक
29.	राजस्थान	जयपुर के लिए कृत्रिम भूमिगत जल प्रतिपूर्ति व अवशिष्ट जल पुन: उपयोग	फ्रैंच	–	4.97 फ्रैंक
30.	राजस्थान	राजस्थान शहरी अवस्थापना विकास परियोजना	एडीबी	–	250 यूएस डालर
31.	राजस्थान	राजस्थान में तीन जिलों में एकीकृत जल आपूर्ति व सफाई तथा सामुदायिक भागीदारी चरण-I	केएफडब्ल्यू (जर्मनी)	399.27	–
32.	प० बंगाल	कोलकता में जल आपूर्ति वितरण प्रबंधन का सुधार	फ्रैंच	32.05	36 फ्रैंक
33.	प० बंगाल	कोलकता में कचरा प्रबंध व्यवहार्यता अध्ययन	फ्रैंच	–	1.4 फ्रैंक
34.	प० बंगाल	कोलकता जल आपूर्ति, सीवरेज व जल निकासी परियोजना तैयार करना	विश्व बैंक	–	2.5 यूएस डालर
35.	प० बंगाल	कोलकता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	एडीबी	–	250 यूएस डालर
36.	प० बंगाल	पं० बंगाल में ग्रामीण जल आपूर्ति-भोल पुर रघुनाथपुर जल आपूर्ति, सफाई व स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना	केएफडब्ल्यू (जर्मनी)	156.00	–
37.	उड़ीसा	भुवनेश्वर में कचरा प्रबंध व्यवहार्यता अध्ययन	फ्रैंच	–	1.9 फ्रैंक
38.	मेघालय	शिलांग शहरी जल आपूर्ति व सफाई परियोजना तैयार करना	आस्ट्रेलियन एड	–	–
39.	सिक्किम	गंगटोक शहरी जल आपूर्ति व सफाई परियोजना तैयार करना	आस्ट्रेलियन एड	–	
40.	गुजरात	घोघा क्षेत्रीय जल आपूर्ति व सफाई	नीदरलैंड्स	46.44	–
41.	उत्तर प्रदेश	उप-परियोजना-VIII	नीदरलैंड्स	53.68	–
42.	उत्तर प्रदेश	उप-परियोजना-VI	नीदरलैंड्स	37.29	–
43.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति व पर्यावरणीय सफाई परियोजना	विश्व बैंक	284.93	–
44.	पूरे भारत में	शहरी जल आपूर्ति व सफाई परियोजना	जेबीआईसी	–	8670 येन

* जेबीआईसी–जापान बैंक फॉर इन्टरनेशन कोऑपरेशन (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापानी बैंक)

** ओपेक–ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज (तेल निर्यातक देशों का संगठन)

– संबंधित राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसी से सूचना प्राप्त न होना दर्शाता है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए राशि का आबंटन

***338. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षी योजना की अपेक्षा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए कम धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आबंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और कम धनराशि आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, विशेषकर महानगरों में रहने वालों का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ देश-वार कितनी विदेशी सहायता राशि प्राप्त हुई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय (i) नौवीं कक्षा तक पढ़े व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहत करने तथा (ii) सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मजदूरी रोजगार की व्यवस्था के द्वारा शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त निर्धन व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रही है।

इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत हुई प्रगति इस प्रकार है:

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

– सृजित श्रम दिवस 379.33 लाख

सामुदायिक संरचनाओं के लिए सहायता

– शामिल किए गए लाभार्थी 290.71 लाख

शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसइपी)

– सहायता प्राप्त लाभार्थी 313272

– प्रशिक्षित किए गए व्यक्ति 306998

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीयूए)

– बनाए गए डीडब्ल्यूसीयूए ग्रुप 17141

– डीडब्ल्यूसीयूए ग्रुपों की महिला लाभार्थी 30914

थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज (टी एंड सीएस)

– गठित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट समितियां 62731

(घ) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए यूनीसेफ से प्राप्त विदेशी सहायता क्रमशः 581936, 423808 और 260769 अमरीकी डालर थी।

बच्चों के प्रति अपराध

***339. श्री अनन्त नायक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 (30 जून, 2001 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों के खिलाफ दर्ज भा.द.सं. के मामलों की संख्या क्रमशः 1929, 1993 और 1121 थी।

(ख) इस प्रकार के अपराधों में बढ़ोत्तरी का कारण प्रमुखतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी, गंदी बस्ती क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी और वस्तुओं की सहज उपलब्धता इत्यादि से उत्पन्न व्याप्त सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां हैं।

(ग) इस प्रकार के अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, शैक्षणिक संस्थानों पर और इसके इर्द-गिर्द सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती, शैक्षिक संस्थानों के प्रशासनों के साथ संबंध गहन करना ताकि सहायता के लिए उनकी मांग पर तुरन्त कार्रवाई की जा सके, बच्चों के प्रति अपराधों के बारे

में बल को सुग्राही बनाना, बच्चों के मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, बलात्कार के पीड़ितों की मदद के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में ट्रामा केन्द्रों की स्थापना और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना शामिल है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

*340. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों का जीवन-स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से, बीस-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही हैं और उन्होंने उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी परिवारों को वास्तविकत: संवितरित धनराशि, उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि तथा प्राप्त किए गए लक्ष्य के बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराव) : (क) और (ख) मंत्रालय 20सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 10(ख) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, यह मंत्रालय अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में समर्थ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता (विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता) प्रदान करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान की गई विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की राज्यवार निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण, विवरण-I के रूप में सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) से (छ) जी, नहीं। 20-सूत्री कार्यकम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्यों तथा की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण, विवरण-II के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है। प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण-I विशेष केंद्रीय सहायता में से व्यय के आंकड़े भी देता है, जैसा कि राज्यों ने सूचित किया है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग किए जाने का कोई उदाहरण इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्त राशि तथा उनके द्वारा सूचित व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000		2000-01	
		नि.रा.	सू.व्यय	नि.रा.	सू.व्यय	नि.रा.	सू.व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2728.5	2728.5	2182.9	2182.9	2182.94	727.50
2.	असम	2069.6	2152.0	2443.5	1940.0	2443.50	
3.	बिहार	0.0	4362.1	4779.1	0.0	1711.06	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुजरात	3689.7	3249.6	3140.0	3123.8	3139.98	3646.00
5.	हिमाचल प्रदेश	689.4	557.7	514.1	750.6	514.05	
6.	जम्मू व कश्मीर	739.2	500.3	776.4	726.6	776.38	
7.	कर्नाटक	686.6	505.4	616.1	1094.5	616.13	
8.	केरल	408.2	208.1	218.6	208.0	218.63	
9.	मध्य प्रदेश	9476.2	9647.2	9797.2	11571.3	6257.12	6631.52
10.	महाराष्ट्र	3532.2	2767.4	2974.6	3727.0	2974.57	
11.	मणिपुर	779.5	943.4	608.7	651.5	608.65	
12.	उड़ीसा	5911.9	5000.0	5698.3	7660.1	5188.40	4931.72
13.	राजस्थान	3475.7	2620.6	2915.2	3355.5	2915.24	2667.51
14.	सिक्किम	60.0	96.1	86.3	86.4	86.28	
15.	तमिलनाडु	295.9	295.9	258.3	258.3	258.27	
16.	त्रिपुरा	977.8	791.8	831.6	1067.6	831.57	
17.	उत्तर प्रदेश	57.5	112.9	99.9	79.5	41.83	71.83
18.	पश्चिम बंगाल	2222.1	2222.1	1759.4	1759.4	1759.40	
19.	झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	3422.62	
20.	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	3695.36	3647.36
21.	उत्तरांचल	0.0	0.0	0.0	0.0	58.02	
22.	अंडमान व निको.	133.9	123.8	255.4	135.3	233.90	
23.	दमन व दीव	66.1	10.7	44.6	20.6	66.10	
	कुल	38000.0	38895.6	40000.0	40398.7	40000.00	22323.44

संक्षिप्तियां

नि.रा. : निर्मुक्त राशि

सू. व्यय : सूचित व्यय

विवरण-II

20-सूची कार्यक्रम के सूत्र II(ख) के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य और की गई उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	150000	154000	150000	102340	155000	209930
2.	असम	42800	125787	45000	22905	45000	20323
3.	बिहार	126000	80388	126000	113566	60420	12262
4.	झारखंड					65580	—
5.	गुजरात	94500	125651	94500	126543	88600	125271
6.	हिमाचल प्रदेश	4200	6582	4300	7475	4300	6883
7.	जम्मू व कश्मीर	1890	1885	1900	472	1900	0,839
8.	कर्नाटक	28000	32865	28000	22963	29000	9757
9.	केरल	5000	3836	5000	3130	5000	1648
10.	मध्य प्रदेश	280000	265837	275000	266076	209100	234481
11.	छत्तीसगढ़					55900	—
12.	महाराष्ट्र	125031	162395	140000	148326	145000	84755
13.	मणिपुर	5000	4264	5000	2930	5000	1752
14.	उड़ीसा	95600	90571	95600	69774	95600	44038
15.	राजस्थान	72000	80750	72000	68673	73000	74374
16.	सिक्किम	5880	6527	6000	6010	5000	5099
17.	तमिलनाडु	11025	11250	11250	6794	11250	6773
18.	त्रिपुरा	13500	13910	13900	12523	12200	12017
19.	उत्तर प्रदेश	4760	4218	4760	2283	2790	1869
20.	उत्तरांचल					1970	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पश्चिम बंगाल	33700	16192	33700	14098	33700	28725
22.	अंडमान व निकोबार	1175	842	850	1476	945	755
23.	दमन व दीव	621	550	600	111	565	690
	कुल	1100682	1188300	1113360	998468	1106820	881402

कब्जा लम्बित अधिकार पत्र

3395. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 14 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2874 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानून के अनुसार कब्जा अधिकार पत्र तामील करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) कब्जा अधिकार पत्र तामील करते समय वसंत विहार और नजफगढ़ के तहसीलदार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) तामील किये जाने हेतु लंबित पड़े कब्जा अधिकार-पत्रों का ब्यौरा क्या है और वसंत विहार और नजफगढ़ के तहसीलदार के पास लंबित पड़े कब्जा अधिकार पत्रों को तामील न किए जाने के के क्या कारण हैं; और

(घ) कब्जा अधिकार पत्रों को तामील करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में अनुच्छेद 244-क का क्रियान्वयन

3396. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में संविधान के अनुच्छेद 244(क) के क्रियान्वयन की मांग करने वाली स्टूडेंटस एसोसिएशन और दिनसा स्टूडेंटस यूनियन ने स्वायत्तशासी राज्य मांग समिति "करबी" के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन को कब क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान 1.4.1995 को नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री और कारबी आंगलोंग और उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों के संगठनों, नामत: ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी (ए एस डी सी), कार्बी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन (के एस ए), नोर्थ कच्छार हिल स्टूडेन्ट्स फेडरेशन (एन सी एच एस एफ) और डिमसा स्टूडेन्ट्स यूनियन (डी एस यू) के प्रतिनिधियों के बीच तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में, स्वायत्त जिला परिषदों को अधिक स्वायत्ता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप, स्वायत्त जिला परिषदों के नामों से "जिला" शब्द को हटाकर उनके नाम बदलकर, कार्बी आँगलोंग स्वायत्त परिषद और उत्तरी कछार पवर्तीय स्वायत्त परिषद किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों स्वायत्त परिषदों को हस्तांतरित किए जाने वाले 30 विषयों/विभागों में से 28 को राज्य सरकार ने पहले ही हस्तांतरित कर दिए हैं। केवल दो विषयों/विभागों नामत: परिवहन और बिक्री कर, को कानूनी कठिनाईयों के कारण अभी हस्तान्तरित नहीं किया गया है। राज्य सरकार को स्वायत्त परिषदों के साथ परामर्श करके समस्या को हल करने की सलाह दी गयी है। स्वायत्त परिषद के सरकारी प्रतिनिधियों को अब, योजना आयोग के साथ योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली आने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है।

समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन का राज्य सरकार और स्वायत्त परिषदों के साथ आवधिक रूप से प्रबोधन किया जा रहा है। भारत सरकार स्वायत्त परिषदों के क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है।

रसायन और उर्वरकों का उत्पादन

3397. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) चालू वर्ष के दौरान रसायन और उर्वरकों के बढ़ते उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार रसायन और उर्वरकों का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) रसायनों के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कुछेक खतरनाक रसायनों को छोड़कर सभी रासायनिक उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई है। अत:, उद्यमी, औद्योगिक ज्ञापन रूट का अनुसरण करते हुए रासायनिक उद्योग लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत सरकार, सम्बद्ध उच्च प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रबन्ध तकनीक, भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए बढ़े अवसरों तथा भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की सेवाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निदेश (एफ डी आई) के प्रवाह को संवर्धित करने के प्रति कृतसंकल्प है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने एक पारदर्शी, गतिशील तथा निवेशक अनुकूल नीति तैयार की है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, इस समय जिन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा जिनके उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लिए चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान कीटनाशियों तथा रंजक पदार्थों सहित कुछेक प्रमुख रसायनों के उत्पादन का कार्य निष्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है। रसायनों के उत्पादन के राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग सिर्फ संगठित क्षेत्र में रसायनों के उत्पादन की मानिटरिंग करता है।

वर्ष 2000-01 और अप्रैल-जुलाई, 2001 के दौरान उर्वरकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उत्पादन संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० सं०	परियोजना का नाम, स्थान और कम्पनी/सहकारिता	अनुमानित पूंजी लागत (रुपए करोड़ में)	अतिरिक्त परिकल्पित उत्पादन		जीरो डेट	आरंभ होने की तारीख	टिप्पणी
			उत्पाद	क्षमता (लाख मी०ट०प्र० वर्ष में)			
1	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि० (जिएफसीएल), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	99.00	डीएपी	2.8	5.1.98	31.12.01	
2	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो० लि० (एचएफसी, नामरूप, असम का रिवेम्प	509.00	यूरिया	3.80	2.11.98	1.2.2002	
3	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि० सिक्का, गुजरात (डीएपी विस्तार प्रोजक्ट)	180.00	डीएपी	3.96	1.9.99	दिसम्बर 2001	

कुल अनुमानित केपिटल कास्ट : रु० 788.00 करोड़

कुल यूरिया 3.80 लाख प्रतिवर्ष

डीएपी 6.76 लाख प्रतिवर्ष

विवरण-II

वर्ष 2000-01 के लिए पेस्टिसाइडों और रंजक पदार्थों सहित कुछ प्रमुख रसायनों के उत्पादन का निष्पादन

मद	उत्पादन ('000' टनों में) अनंतिम
1	2
सोडा ऐश	1722
कास्टिक सोडा	1540
कार्बन ब्लैक	275.0
कैल्सियम कार्बाइड	70.00
फेनोल	75.0
मेथनॉल	365.0
पेस्टिसाइड्स (तक.)	94.6
डाइसटफ्स	32.33

विवरण-III

वर्ष 2000-01 और अप्रैल-जुलाई 2001 के दौरान राज्य तथा संघ क्षेत्रवार उर्वरकों का उत्पादन

('000' टन में)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	उत्पादन 2000-01			उत्पादन अप्रैल-जुलाई, 2001		
	नाइट्रोजन	फास्फेट	योग	नाइट्रोजन	फास्फेट	योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	804.9	487.8	1292.7	226.6	125.8	352.4
कर्नाटक	188.9	86.4	275.3	67.2	27.7	94.9
केरल	344.2	167.6	511.8	73.0	49.1	122.1
तामिलनाडु	813.0	432.2	1245.2	127.1	88.5	215.6
पांडेचेरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अं० व नि० द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	1927.6	1084.8	3012.4	629.0	345.0	974.0
मध्य प्रदेश	772.6	89.2	861.8	259.5	22.3	281.8
छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
महाराष्ट्र	874.8	202.3	1077.1	273.7	66.6	240.3
राजस्थान	935.0	43.9	978.9	308.3	15.7	324.0

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	239.6	78.0	217.6	84.4	40.9	125.3
दमन व दीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दादरा व नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	226.7	5.3	232.0	75.1	3.2	78.3
पंजाब	385.0	3.7	388.7	130.7	2.4	133.1
उत्तर प्रदेश	2883.7	58.3	2942.0	962.5	19.3	981.8
उत्तरांचल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	117.3	0.0	117.3	8.2	0.0	8.2
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	261.6	660.1	921.7	78.4	200.0	278.4
पश्चिम बंगाल	109.2	343.5	452.7	27.6	92.1	119.7
असम	76.9	0.0	76.9	13.5	0.0	13.5
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
नागालैंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अरूणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	10961.0	3743.1	14604.1	3344.8	1098.6	4443.4

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अंतर्गत लंबित मामले

3398. **श्री रामजी मांझी : क्या शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उपायुक्त न्यायालय (दक्षिण), (दक्षिण-पश्चिम), (उत्तर-पश्चिम) तथा (पश्चिम) में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के अंतर्गत लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के तहत उपायुक्त न्यायालयों में निम्नलिखित मामले लंबित हैं:-

उपायुक्त/कलेक्टर (दक्षिण)	—	62
उपायुक्त/कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम)	—	6
उपायुक्त/कलेक्टर (उत्तर-पश्चिम)	—	7
उपायुक्त/कलेक्टर (पश्चिम)	—	शून्य

ये मामले सुनवाई स्तर पर हैं।

सी०एस०आई०आर० द्वारा अनुसंधान

3399. **डा० एन० वैंकटस्वामी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन उद्देश्यों के लिए सी०एस०आई०आर० की स्थापना की गई थी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रभावी रूप से कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अनुसंधान के विशेष संदर्भ सहित परिषद द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीएसआईआर की स्थापना की गई थी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) सीएसआईआर विविध सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों जैसे वांतरिक्ष, जीवविज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी, रसायन, औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, पारिस्थितिकी व पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य संसाधन, आवास एवं निर्माण, चर्म, पदार्थ, धातु एवं खनिज और खनन के महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरूआत करता है। चालू परियोजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 1999 और 2000-2001 के दौरान आरम्भ किए गए कुछ अनुसंधान परियोजनाएं/कार्यक्रम क्षेत्रवार निम्नवत हैं:

वांतरिक्ष : बहुउद्देशीय हल्के परिवहन विमान का डिजाइन, निर्माण और उड़ान योग्यता परीक्षण; हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए कार्बन फाइबर पंखों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण; अतिध्वनिक प्रवाह अभिकलन;

जैवप्रौद्योगिकी : सूक्ष्मजैविक टाइप संवर्धन संग्रहण एवं जीन बैंक का पुन:सज्जीकरण; विश्व के पहल वी० कॉलरे 0139 जीनोम का आनुवंशिक और भौतिक मानचित्र; उपयोग में लाए जाने वाले कुछ आम जैवअभिवर्द्धक; मानव जीनोम विविधता के अध्ययन के लिए डीएनए अनुक्रमण; अधिक पैदावार देने वाली मैंथोल की किस्में;

रसायन : पदार्थ, उत्प्रेरकों एवं अन्य अनुप्रयोगों हेतु उत्प्रेरण एवं संचयात्मक रसायन पर समन्वित कार्यक्रम; विविध अनुप्रयोगों के लिए जियोलाइटों का संश्लेषण; प्राकृतिक गैस का निम्न ओलिफिन में रूपांतरण; नैनोफिल्टरेशन द्वारा पेय जल;

औषध एवं फॉर्मास्यूटिकल्स : जैवसक्रिय अणुओं का विकास एवं व्यवसायीकरण; मलेरिया रोधी औषध विकास; हर्बल औषध विकास; निदानात्मक संपरीक्षित्र; असंकटकारी प्रक्रमों द्वारा एड्स रोधी औषधियां;

परिस्थितिकी एवं पर्यावरण : कार्बनिक अपशिष्ट जल उपचार हेतु मैथैन जैव संश्लेषण के लिए r-DNA का विकास; ईंटों के भट्टों में प्रदूषण नियंत्रण; उड़न राख-मृदा सुधार; कोक रहित क्यूपोला; क्षेत्रों की वहन क्षमता पर अध्ययन; ग्रीनहाऊस गैसें, जहरीले रसायनों का मॉनीटरन;

इलेक्ट्रॉनिक्स : सूक्ष्म तरंग प्लाज्मा सीवीडी प्रणाली का डिजाइन एवं निर्माण; उच्च तापमान वाले अतिचालक स्क्विड इलेक्ट्रॉनिक्स; उपग्रह ट्रांस्पोंडरों में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु सी-बैंड माइक्रोवेव ट्यूब्स; पीसी आधारित उच्च गुणवत्ता वाला हिन्दी वाक् संश्लेषण तंत्र;

ऊर्जा : तिपहिया वाहनों के दो-स्ट्रोक इंजिनों में सीएनजी उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी; पर्यावरण हितैषी खनन विधियां; रेट्रोफिट ऑयल फायर्ड उपकरणों में प्रतिस्थापक इंजन के रूप में कोयला स्लरी; विद्युत संयंत्रों का आयु निर्धारण;

खाद्य संसाधन : ताजे अदरक से सीधे अदरक का तेल निकालने के लिए प्रक्रम का विकास; स्कूली बच्चों के लिए जैव प्रौद्योगिकी से संशोधित पोषक प्रतिपूरक; भारतीय फलों के निर्यात के लिए पूर्व तथा पश्च फसल प्रौद्योगिकियां; नियंत्रित संशोधित वातावरण भंडारण;

आवास और निर्माण : मरम्मत की सिफारिश करने के लिए आपदा प्रभावित इमारतों का अध्ययन, राजमार्ग के तटबंध तथा ग्रामीण सड़कों के लिए उड़न राख; रेशा प्रबलित प्लास्टिक द्वारा कंक्रीट संरचनाओं को पुनःस्थापित करना;

चर्म : चर्म उद्योग के सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित विकास ग्रिड उपलब्ध करवाने के लिए चर्म प्रौद्योगिक मिशन; जिरकोनियम/एल्युमीनियम सिंटैंस का विकास; नॉन एन्जायमेटिक तथा सल्फाईड मुक्त विरोमण प्रक्रम; चर्म प्रसंस्करण से उत्पन्न तरल तथा ठोस अपशिष्ट के लिए पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियां; और

खनन, धातु एवं खनिज : निम्न आमापन क्रोमाइट अधिभार से निकेल निष्कर्षण हेतु प्रौद्योगिकी प्रमाणित करने वाले संयंत्र की स्थापना एवं प्रचालन।

दिल्ली का मास्टर प्लान-2001

3400. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 जिसकी अवधि जून, 2001 में समाप्त हो गई है, के अधिकांश प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 की औसत उपलब्धियों का अनुमान 40 और 50 प्रतिशत के बीच लगाया गया था लेकिन वास्तविकता में इसकी सेवाएं बहुत ही कम रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो कम उपलब्धियों के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली मास्टर प्लान ऐसा आयोजना दस्तावेज है जिसमें विकास को मार्ग देने के लिए मोटे तौर पर निर्देश दिए गए हैं तथा अपनी विकासात्मक गतिविधियों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र सहित सभी एजेंसियों द्वारा अनुकरण करने हेतु जोनिंग/निर्माण विनियमों का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) - 2001, जो 1.8.1990 को अधिसूचित किया गया था, दिल्ली विकास अधिनियम - 1957 के तहत अधिसूचित कानूनी दस्तावेज है तथा अधिनियम के तहत अन्य अधिसूचना जारी किए जाने तक लागू रहेगा।

तथापि, एमपीडी-2001 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शहरी विस्तार(एक्सटेंशन)/उप नगरीय परियोजनाओं यथा द्वारका, रोहिणी और नरेला के विकास तथा आवास, पुनर्वास, यातायात तथा परिवहन, हरित क्षेत्रों, पार्कों, खेलकूद काम्प्लेक्स, सामुदायिक सुविधाओं वाणिज्यिक केन्द्रों आदि के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली नगर निगम ने एमपीडी-2001 के अनुसार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ किया है। डीडीए द्वारा गठित एमपीडी-2001 के लिए भौतिक अवस्थापना के सुविज्ञ उप-दल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अवस्थापना सेवाओं की स्थिति इस प्रकार है :-

	मांग	आपूर्ति	अन्तर
जल(एमजीडी)	1024	580	444
सीवरेज(एमपीडी)	900	280	620
बिजली(एम डब्ल्यू)	2739	2352	387
ठोस कचरा निपटान(एमटी)	6735	5543	1192

दिल्ली में अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

रसायन और उर्वरक का निर्यात

3401. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को रसायन और उर्वरकों के निर्यात की कितनी सम्भावना है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत भारत द्वारा रसायन और उर्वरकों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानित स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) डब्ल्यू०टी०ओ० अनुबन्धों के तहत रसायनों या उर्वरकों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। रसायन उर्वरकों के संबंध में भारत इसका शुद्ध आयातक रहा है यद्यपि, यूरिया के उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। तथापि, पूर्वानुमानित स्वदेशी मांग और आपूर्ति परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः नेपाल और बंगलादेश को कुछ उर्वरकों का सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

गत कुछेक वर्षों में डाईस्टफ्स सहित रसायनों के निर्यात में वृद्धि का आशावादी रुख देखा गया है।

[हिन्दी]

अवैध खनन

3402. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अवैध कोयला खनन के राज्य-वार, कंपनी-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या अवैध कोयला खनन संबंधित खान के अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अवैध कोयला खनन के मामलों में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या, राज्य-वार, कंपनी-वार, निम्नवत है:-

राज्य	कंपनी	दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या		
		98-99	99-00	00-01
पश्चिम बंगाल	ई.सी.एल.	209	110	180
पश्चिम बंगाल	बी.सी.सी.एल.	-	-	-
जोड़ पश्चिम बंगाल		209	110	180
बिहार/झारखंड	ई.सी.एल.	54	45	23
बिहार/झारखंड	बी.सी.सी.एल.	2	2	1
बिहार/झारखंड	सी.सी.एल.	4	25	15
जोड़ बिहार/झारखंड		60	72	39

(ख) अवैध खनन के मामलों में संबंधित खानों के अधिकारियों की सांठ-गांठ की कोई रिपोर्ट प्रबंधन की जानकारी में नहीं आयी है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या में कमी

3403. श्री टी० गोविन्दन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों की संख्या में कमी करने के लिए कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी वर्तमान संख्या संबंधी स्थिति क्या?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) अर्द्ध;सैनिक बलों की संख्या की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और एक अर्द्ध-सैनिक बल में सिविलियन स्टाफ (नॉन काम्बैटाइज्ड) में 397 कर्मियों की कमी की गई है। तथापि, देश में सुरक्षा परिदृय, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर समस्याओं एवम् विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने कुछ अर्द्ध-सैनिक बलों में चरणबद्ध रूप से बढ़ोत्तरी करने का अनुमोदन किया है।

दिल्ली का विकास

3404. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग ने दिल्ली के उचित विकास के लिए कतिपय क्षेत्रों हेतु भावी योजना तैयार की है और विचारार्थ और क्रियान्वयन हेतु इसे सरकार की आवश्यक सिफारिशों के लिए प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जा रहे हैं और प्रस्तावित भावी योजना में कौन-कौन से विकास कार्य पर विचार किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो योजना के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) जी, हां। दिल्ली नगर कला आयोग ने इन क्षेत्रों का सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में निम्नलिखित कार्य सापेक्ष अध्ययन पूरे किए हैं:-

1. नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक सेंटर का सार्वजनिक क्षेत्र सुधार
2. बाराखम्बा रोड क्षेत्र के सम्पूर्ण विस्तार का सार्वजनिक क्षेत्र सुधार

3. प्राचीन शहर में हौज काजी के लिए विरासत क्षेत्र सुधार योजना

इन अध्यनों की सिफारिशें स्थानीय निकायों के विचारार्थ भेज दी गई हैं।

डी०पी०ई०पी० योजना का क्रियान्वयन

3405. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम से वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) मूल्यांकन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में एक अन्तर्निहित प्रक्रिया है। चूंकि यह कार्यक्रम; मूल्यांकन के आधार पर आरम्भ किया गया है और इस कार्यक्रम की समीक्षा लगातार की जाती रही है जिससे कि इस कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, द्विवार्षिक आधार पर संयुक्त पुनरीक्षा मिशन का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक होने पर आन्तरिक निरीक्षण मिशन भी आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजनाओं तथा बजट पर विचार करने के समय राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना बोर्ड तथा राज्य स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सोसायटी की कार्यकारी समिति प्रगति की समीक्षा भी करता है।

इसके अलावा चरण-I और चरण-II वाले जिलों के लिए मध्यावधि समीक्षाएं कर ली गयी है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के तहत 56000 वैकल्पिक स्कूल स्थापित किए गए हैं। 26000 स्कूल भवनों तथा 24000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया है/निर्माण कार्य चल रहा है, 10 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, 10000 प्रारम्भिक शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं तथा 2 लाख से अधिक ग्रामीण शिक्षा समितियां गठित की गई हैं।

चरण-I वाले जिलों में लगभग सभी का नामांकन किया गया है। जिन जिलों में कार्यक्रम का दूसरा तथा तीसरा चरण चल रहा है, उनमें कुल नामांकन वर्ष 1997-98 में 17 मिलियन से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 19.15 मिलियन हो गया। चरण-I में नामांकन रैपिटिशन दर जो वर्ष 1995-96 में 8.7 प्रतिशत थी, वर्ष 1998-99 में कम होकर 5.8 प्रतिशत रह गई। चरण-II में कुल रैपिटिशन नामांकन दर जो वर्ष 1997-98 में 9.1 प्रतिशत थी, वर्ष 1998-99 में घटकर 8.4 प्रतिशत हो गई। मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण-2000 के अनुसार, 9 राज्यों के 59 जिलों को शामिल करते हुए, शिक्षण उपलब्धि में पर्याप्त सुधार दर्शाया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए पार्क बनाना

3406. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने नए पार्क बनाए गए;

(ख) क्या नए पार्कों के निर्माण/सौन्दर्यकरण हेतु निविदा माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में विकसित नए पार्कों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	विकसित पार्कों की संख्या
1998-1999	2
1999-2000	17
2000-2001	37
कुल	56

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाकर कार्य निष्पादित किये गये हैं जिसमें निविदायें आमंत्रित करके कार्यनिष्पादन शामिल है।

(घ) दिल्ली में नए पार्कों के विकास के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	किया गया खर्च (लाख रु० में)
1998-1999	12.53
1999-2000	142.90
2000-2001	527.40
कुल	682.83

[हिन्दी]

दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र में अपार्टमेंट्स का निर्माण

3407. श्री राम टहल चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र में किए जा रहे अपार्टमेंट्स के निर्माण में कोई मानदण्ड लागू नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) दिल्ली में लाल डोरा में आने वाले वे कौन से क्षेत्र हैं जहां निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपार्टमेंट्स निर्मित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कारवाई करने पर विचार कर रही है जिनके क्षेत्राधिकार में मानदण्डों का उल्लंघन कर ऐसे अपार्टमेंटों का निर्माण किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि लाल डोरा के भीतर बने अपार्टमेंट पर मानदंड/नियम लागू हैं।

(ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिनांक 28.3.2001 के पत्र के तहत स्पष्ट किया है कि कोई गांव शहरी क्षेत्र में आ जाने से उसे लाल डोरा नहीं माना जा सकता। साथ ही उसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि शहरी सीमा से बाहर पड़ने वाले गांवों के लाल डोरा के संबंध में ग्रामीण भू उपयोग के जोन विनियम लागू होंगे।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महासागर विकास हेतु प्रस्ताव

3408. श्री रामदास आठवले : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महासागर विकास से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास कब से ये प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से महासागर विकास से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाना

3409. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों में उक्त सूत्र को क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) त्रिभाषा सूत्र के अनुसार सभी कक्षाओं के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जा रही हैं। तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई जा रही है।

[अनुवाद]

परम्परागत ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना

3410. **डा० बलिराम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एस०आई०आर० के एक संघटक संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (एन०आई०एस०सी०ओ०एम०) परम्परागत ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु क्रियान्वयन एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए एन०आई०एस०सी०ओ०एम० द्वारा किसी उपयुक्त प्राधिकारी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) का संघटक संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (एन०आई०एस० सी०ओ०एम०) परम्परागत ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) की स्थापना हेतु क्रियान्वयन एजेंसी है।

(ख) और (ग) टीकेडीएल की स्थापना करने के लिए एन०आई०एस०सी०ओ०एम० की ओर से निदेशक, एन०आई० एस०सी०ओ०एम० तथा संयुक्त सचिव, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी प्रणाली विभाग (आईएसएमएंडएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एन०आई०एस०सी०ओ०एम० को चरणबद्ध तरीके से टीकेडीएल परियोजना को क्रियान्वित करने के साथ-साथ अवअंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने, टीकेडीएल हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापित करने, संगत विषयों की संकल्पना एवं अंकीकरण, टीकेडीएल की वेब होस्टिंग और टीकेडीएल पोर्टल के रख-रखाव की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

सिक्किम के लिए परियोजनाएं

3411. **श्री भीम दाहाल : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सिक्किम राज्य के लिए पांच परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास संबंधी मामलों से निपटने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में गठित कार्य दल ने हाल ही में सिक्किम राज्य के लिए 33.50 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की 5 परियोजनाओं का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन किया है। परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

विवरण

सिक्किम राज्य सरकार की अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० सं०	स्कीम का नाम	धनराशि (लाख रु० में)
1.	अधिसूचित शहरी सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए के साथ-साथ बरसाती पानी की निकासी प्रणाली की योजना	757.00
2.	लाल बाजार विकास	952.00
3.	गंगटोक शहर के लिए कूड़ा-खाद (कम्पोस्ट) आधारित उर्वरक उत्पादन के जरिए शहरी कचरे का पर्यावरण अनुकूल शोधन	393.05
4.	पूर्वी सिक्किम में गंगटोक जल आपूर्ति स्कीम की वृद्धि	828.77
5.	चेमचे, दक्षिण सिक्किम में पर्यटन के लिए जल आपूर्ति स्कीम	419.84
	कुल	3350.6 लाख

कोल इंडिया लि० की निवेश योजना

3412. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने दसवीं योजनावधि के लिए कोई निवेश योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप वार्षिक कारोबार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैय्द शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) सरकार ने कोयले तथा लिग्नाइट के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिए एक कार्यदल गठित किया है। कोयले तथा लिग्नाइट के लिए दसवीं योजना हेतु गठित कार्यदल अन्य बातों के साथ-साथ निवेश योजना की जांच कर रहा है। कार्यदल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

नवोदय विद्यालयों में मनोरंजन संबंधी सुविधाएं

3413. श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन संबंधी उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में इन सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए उक्त क्रियाकलापों हेतु सामान्य रूप से कितनी धनराशि आबंटित की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) नवोदय विद्यालयों के छात्रों व स्टाफ हेतु मनोरंजन सुविधाओं के लिए समुचित प्रावधान प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद की नियमित सुविधाओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यकलाप भी आयोजित किए जाते हैं। बच्चों में कलात्मक कौशल और सौन्दर्य बोध सृजित करने के भी समुचित प्रावधान किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यालय को टेलीविजन, वी०सी०आर०, टेपरिकार्डर और श्रव्य दृश्य उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में अध्ययन कक्ष सुविधा सहित एक पुस्तकालय भी है।

(ख) और (ग) प्रत्येक विद्यालय को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं प्रदान करके खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकलापों और अन्य मनोरंजन कार्यकलापों की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है ताकि वे इन कार्यकलापों को नियमित रूप से आयोजित कर सकें।

(घ) विद्यालय में पढ़ रहे प्रत्येक छात्र हेतु मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 150/-रु० की राशि दी जाती है।

सी पी डब्ल्यू डी सेवा केन्द्र

3414. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दक्षिण दिल्ली के कई सेवा केन्द्रों में आबंटियों की शिकायतें फोन पर दर्ज करने के लिए "नो ड्यूटी कलर्कस्" की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सही है कि इन सेवा केन्द्रों में स्थापित टेलीफोन प्रणाली आमतौर पर खराब रहती है और प्रत्येक को एक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया गया है जिससे हजारों आबंटियों, जन प्रतिनिधियों और आर०डब्ल्यू०ए० के प्रतिनिधियों को भारी असुविधा होती है एवं इससे जन सेवा और विकास कार्य भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन सेवा केन्द्रों के अधिकारियों और संबंधित संभागों के अधिकारियों को भी इस पुरानी समस्या की जानकारी है अथवा क्या आबंटियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उक्त समस्या को उनके ध्यान में लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति विशेष रूप से सरोजिनी नगर और चाणक्यपुरी के संबंध में सेवा केन्द्र वार वास्तविक स्थिति क्या है;

(च) इस मामले में आबंटियों की असुविधा दूर करने में, यदि कोई है, तो और लोगों को सेवा केन्द्र-वार बाधामुक्त सेवा सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) नियमित सेवा केन्द्र परिचारक पद मंजूर करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया गया है। लेकिन इस कार्य का प्रबंध कार्य प्रभारित स्टाफ तैनात करके या ठेके पर आदमी लगाकर अस्थायी व्यवस्था के रूप में किया जा रहा है।

(ग) से (छ) प्रत्येक सेवा केन्द्र में एक टेलीफोन है जो सामान्यत: चालू हालत में होता है। जब कोई टेलीफोन खराब हो जाता है तो उसे तत्काल ठीक करने के उपाय किए जाते हैं, ताकि प्रयोक्ताओं को कम से कम असुविधा हो और काम तथा सेवाओं पर विपरीत असर न पड़े।

शहरीकृत अधिसूचित गांव

3415. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 20 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं० 80 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 1994 में शहरीकृत गांव के रूप में अधिसूचित गांवों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) आगामी वर्षों में डी०एम०सी० अधिनियम की धारा 507 के अंतर्गत घोषित किए जाने वाले शहरीकृत गांवों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसने दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत 15 गांवों को शहरीकृत गांवों के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है। उन गांवों के नाम निम्नलिखित हैं :-

1. सुल्तानपुर माजरा
2. भलस्वा जहांगीरपुरी
3. सिरसपुर
4. लिबासपुर
5. शकरपुर बड़ामाड
6. शामासपुर
7. चिला शरोदा खादर
8. चिला शरोदा बांगर
9. दल्लूपुरा
10. कोंडली
11. घरोली
12. हस्ताल
13. सैदुल अजाइव
14. पीरागढ़ी
15. त्रिलोकपुरी

विभिन्न राज्यों से लोगों का दिल्ली में आना

3416. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में आने वाले इन लोगों के कारण कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जनता में तेजी से बढ़ोतरी, गंदी बस्ती क्षेत्रों में वृद्धि और शहरीकरण से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

(ग) कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आप्रवासन के दबाव को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में रेलवे स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों और अन्य राज्यों की सीमाओं के साथ लगी सड़कों पर निगरानी रखना, घरेलू नौकरों और किरायेदारों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन और गंदी बस्ती क्षेत्रों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल है।

अवैध निर्माण/अतिक्रमण

3417. श्री विजय गोयल :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी और शीघ्र कार्रवाई करने हेतु राजधानी में नागरिक एजेंसियों को हाल ही में निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के निदेशों की नागरिक एजेंसियों द्वारा पूरी तरह से अवहेलना की गई है और कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे सभी अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को हटाने हेतु राजधानी में नागरिक एजेंसियों के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या ठोस योजना बनाई गई है और भ्रष्ट कार्यों में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों के सम्बंध में दिनांक 28-8-2000 के अपने पत्र द्वारा स्थानीय निकायों को विस्तृत निदेश जारी किए हैं। सभी स्थानीय निकायों ने इन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किए जाने की रिपोर्ट दी है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.7.2001 को सिविल रिट सं० 725/1994-एंड क्वाइट फ्लोज यमुना बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य—में दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा दाखिल किये गये हलफनामें को संतोषजनक नहीं पाया तथा उन्हें चार सप्ताह के अंदर मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.8.2000 को जारी पत्र के प्रत्येक खंड से सम्बंधित हलफनामें दाखिल करने का निर्देश दिया।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित सभी स्थानीय निकाय अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध मौजूदा अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।

भारत-नेपाल सीमा के आस-पास रहने वाले लोग

3418. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-नेपाल सीमा के आस-पास बड़ी संख्या में रहने वाले लोग दोनों देशों की नागरिकता का भी लाभ उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल में भारत-नेपाल सीमा के पास के कुछ गांवों में रहने वाले लोग भारतीय नागरिकता का भी लाभ उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे नेपाली नागरिकों के प्रवेश को रोकने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) भारत-नेपाल सीमा के आर-पार व्यक्तियों और वस्तुओं के आने-ले-जाने पर रोक नहीं है। दोनों के बीच प्रभावी सीमा प्रबन्धन पर द्विपक्षीय व्यवस्था लागू है। एक संयुक्त कार्यदल स्थिति का नियमित रूप से पुनरीक्षण करता है और एक-दूसरे के क्षेत्र में आवंछनीय तत्वों का प्रवेश रोकने और सीमा के साथ-साथ शान्ति बनाए रखने के लिए यथावश्यक समुचित कदम उठाता है।

लौह अयस्क कंपनियों द्वारा खनिजों का खनन

3419. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से संयंत्र और कितनी लौह अयस्क कंपनियां खनन कार्य में लगी हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों में से कोई कंपनी अपने संबंधित राज्य के क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार और सामाजिक निवेश कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय योगदान देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) देश में लौह अयस्क खनिजों का निष्कर्षण कर रही लौह अयस्क कंपनियों और सूचित की गई खानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) खनिज रियायत नियम (एम सी आर), 1960 और खनिज रियायत एवं विकास नियम (एम सी डी आर), 1988 के अनुसार लौह अयस्क के पट्टाधारियों सहित सभी पट्टाधारियों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ई एम पी) सहित खनन योजनाएं तैयार करना अपेक्षित है। पट्टा मंजूर करते समय, खनन पट्टे का नवीकरण करते समय और मौजूदा पट्टों के लिए भी इन खनन योजनाओं को

अनुमोदित किया जा रहा है। खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आई बी एम) भी ई एम पी सहित खनन योजना में दिए गए विभिन्न प्रस्तावों का प्रबोधन करने के लिए आवधिक रूप से निरीक्षण करता है। पट्टा क्षेत्र 5 हैक्टेयर से अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक पट्टे के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी ली जाती है। आई बी एम ने बताया है कि पट्टाधारियों ने 1999-2000 तक देश की प्रमुख लौह अयस्क खानों में लगभग 7700 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 215 लाख पौधे लगाए हैं। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० ने परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास पारिस्थितिकी के संरक्षण और उन्नयन, प्रदूषण से बचाव, वन रोपण पर अब तक लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस कंपनी ने कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के विकास हेतु 1999-2000 से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष कर्नाटक सरकार को 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का वचन दिया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी)) ने "पर्यावरण नीति और सामाजिक नीति" तैयार की है। एन एम डी सी ने लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली अपनी विभिन्न इकाइयों में 23,72,154 पेड़ लगाए थे। एन एम डी सी ने अपनी लौह अयस्क परियोजनाओं में पर्यावरण प्रबंधन कार्य हेतु वर्ष 2000-01 के दौरान 811.69 लाख रुपए व्यय किए। वर्ष 2000-01 के दौरान सेल की खानों में पर्यावरण संबंधी सुधार के लिए सेल द्वारा किया गया व्यय 22.45 लाख रुपए था।

उपर्युक्त के अलावा खान मालिकों/कामगारों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आई बी एम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में खान, पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह मनाए जा रहे हैं। ये सप्ताह बड़ी लौह अयस्क खानों सहित अधिकांश बड़ी खानों में भी मनाए जा रहे हैं। संबंधित राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा वायु (निवारण तथा नियंत्रण) प्रदूषण अधिनियम, 1981 और जल (निवारण तथा नियंत्रण) प्रदूषण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत खानों का प्रचालन करने की स्वीकृति दी जा रही है और प्रत्येक वर्ष इसका नवीकरण किया जा रहा है।

जहां तक सामाजिक निवेश कार्यक्रम का संबंध है अधिकांश बड़ी लौह अयस्क खानों द्वारा पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर आसपास के क्षेत्र में स्कूल स्थापित करने, पेयजल की आपूर्ति करने, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, अवसंरचना के सुधार, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान आदि जैसे कार्यों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लौह अयस्क उत्पादकों की सूची

राज्य	लीज धारकों के नाम	कंपनियों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	बैलोरी आयरन ओर (प्रा०) लि०	3
	एम० माल्लेसप्पा	
	वाई० महाबालेश्वरेप्पा एंड संस	
छत्तीसगढ़	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (एन एम डी सी)	2
	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल)	
गोवा	अच्युट बी एस विलेंगर	36
	बदरूद्दीन एच० मवानी	
	बंदेकर ब्रदर्स (प्रा०) लि०	
	चौगले एंड कंपनी (प्रा०) लि०	
	कोस्मे कोस्टा एंड संस	
	डी०बी० बंदोदकर एंड संस	
	डम्पो माइनिंग कारपोरेशन लि०	
	ई०एम०सी०ओ० गोवा (प्रा०) लि०	
	गंगाधर नरसिंगदास अग्रवाल	
	लिमा लिएटो एंड कं० (प्रा०) लि०	
	एम०एस० टालोलीकर एंड संस लि०	
	मैडोकेम बेट माइन्स (प्रा०) लि०	
	मेनुअल डी कोसटा	
	मिनेदिया मेचीनाल लि०	
	एन०एस० नरविकार मिनरल्स	
	नूर मोहम्मद अब्दुल करीम	
	पांडुरंगा टिम्ब्लो इंडस्ट्रीज	

1	2	3
	आर आर पोंगुनीकार	
	आर एस घारसे	
	आर एस शेटेया एंड ब्रदर्स	
	आर वी एस वीएंगाकार	
	राजाराम बान्डेकार सिरिगो माइन्स	
	सल्लिथो ओरस लि०	
	सेसा गोवा लि०	
	श्रीमती अहिल्या बाई सरदेसाई	
	श्रीमती गीताबाला मनोहर नाइक पारूलकर	
	श्रीमती जीवन आर बाटीकर	
	श्रीमती कुन्दा एल० महेश्वरी एल एच	
	सोसाइदादा टिम्बलो डरमोस लि०	
	सोवा	
	वी डी चौगलै	
	वी डी चौगलै एंड संस	
	वी जी कुनैम	
	वी एम सालगोकार एंड ब्रदर्स (प्रा०) लि०	
	वी एम डैम्पो एंड कं० लि०	
हरियाणा	जरापफर एंड पारकर हरियाणा मिनरल्स लि०	1
झारखण्ड	अनिल खिरवाले	20
	देवकबाई बेलजी	
	जी एस सारदा	
	इंडियन आयरन एंड स्टील कं०लि०	
	खटाउ लीलाधर ठक्कर	
	मिसरीलाल जैन एंड संस कं०लि०	
	मोहन मिनरल्स	
	निर्मल कुमार प्रदीप कुमार	
	पद्म कुमार जैन	
	आर मैडिकल एंड कं० (प्रा०) लि०	
	रामेश्वर जूट मिल्स लि०	
	रत्तनलाल प्रकाशचन्द	
	रूंगटा माइन्स (प्रा०) लि०	
	सलील कुमार घोष	
	शाह ब्रदर्स	
	सिंहभूम मिनरल्स कं०	
	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०(सेल)	
	टी पी रूंगटा	
	टाटा आयरन एंड स्टील कं०लि० (टिस्को)	
	ठाकुर प्रसाद साउ	
कर्नाटक	ए०के० नारायण माइन्स (प्रा०) लि०	51
	ए यू आर ओ मिनरन्स	
	बी आर योगेन्द्रनाथ सिह	
	बालाजी प्रौड्यूस कं०	
	भारत माइन्स एंड मिनरन्स	
	डालमिया सीमेन्ट (भारती) लि०	
	दक्कन माइनिंग सिंडिकेट (प्रा०) लि०	
	डोडनवार ब्रदर्स	
	ई० राममूर्ति	
	गोगा गुरूसाथियां एंड ब्रदर्स	

1	2	3
	एच जी रगनगोड	
	एच आर डोडनवार	
	एच आर गाविप्पा एंड कं०	
	हनुमान सिंह	
	होथूर ट्रेडर्स माइनओनर एंड एक्सपोर्टर्स	
	जे एम वरूशाभेन्दरैया	
	ज्योति ब्रदर्स	
	कारिगानौर मिनरन्स माइनिंग इंडस्ट्री	
	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	
	लक्ष्मी नारायण माइनिंग कं०	
	एम उपेन्द्रन	
	मिलन मिनरल्स (प्रा०) लि०	
	मिनरल इन्टरप्राइसेस (प्रा०) लि०	
	मिनरल माइनर्स एंड ट्रेडर्स	
	मिनरल सेल्स (प्रा०) लि०	
	मिनरल सिंडिकेट	
	मुनीर इंटरप्राइसेस	
	मैसूर मिनरल्स लि०	
	नारायण मिनरल्स लि०	
	नारायण माइन्स (प्रा०) लि०	
	नेशलन मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (एनएमडीसी)	
	पी आबूबाकर	
	पी बालाशुब्बा सेट्टी एण्ड द संस	
	आर वी सेठ श्रीराम नरसिंह दास	
	राजापुर पामपापाथी	
	रामजद मिनरल्स एंड माइनिंग (प्रा०) लि०	
	एस बी मिनरल्स	
	एस वी श्रीनिवासलू	
	सन्दूर मैगनीज एंड आयरन ओर लि०	
	श्री कुमारस्वामी मिनरल्स एक्सपोर्टर्स	
	श्रीमती के एम पार्वथम्मा	
	श्री वी एन जयाराम	
	सुग्गालमागुड्डा माइनिंग कंपनी	
	टी वी चन्नजेस्टप्पा एण्ड ब्रदर्स	
	टिफिनस बारायटस एसबसटोस एंड पेन्ट्स लि०	
	त्रिडेन्ट मिनरल्स	
	तुंगभद्रा मिनरल्स लि०	
	वी एस लाड एंड संस	
	वीरभद्राप्पा संगप्पा एंड कं०	
	विभूतिगुड्डा माइन्स (प्रा०) लि०	
	विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील कं० लि०	
	जिन्नाथ ट्रान्सपोर्ट कं०	
मध्य प्रदेश	आनन्द माइनिंग कारपोरेशन लि०	4
	के के श्रीवास्तवा	
	कुंवारानी अयोध्या सिंह	
	निर्मल मिनरल्स	
महाराष्ट्र	गहरा मिनरल्स	4
	गोगटे मिनरल्स	
	न्यू इंडिया माइनिंग कारपोरेशन (प्रा०) लि०	
	टवाक्कल स्टोर्स	

1	2	3
उड़ीसा	मिसेज सरोजिनी प्रधान	50
	आर्यन माइनिंग एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	
	बी डी अग्रवाल	
	बी डी पटनायक	
	बी राय एंड ए राय	
	भांजा मिनरल्स (प्रा०) लि०	
	भारत प्रोसेस एंड मकेनिकल इंजीनियरिंग लि०	
	बीराट चन्द्र डगारा	
	बोनाइ इंडस्ट्रीयल कं०लि०	
	चान्दी प्रसाद शर्मा	
	डी आर पटनायक	
	दुपदचन्द्रा डागर	
	एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०	
	फिग्रेड एंड कं० (प्रा०) लि०	
	गन्दामर्धम स्पंज इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०	
	गौरीशंकर चौबे	
	गीतारानी मोहन्ती	
	घनश्याम मिश्रा एंड संस (प्रा०) लि०	
	एच जी पाण्डेय एंड ब्रदर्स	
	जे एन पटनायक	
	जिन्दल एलट्रिप्स लि०	
	के सी प्रधान	
	कलिंगा माइनिंग कारपोरेशन लि०	
	कमलजीत सिंह आलुवालिया	
	कैंपी इंटरप्राइसेस	
	खटाऊ नरभेराम एंड कं०	
	लाल ट्रेडर्स एंड एजेन्सीस	
	एम जी मोहन्ते	
	मैसर्स मैत्रा शुक्ला	
	नारायणी सन्स	
	नेशनल इन्टरप्राइसेस	
	उड़ीसा मिनरल डेव० कं० लि०	
	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०	
	प्रथा दास	
	पटनायक मिनरल्स (प्रा०) लि०	
	पैंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेन्सीस लि०	
	रमेश प्रसाद साव	
	रूंगटा माइनिंग (प्रा०) लि०	
	रूंगटा सन्स (प्रा०) लि०	
	एस ए करीम	
	एस सी पाधी	
	एस एन मोहन्ती	
	सीराजुदीन एंड कं०	
	शिव दत्त शर्मा	
	श्रीमती डी के बाई पाण्डेय	
	श्रीमती कविता अग्रवाल	
	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल)	
	टी बी लाल एंड कं०	
	टरीनी मिनरल्स	
	टाटा आयरन एंड स्टील कं०लि० (टिस्को)	

1	2	3
राजस्थान	मोदी लेवीगेटिड कोलिन (प्रा०) लि०	5
	नरेश कुमार कोल सली लि०	
	प्रकाश चन्द्रा जैन	
	रामसिंह ओम प्रकाश	
	श्रीमती वीना जोशी	
	आल इंडिया कुल :	178

केरल में गरीबी उपशमन कार्यक्रम

3420. श्री रमेश चेन्नितला : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी और राज्य सरकार ने कितना व्यय किया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई परियोजना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चला रहा है ताकि शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को (i) नौवीं कक्षा तक शिक्षित लोगों को स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और (ii) मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए उन्हें लाभप्रद रोजगार मुहैया कराया जा सके। जारी की गई केन्द्रीय राशियों और उसमें से केरल सरकार द्वारा यथासूचित किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रु० में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय राशि	सूचित खर्च
1	2	3
1.12.1997* के अनुसार	353.75	–
1997–98	202.99	513.19
1998–99	377.9	420.64
1999–2000	448.32	354.57
2000–2001	256.50	सूचना नहीं

* पहले के कार्यक्रमों की अव्ययित शेष राशि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में मिला दी गई।

(ख) और (ग) जी, हां। शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक और यूएनसीएचएस (हैबीटाट) द्वारा इटालियन सहायता के तहत शुरू किए जाने वाले "सिटीज अलायंस फॉर सिटीज विदाउट स्लम्स" के लिए "स्लम मुक्त राजधानी शहरी तिरूअनन्तपुरम" का एक प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन

3421. श्री अबुल हसनत खां :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद यथासमय पुनर्गठित कर दी जाएगी।

दिल्ली में यातायात पुलिसकर्मियों का कल्याण

3422. डा० बी०बी० रमैया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में यातायात पुलिसकर्मियों की अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान बहुत घातक प्रदूषकों के खतरे का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) इन पुलिसकर्मियों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सी०आर०आर०आई० और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रदूषण वाले कुछेक चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी छाती, आंख, कान और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित होते हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदूषण के प्रभाव को कम करने हेतु उठाए गए कदमों में यातायात इकाइयों में तैनात पुलिस कार्मिकों को नाक पर लगाने वाले प्रदूषण मास्क उपलब्ध कराना और 3 माह की अवधि के पश्चात् उन्हें बारी-बारी से ''प्रदूषण'' वाले सर्किल से ''प्रदूषण-विहीन' सर्किल में तैनात किया जाता है।

भारत-पाक के समाज विज्ञानियों का सम्मेलन

3423. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०सी०एस०एस०आर० ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने हेतु एक तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में भारत-पाक के समाज विज्ञानियों का पहला सम्मेलन हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य निर्णय लिए गए और कांफ्रेंस में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत-पाकिस्तान समाज विज्ञानियों की एक बैठक जुलाई, 2001 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें भारत और पाकिस्तान से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) यह निर्णय लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान को सीमा पार तनाव को हतोत्साहित करने, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक सुरक्षा संबंधी मामलों में नियमित वार्ता के लिए संस्थागत प्रबन्ध करने, तथा सामान्य समस्याओं का समाधान करने के लिए सूचना और सहयोगपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों के स्वतंत्र आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने चाहिए। बैठकों और सेमिनारों के माध्यम से वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और व्यवसाय समूहों के बीच निरंतर वार्ता को अनिवार्य माना गया था।

(घ) और (ङ) भारत-पाकिस्तान समाज वैज्ञानिक सम्मेलन की सिफारिशें भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद से अभी प्राप्त होनी है।

कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए छात्रावास

3424. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए कितने छात्रावास हैं;

(ख) ऐसे और कितने छात्रावासों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और उनका निर्माण राज्य-वार किन-किन स्थानों पर किया जाएगा; और

(ग) इन छात्रावासों के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को आवश्यकता और स्कीम संबंधी मानकों को पूरा करने के अध्यधीन मंजूरी प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परियोजनाओं का निर्धारण नहीं किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा प्रभाग गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था और होस्टल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित इस स्कीम के अंतर्गत लड़कियों के लिए होस्टल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रत्येक कामकाजी महिला होस्टल का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला

होस्टलों के निर्माण के लिए सहायता की स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक होस्टल के लिए एक प्रबन्ध समिति बनाने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग की क्षेत्र-अधिकारियों की एक स्कीम है, जिसके अनुसार विभाग के कुछ नामांकित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभाग की स्कीमों और परियोजनाओं का निरीक्षण करें, जिनमें विभाग द्वारा स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों का कार्यकरण भी शामिल है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था और होस्टल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की स्कीम का 1998-99 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मूल्यांकन किया गया था और भविष्य में भी इन होस्टलों के कार्यकरण के मॉनीटरन हेतु उपाय किए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की संख्या	छात्राओं के लिए होस्टलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	—
3.	असम	15	4
4.	बिहार	7	11
5.	गोवा	2	—
6.	गुजरात	37	21
7.	हरियाणा	18	4
8.	हिमाचल प्रदेश	14	—
9.	जम्मू व कश्मीर	5	—
10.	झारखण्ड	1	1
11.	कर्नाटक	80	15
12.	केरल	140	—
13.	मध्य प्रदेश	59	1
14.	छत्तीसगढ़	8	1
15.	महाराष्ट्र	122	17
16.	मणिपुर	12	6
17.	मेघालय	3	—
18.	मिजोरम	3	—
19.	नागालैण्ड	9	7
20.	उड़ीसा	28	24
21.	पंजाब	14	—
22.	राजस्थान	37	1
23.	सिक्किम	2	—
24.	तमिलनाडु	90	3
25.	त्रिपुरा	1	—
26.	उत्तर प्रदेश	35	18
27.	उत्तरांचल	5	—
28.	पश्चिम बंगाल	37	3
	कुल राज्य	839	147
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	—
30.	चण्डीगढ़	6	—
31.	दिल्ली	20	—
32.	पाण्डिचेरी	4	—
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	31	—
	समस्त भारत	870	147

[हिन्दी]

भारतीयों द्वीपों पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियां

3425. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय द्वीपों पर हथियारों की तस्करी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान द्वीप-वार ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली; और

(घ) वहां तस्करी और भारत-विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागार राव) : (क) से (ग) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से एक मामले को छोड़कर जिसमें 10/11 फरवरी 1998 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लैंड फाल आईलैंड के निकट विदेशी राष्ट्रिकों के एक ग्रुप को पकड़ा गया उनसे काफी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद जब्त किए गए थे, इस प्रकार को कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

(घ) इस बारे में उठाए गए कदमों में नौसेना और तट रक्षक पोतों तथा हवाई जहाजों द्वारा द्वीप के इर्द-गिर्द समुद्र पर नियमित चौकसी रखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री पुलिस बल को सुदृढ़ करना और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कदमों की समीक्षा करने के लिए प्रतिमाह राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

[अनुवाद]

जैव-संवर्धित खाद्य पदार्थ

3426. श्री रामजीवन सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों को विकसित कर उन्हें बाजार में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या कुछ देशों ने अपने यहां फ्रैन्कन फूड के प्रवेश का कड़ा विरोध किया है;

(ग) क्या बहुत से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने जैवसंवर्धित खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत द्वारा जैविक रूप से संवर्धित "गोल्डन" चावल का विकास और उसकी बिक्री जारी रखने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ङ) जैवसंवर्धित खाद्य पदार्थों के लाभों को महसूस करते हुए बहुत से अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता दी गई है। तथापि, भारत सरकार ने अभी तक किसी भी जैवसंवर्धित खाद्य पदार्थ के व्यवसायीकरण की अनुमति नहीं दी है। भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं नियमावली 1989 के अनुसार यह जरूरी है कि सभी ऐसे उत्पाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) का अनुमोदन प्राप्त करें। देश में उपयोग एवं बिक्री की अनुमति देने से पूर्व ऐसे उत्पादों का जैवसुरक्षा (पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा) की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना है।

चूंकि यह प्रौद्योगिकी नई है, ऐसे खाद्यों के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई है और ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग के गुण एवं दोष को निश्चित करने के लिए देशों द्वारा प्रत्येक मामले का परीक्षण किया जाता है। किसी भी देश ने एक तरफा आनुवंशिक इंजीनियरी प्रौद्योगिकी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है और लगभग सभी देश आनुवंशिक ढंग से इंजीनियरीकृत औषधि मिश्रणों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से कई जीवन रक्षक औषधियां हैं। बढ़ी हुई पोषण गुणवत्ता के साथ चावल विकसित करने के लिए एक भारत-स्विस सहयोगात्मक अनुसंधान प्रस्ताव विचाराधीन है।

भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण

3427. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्य/संघ क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(घ) अभी तक इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने ताल्लुके इस योजना से लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना शत प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 1988-89 में 8 राज्यों में इस उद्देश्य के साथ आरंभ की गई थी कि भू-स्वामियों को उनके अधिकारों के रिकार्ड की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां प्राप्त होनी चाहिएं। इस समय यह योजना देश के 595 जिलों में से 569 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए जिलों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य-वार बजट आबंटन नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की जांच की जाती है और उनको निधियां मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी की जाती है। वर्ष 2000-2001 और वर्ष 2001-2002 के दौरान (8.8.2001 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत क्रमश: 47.60 करोड़ रुपए तथा 11.18 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है।

(घ) इस योजना के तहत (योजना के आरंभ होने की तारीख से - 1988-89 से) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों की प्रगति को दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-I में दिखाये गये अनुसार देश में अभी तक यह योजना 2383 तहसीलों/तालुकों/खण्डों में कार्यान्वित की गई है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या	उन तहसीलों/तालुकों/खण्डों की संख्या जहां योजना कार्यान्वित की गई है
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	308
2.	अरूणाचल प्रदेश	14	0
3.	असम	23	27
4.	बिहार (झारखंड सहित)	55	0
5.	गुजरात	25	114
6.	गोवा	2	2
7.	हरियाणा	19	64
8.	हिमाचल प्रदेश	12	16
9.	जम्मू और कश्मीर	14	0
10.	कर्नाटक	27	177
11.	केरल	14	0
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	61	354
13.	महाराष्ट्र	35	305
14.	मणिपुर	9	0
15.	मिजोरम	7	0
16.	नागालैण्ड	8	0
17.	उड़ीसा	30	28
18.	पंजाब	17	0
19.	राजस्थान	32	171
20.	सिक्किम	4	8
21.	तमिलनाडु	29	206
22.	त्रिपुरा	4	14
23.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	83	235
24.	पश्चिम बंगाल	18	354
25.	दादरा व नगर हवेली	1	0
26.	दिल्ली	1	0
27.	पाण्डिचेरी	1	0
28.	चंडीगढ़	1	0
	योग	569	2383

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई निधियां 1989-93 के बीच	1993-94 के दौरान	1994-95 के दौरान	1995-96 के दौरान	1996-97 के दौरान	1997-98 के दौरान	1998-99 के दौरान	1999-2000 के दौरान	2000-2001 के दौरान	2001-2002 के दौरान	अभी तक जारी निधियां	अभी तक उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.00	78.00	105.00	210.00	15.00	0.00	829.90	174.05	0.00	0.00	1436.95	1182.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30	0.00	75.30	0.00
3.	असम	25.00	33.00	50.00	50.00	80.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	67.56
4.	बिहार	20.00	30.00	100.00	0.00	0.00	367.50	30.50	0.00	0.00	0.00	548.00	35.30
5.	गुजरात	25.00	10.00	10.00	120.00	0.00	75.00	24.61	79.68	195.80	207.06	747.15	321.28
6.	गोवा	0.00	15.00	5.00	0.00	20.00	0.00	0.00	63.50	12.30	37.50	153.30	82.90
7.	हरियाणा	21.00	19.00	55.00	180.00	0.00	19.00	15.00	56.00	92.40	0.00	457.40	177.18
8.	हिमाचल प्रदेश	25.00	15.00	50.00	55.00	60.00	0.00	6.60	28.60	0.00	0.00	240.20	87.97
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00	4.00	20.00	0.00	0.00	30.00	189.00	18.00	0.00	0.00	286.00	186.34
10.	कर्नाटक	25.00	43.00	28.00	120.00	95.00	69.20	342.50	501.88	590.45	0.00	1815.03	1112.57
11.	केरल	25.00	40.00	30.00	200.00	30.00	69.00	79.50	102.75	0.00	0.00	576.25	535.40
12.	मध्य प्रदेश	33.00	45.00	90.00	75.00	45.00	485.50	237.82	668.38	513.88	0.00	1993.58	1673.72
13.	महाराष्ट्र	25.00	60.00	95.00	195.00	241.00	197.50	108.59	791.17	455.00	0.00	2168.26	919.42
14.	मणिपुर	25.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	38.35	0.00	0.00	188.23	68.07
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	15.00	10.00	0.00	60.00	0.00	50.00	37.78	117.78	0.00	290.56	172.78
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15	60.00	25.15	110.30	25.15
18.	उड़ीसा	32.50	55.00	30.00	135.00	270.00	0.00	20.50	171.12	387.70	657.30	1759.12	950.46
19.	पंजाब	25.00	53.62	45.00	0.00	75.00	52.50	0.00	31.50	0.00	0.00	282.62	53.92
20.	राजस्थान	25.00	50.00	68.00	150.00	210.00	0.00	43.60	0.00	888.34	0.00	1434.94	459.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	सिक्किम	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.40	12.80	0.00	0.00	67.20	32.00
22.	तमिलनाडु	25.00	83.00	45.00	90.00	210.00	60.00	30.98	237.29	611.50	0.00	1392.77	1013.52
23.	त्रिपुरा	25.00	40.00	20.00	0.00	15.00	75.80	0.00	38.00	0.00	0.00	213.80	153.48
24.	उत्तर प्रदेश	25.00	75.00	129.00	165.00	270.00	247.50	142.50	0.00	278.60	0.00	1332.60	450.00
25.	पश्चिम बंगाल	25.00	85.00	65.00	235.00	180.00	173.00	300.78	110.00	457.40	34.57	1665.75	1375.00
26.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	0.00
28.	दिल्ली	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	0.00
29.	पाण्डिचेरी	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	23.55	0.00	62.10	23.55
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	योग	501.53	876.00	1050.00	2000.00	2015.88	2019.00	2474.78	3223.55	4760.00	1118.38	20039.12	11159.84

पोत भंजन यार्डों में सुरक्षा मानदंड

3428. **श्री सुबोध राय :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत भंजन यार्डों में सुरक्षा मानदण्डों की अनदेखी की जाती है और श्रमिक व्यवसायगत खतरों के साथ-साथ खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं;

(ख) क्या एक अध्ययन के अनुसार, भारत अन्य लोगों के अपशिष्टों का पाटन स्थल बन गया है और भावनगर के निकट पोत-भंजन गतिविधियों के कारण होने वाला प्रदूषण भयावह स्तर तक बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं। गुजरात राज्य सरकार ने कामगारों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कामगारों को सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में प्रशिक्षण देना, जोखिम जागरूकता अभियान शुरू करना, प्रत्येक प्लॉट पर सुरक्षा स्थिति का प्रबोधन करना आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

(ख) ग्रीन पीस द्वारा किए गए अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि भारत शिप बोर्ड अपशिष्टों का पाटन स्थल बन गया है तथा पोत भंजन गतिविधियों के कारण प्रदूषण भयावह स्तर तक पहुंच गया है। तथापि, गुजरात इकॉलोजी सोसायटी और नेकॉन द्वारा किए गए अन्य कई अध्ययनों से पता चलता है कि पर्यावरण में इसका इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जोखिम वाले अपशिष्टों की समुचित संभाल सहित ठोस पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन हेतु पोत भंजन को नियमित करने संबंधी पहलुओं पर सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पोत भंजन उद्योग पर पर्यावरण संबंधी मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं तथा वे कार्यान्वियन हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिचालित कर दिए गए हैं।

3. गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात नौवहन बोर्ड अधिनियम, 1981 के तहत गुजरात नौवहन बोर्ड (कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु आग और दुर्घटना रोकथाम तथा पोत

भंजन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण सुरक्षा) विनियम, 2000 नामक एक विनियम अभिसूचित किया है। इन नए विनियमों के अनुसार पोत भंजकों को पोत भंजन गतिविधियों, बीचिंग और कटिंग की अनुमति तथा पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों एवं हाऊस कीपिंग के अनुपालन हेतु लाइसेंस करार करना होगा।

4. पोत भंजन गतिविधि को नियंत्रण विभिन्न अधिनियमों और विनियमों अर्थात् पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट विनियम 1989 यथासंशोधित 2000, एम एस आई एच सी नियम 1989, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 आदि के प्रावधानों के तहत किया जाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पोत भंजन यार्डों में प्रदूषण स्तर का समय-समय पर प्रबोधन करते हैं।

5. पोत भंजन कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में परामर्श देने का कार्य गुजरात नौवहन बोर्ड को सौंपा गया है। इस कार्य में अपशिष्ट परिमाण, लक्षण-वर्णन, उपचार एवं निपटान सुविधाओं का रूपांकन तथा परियोजना पश्चात् प्रबोधन शामिल है।

हल्दिया-पेट्रो रसायन लि० में आई.ओ.सी. की भागीदारी

3429. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया-पेट्रो केमिकल्स में आई०ओ०सी० की भागीदारी के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) ने हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि० (एच.पी.एल.) में इक्विटी सहभागिता सहित उसकी पुनर्गठन योजना में रुचि दिखाई है। आई.ओ.सी. ने यथोचित उद्यमशीलता अध्ययन पूरा कर लिया है और एच.पी.एल. के प्रमोटरों के साथ 5 जुलाई, 2001 से बातचीत शुरू हो गई है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

3430. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 14 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2850 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनिंदा मामलों में अपील दायर न करने के आधारों का ब्यौरा क्या है जिनमें एस०डी०एम०/आर०ए० वसंत विहार और हौज खास के न्यायालय द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत सुनवाई ठप कर दी गई थी और ये मामले ऐसे ही उन अन्य मामलों से किस प्रकार भिन्न हैं जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की पंचायत इकाई द्वारा अपीलें दायर की जा रही हैं/दायर की जा चुकी हैं;

(ख) उन मालों का ब्यौरा क्या है जिनमें वर्ष 2000-2001 के दौरान दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 और 86-क के अन्तर्गत सुनवाई डी०सी० दक्षिण-पश्चिमी, ए०डी०एम० दक्षिण-पश्चिमी और एस०डी०एम०/आर०ए० वसंत विहार तथा एस०डी०एम०आर०ए० हौज खास द्वारा ठप कर दी गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कोई ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत उस प्रत्येक मामले में अपील दायर की जा सके जिसमें ग्राम सभा के विरुद्ध निर्णय किया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रत्येक मामले में ग्राम सभा द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिसमें निर्णय उसके विरुद्ध दिया गया है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर कंटीली बाड़ लगाना

3431. श्री रतन लाल कटारिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के पानी को भारत की ओर मोड़ने के कारण भारत-पाक सीमा पर लगी बाड़ के उखड़ने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) रावी नदी, पंजाब सीमा के गुरदासपुर सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आड़ी-तिरछी होकर बहती है। बाढ़, बहाव में बदलाव और पाकिस्तान

द्वारा नदी के तटबंध पर रोक का निर्माण करने से उस सेक्टर में सीमा सुरक्षा को हमेशा खतरा बना रहता है।

(ख) बाढ़ संरक्षण तटबंध हेतु विशेष उपचारी निर्माण कार्यों पर एक समिति ने नदी तट का सर्वेक्षण किया है। उपर्युक्त स्थानों पर रोक खड़ी करके नदी के बहाव में किसी भी प्रकार के बदलाव को रोकने हेतु, सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

दिल्ली में जल प्रदूषण

3432. श्री महेश्वर सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में पीने का पानी अत्यधिक प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्य सरकार का विचार दिल्ली के निवासियों को प्रदूषणमुक्त पीने का पानी संयुक्त रूप से मुहैया कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली में उनके द्वारा सप्लाई किया गया पेय जल प्रदूषित/दूषित नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जा रही है कि पीने के पानी की गुणवत्ता पीने योग्य, स्वास्थ्यवर्धक और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं का उत्पादन और निर्यात

3433. श्री राजो सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान और आज तक विभिन्न रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मात्रावार और किस्मवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(i) उर्वरकों के मात्रावार तथा किस्मवार उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) कीटनाशियों के मात्रावार और किस्मवार उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) (i) उर्वरकों के निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ii) कीटनाशियों के निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

2000-2001 और अप्रैल-जुलाई 2001 के दौरान उर्वरकों का उत्पाद वार उत्पादन

('000' मी०टी० में)

उत्पादक का नाम	उत्पादन 2000-01			उत्पादन अप्रैल-जुलाई, 2001		
	मात्रा	नाइट्रोजन	फास्फेट	मात्रा	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3	4	5	6	7
यूरिया	19650.9	9039.4	0.0	6058.2	2786.8	0.0
ए/एस	597.8	125.5	0.0	181.6	38.1	0.0
सीएएन	245.4	61.4	0.0	59.3	14.8	0.0
ए/सी	102.3	25.6	0.0	13.4	3.4	0.0

1	2	3	4	5	6	7
डीएपी	4848.9	880.0	2248.9	1350.0	243.0	621.0
एसएसपी	2762.3	0.0	442.0	901.8	0.0	144.3
20:20	1555.3	311.1	311.1	497.6	99.5	99.5
15:15:15	300.2	45.0	45.0	111.0	16.7	16.7
एएनपी (20.8:20.8)	251.9	52.4	52.4	77.0	16.0	16.0
17:17:17	622.8	105.9	105.9	111.8	19.0	19.0
10:26:26	517.8	51.8	134.6	173.3	17.3	45.1
12:32:16	493.5	59.2	157.9	194.4	23.3	62.2
14:35:14	150.7	21.1	52.7	25.2	3.5	8.8
19:19:19	252.7	48.0	48.0	95.6	18.2	18.2
28:28	241.6	67.6	67.6	74.1	20.7	20.7
16:20	198.1	31.7	39.6	47.3	7.6	9.5
23:23	144.3	33.2	33.2	69.8	16.1	16.1
14:28:14	15.0	2.1	4.2	5.7	0.8	1.6
योग :	32991.7	10961.0	3743.1	10047.1	3344.8	1098.7

लेजेन्ड:

ए/एस—अमोनियम सल्फेट ए/सी—अमोनियम क्लोराइड सीएएन—कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट

डीएपी—डाई अमोनियम फास्फेट एसएसपी—सिंगल सुपर फास्फेट

विवरण-II

तकनीकी तंत्र के कीटनाशकों का उत्पादन तथा स्थापित क्षमता

यूनिट : टन

क्र० सं०	उत्पाद	स्थापित क्षमता	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
	तकनीकी कीटनाशक/इन्सेक्टिसाइड्स			
1.	बी०एच०सी०(13% गामा)	37000	0	0
2.	डी०डी०टी०	4147	3638	3786
3.	मालाथियोन	9450	5894	5103
4.	पेराथियन मिथाइल	4000	1860	1979
5.	फनिट्रोथियॉन	0	0	0
6.	डाईमिथोएट	810	1447	822
7.	डी डी वी पी	3920	2496	2648
8.	क्यूनालफोस	5580	2218	1569

1	2	3	4	5
9.	मोनोक्रोटोफोस	16150	9522	8118
10.	फोस्फामिडोन	5700	3234	113
11.	फोरेट	7550	6140	6044
12.	इथियॉन	1537	3383	3456
13.	एंडोसल्फान	10100	8287	7462
14.	फेनवालेरेट	2130	1394	1153
15.	साइपरमेथ्रिन	4640	3741	3388
16.	एनिलोफोस	600	900	800
17.	एसीफेट	4800	2884	3347
18.	क्लोरपायरिफोस	10340	7513	7000
19.	फोसालोन	1000	514	583
20.	मेटासिसटोक्स	0	744	583
21.	अबाटे	170	185	` 36
22.	फेनथियॉन	0	155	189
23.	ट्राइजाफोस	0	845	750
24.	लिन्डेन	1275	1107	473
25.	टेमीफोस	100	6	176
26.	डेल्टामेथ्रिन	250	104	134
27.	एल्फामीथ्रिन	360	361	115
	योग	137179	68572	59827
	फंगीसाइड			
28.	केप्टान व केपटाफोल	384	0	0
29.	थिराम	1215	900	104
30.	जिराम	200	35	38
31.	कारबेन्डाजिम	11000	10323	9889

1	2	3	4	5
32.	केलिक्सिन	1500	219	0
33.	मानकोजाब			
34.	कोप्परोक्सीक्लोराइड			
	योग	16279	12602	12115
	खरपतवारनाशी			
35.	2, 4-डी	2880	1348	1150
36.	बूटाक्लोर	900	706	700
37.	मेटामिट्रॉन	500		510
	योग	3780	2054	2360
	अपतृणनाशी			
38.	आइसोप्रोटुरोन	8538	4610	4500
39.	बासालिन	300	0	0
40.	ग्लाइफोसेट	1800	1676	728
41.	पाराक्यूएट	4000	1374	1400
42.	एट्राजाइन	40	128	14
43.	फ्लूक्लोरालीन	300	154	50
	योग	14978	7942	6692
	कृन्तकनाशी			
44.	जिंक फोस्फाइड	860	474	615
	योग			
	प्रधूमक/फ्यूमिगैंट्स			
45.	एलुमिनियम फोस	2300	1842	2463
46.	मिथायल ब्रोमाइड	300	100	60
47.	डाइकाफोल	150	124	106
	योग	2750	2066	2629
	कुल योग	138826	93710	84238

विवरण-III

(ग) (i) *2000-01 और अप्रैल-जुलाई, 2001 के दौरान उर्वरकों का निर्यात*

कंपनी का नाम	निर्यात उर्वरक का नाम	उस देश का नाम जिसे निर्यात किया गया है	मांग जिसके लिए 2001-01 दौरान और 31.7.2001 तक के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र (एम टी)	**2000-01 के दौरान 31.7.2001 तक निर्यातित वास्तविक मात्रा (एम टी)
आई पी एल	एमओपी	बंगलादेश	35,000	12840
रामा फास्फेट्स लि०	एसएसपी	नेपाल	10,000	2158.65
श्री एसिड्स एंड केमिकल्स लि०	एसएसपी	श्रीलंका	500	200
टी फास्फेट कं० लि०	एसएसपी	नेपाल	10,500	शून्य
इफको	यूरिया	नेपाल	शून्य	38349.9*
नंद किशोर एंड संस	एसएसपी	नेपाल	2000	शून्य
आर सी एफ	एनपीके (15:15:15)	शारजहां	40	40
एमएमटीसी	यूरिया	नेपाल	शून्य	4680**
साना इंटरनेशनल लि०	एसएसपी	इंडोनेशिया	5000	उपलब्ध नहीं

* 60,000 एम टी यूरिया के लिए 1999-2000 के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया।

** 6000 एम टी यूरिया के लिए 1999-2000 अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। शेष मात्रा का 2000-01 के दौरान पुनः वैधीकरण किया गया।

विवरण-IV

कीटनाशियों का निर्यात

क्र० सं०	उत्पाद	1999-2000		2000-2001	
		मात्रा मी०टी०	मूल्य रु० लाख	मात्रा	मूल्य (अप्रैल-दिस०)
1	2	3	4	5	6
I.	**कीटनाशी**				
1.	एल्ड्रिन	377.5	1263.8	487	1778

1	2	3	4	5	6
2.	एलुमिनियम फास्फाइड	632.4	2146.5	660	2327
3.	कैल्सियम साइनाइड	1.3	4.4	—	—
4.	क्लोरडेन	40	6.6	—	—
5.	डी डी वी पी	187.1	255.6	114.5	287.6
6.	डीडीटी	16.4	8.6	64	31
	डीडीटी (2903.62)	49.2	32.6	26	6
7.	बीएचसी.	20.2	12.1	28	55
8.	लिंडेन	280.4	734.6	62.4	194
9.	पेराथियनमिथाइल	111.5	208.6	47.6	126.6
10.	डाइमेथोएट (तक.)	296.9	505.3	55	88
11.	मालाथियान	2806.0	2480.9	1967	1806
12.	एंडोसल्फान	3433.8	7747.0	1997	4332.5
13.	क्विनेलफास	204.7	445.2	215	556
14.	आईसोप्रोटयूरॉन	1499.8	2730.3	1658.6	3105
15.	साइप्रमेथ्रिन (तक.)	3773.1	15857.3	3161	11772
16.	एलट्रिन	218.1	1160.6	85.5	377
17.	सिंथेटिक पाइरीथ्रम	10.1	8.8	8	50
18.	फेनथियन	—	—	3	32.6
19.	अन्य	15689.3	53750.8	13873	46036.6
II.	**फंगीसाइड्स**				
1.	मेनेब सोडियम पेंटा	347.6	342.8	243	299
2.	क्लोरोफीनेट	493.2	463.3	294	226
3.	थिराम	21.0	17.8	25	22
4.	अन्य	3589.3	3801.9	3989	4152

1	2	3	4	5	6
III.	**हर्बिसाइड्स**				
1.	क्लोरोमिथाइल फेनोक्सी एसिटिक एसिड	108.3	405.6	10.5	29
2.	2, 4डी	1865.3	1373.5	734	631
3.	अन्य वीडीसाइड्स एवं वीड मारक एजेंट	619.0	943.9	1668	2183
IV.	**डिसइन्फेक्टेंट**	119.4	1050.7	604	310
V.	**रोडेन्टिसाइड्स**				
1.	कीटनाशियों के लिए रिपेलेट	311.5	659.2	542	640
2.	अन्य	944.4	1991.4	293	227

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

3434. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को मुनाफे वाला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को चालू रखने हेतु अपेक्षित निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला नियंत्रक कार्यालयों का बंद किया जाना

3435. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में कोयला नियंत्रक के कार्यालय बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० की अनुषंगी इकाइयों में पदों की संख्या में कटौती करने के सरकार के निर्णय से कर्मचारियों और कामगारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० के कर्मचारियों को नियोजित करके कोयले का नमूनाकरण तथा विश्लेषण किए जाने के लिए स्थापित कोयला नियंत्रक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्च, 2001 में बंद कर दिया गया है। तथापि, कोलकाता में कोयला नियंत्रक के प्रधान कार्यालय तथा धनबाद में इसके शाखा कार्यालय को बंद नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) बी०सी०सी०एल०, सी०सी०एल० तथा ई०सी०एल० में अधिशेष श्रमशक्ति के युक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) के कार्यान्वयन हेतु सहायतार्थ अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। जनवरी, 2001 तक, वी०आर०एस० के अंतर्गत 505.00 करोड़ रु० प्रदान किए जा चुके हैं तथा बी०सी०सी०एल०, सी०सी०एल० तथा

ई०सी०एल० में 24,877 व्यक्तियों ने वी०आर०एस० का लाभ उठाया है। वर्ष 2001-02 के दौरान, कोल इंडिया लि० की इन 3 सहायक कंपनियों में वी०आर०एस० के अंतर्गत 11,500 व्यक्तियों की सेवा-निवृत्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस उद्देश्य के लिए 156.99 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। वी०आर०एस० एक विशुद्ध स्वैच्छिक योजना है और इस विकल्प को चुनना कर्मचारी की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

महानदी कोलफील्ड्स लि० के तहत कोयला खानों को बंद किया जाना

3436. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि० के तहत अनेक कोयला खानें बंद कर दी गई और उनमें उत्पादन रोक दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी कोयला खानों को बंद कर उनमें काम रोक दिया गया;

(ग) इन खानों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) महानदी कोलफील्ड्स लि० में वर्ष 2000-2001 के दौरान किसी खान को बंद नहीं किया गया और उत्पादन बंद नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा

3437. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) राज्य-वार अब तक कितने स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू हो गई है; और

(ग) इन स्कूलों का किस ढंग से वित्तपोषण और प्रबंधन किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों द्वारा स्कूलों में कंम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। भारत सरकार ने कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन' के अन्तर्गत अब तक 4251 स्कूलों को शामिल किया जा चुका है। इस योजना के तहत शामिल किए गए स्कूलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। 'स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन' नामक संशोधित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें कम्प्यूटर-शिक्षा की योजनाएं प्रस्तुत करेंगी तथा कुछ क्रियाकलापों के लिए केन्द्र सरकार की निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी।

विवरण

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन योजना के तहत शामिल किए गए स्कूलों की राज्यवार स्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन योजना के तहत शामिल किए गए स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	172
2.	अरुणाचल प्रदेश	20
3.	असम	102
4.	बिहार	123
5.	गोवा	70
6.	गुजरात	171
7.	हरियाणा	127
8.	हिमाचल प्रदेश	214
9.	जम्मू और कश्मीर	53
10.	कर्नाटक	377
11.	केरल	177
12.	मध्य प्रदेश	422
13.	महाराष्ट्र	404
14.	मणिपुर	26
15.	मेघालय	42

1	2	3
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	17
18.	उड़ीसा	117
19.	पंजाब	137
20.	राजस्थान	239
21.	सिक्किम	22
22.	तमिलनाडु	195
23.	त्रिपुरा	46
24.	उत्तर प्रदेश	434
25.	पश्चिम बंगाल	257
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	22
27.	चण्डीगढ़ प्रशासन	08
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली)	210
29.	दादरा और नगर हवेली	09
30.	दमन और दीव	04
31.	लक्षद्वीप	09
32.	पांडिचेरी	08
	कुल	4251

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा पट्टे पर भूमि, दुकानों का आबंटन

3438. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने अपनी भूमि, दुकानों और अन्य परिसरों को 99 वर्ष के पट्टे पर आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा पट्टे की अवधि में परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) पट्टे की अवधि को घटाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों पर हुआ व्यय

3439. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में नवोदय विद्यालयों पर अनावर्ती और आवर्ती कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : सूचना एकत्र की जा रही है।

महिलाओं को और अधिक शक्तियां देने हेतु योजनाएं

3440. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को और अधिक शक्तियां देने हेतु सर्वोत्तम योजनाओं की पहचान की है जो लक्षित महिला लाभभोगियों तक पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या महिलाओं पर ध्यान देने हेतु बाह्य सहायता ली जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) महिला सशक्तिकरण की प्रत्येक स्कीम का लाभ लक्ष्य-वर्ग को मिल रहा है। महिला समाख्या योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। महिला रोजगार कार्यक्रम को नार्वेजियन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवैल्पमेंट (नोराड) द्वारा सर्वोत्तम कार्य माना गया है।

(ख) स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संलग्न विवरण के क्रमांक 2 में दी गयी स्कीम को 'नार्वेजियन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवैल्पमेंट' से आंशिक सहायता प्राप्त होती

है, जब कि क्रमांक 14 में दी गयी स्कीम इफैड तथा विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित हैं।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला-विशिष्ट स्कीमें

1. महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)

यह कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य निर्धन तथा संपत्तिविहीन महिलाओं को पारंपरिक क्षेत्रों, जैसे कृषि, पशुपालन, डेरी मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामीण उद्योग, रेशमकीट पालन, सामाजिक वानिकी तथा परती भूमि विकास में कौशल तथा नई जानकारी प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादन और आयोत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। इससे उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिसमें स्व-रोजगार तथा उद्यम कौशल विकास भी शामिल है। महिला लाभार्थियों के व्यवहार्य और संगठित समूह अथवा सहकारिताएं बनाई जाती हैं। परिसंपत्ति हस्तांतरण हेतु सेवाओं का एक व्यापक पैकेज, जैसे विस्तार, निवेश, बाजार संपर्क आदि भी ऋण सुविधा के साथ-साथ उपलब्ध कराए जाते हैं।

देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम की शुरूआत से 96 परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 4,91,795 महिलाएं लाभांवित हो चुकी हैं।

2. महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड)

नार्वे की विकास सहयोग एजेंसी (नोराड) की सहायता से 1982-83 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों की महिलाओं को आमतौर पर गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने तथा इन क्षेत्रों में उनका रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुछ व्यवसाय इस प्रकार हैं : कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलैक्ट्रानिक्स, घड़ी के पुर्जे जोड़ना, रेडियो-टेलिविज़न की मरम्मत, वस्त्र तैयार करना, सचिवीय पद्धति, सामुदायिक स्वास्थ्य, कढ़ाई, बुनाई आदि। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को प्रशिक्षण-सह-उत्पादन शेड किराए पर लेने, प्रशिक्षण लागत, मशीनरी एवं उपस्कर, प्रशिक्षुओं को वृतिका और प्रशिक्षकों के पारिश्रमिक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत सहायता की अधिकतम राशि सामान्यतः 8,000/-रुपए प्रति लाभार्थी नियत की गई है।

वर्ष 1982-83 में कार्यक्रम की शुरूआत से 1850 परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं। इनसे 2.50 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा।

3. महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए दूरस्थ शिक्षा

स्व-सहायता समूह, महिला शक्ति-सम्पन्नता की प्रमुख नीतियों में से एक है। अधिकांश समूहों को बनाए रखना एक मुख्य समस्या थी और इसका प्रमुख कारण समुचित प्रशिक्षण नीति का अभाव था। महिला विकास तथा शक्ति-सम्पन्नता हेतु दूरस्थ शिक्षा परियोजना ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 2000 में चलाई गई थी।

योजना के अंतर्गत, परियोजनाओं के ग्राम-स्तरीय कार्यान्वियनकर्ताओं, उनके पर्यवेक्षकों तथा ज़िला-स्तरीय कार्यकर्ताओं में से अनेक प्रशिक्षणर्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रमाण-पत्र पाठयक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने के पश्चात् इस प्रकार के प्रशिक्षणार्थी अपने-अपने क्षेत्रों में दलों के गठन और उन्हें जारी रखने में सहायक होंगे।

इस परियोजना का कार्यान्वियन महिला एवं बाल विकास विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

4. कामकाजी महिला होस्टल

दिवस देखभाल केंद्रों सहित कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार की योजना के अंतर्गत महिलाओं/समाज कल्याण/महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा सहकारी संस्थाओं को कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि महिलाएं रोज़गार प्राप्त कर सकें तथा तकनीकी प्रशिक्षण में भाग ले सकें। इस योजना का उद्देश्य अपने घरों से बाहर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को सस्ते तथा सुरक्षित आवास प्रदान करना है। एकल कामकाजी महिलाएं, विधवाएं, तलाक शुदा एवं अलग रहने वाली ऐसी कामकाजी महिलाएं, जिनके पति शहर से बाहर हैं, इसके लक्ष्य लाभार्थी हैं। रोज़गार के लिए प्रशिक्षण पाने वाली तथा स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाली छात्राएं भी होस्टल में रहने की पात्र हैं।

5. महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास गृह

यह स्कीम पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण तथा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक ख़तरों का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए 1969 में महिलाओं और लड़कियों के लिए चलाई गई। इन गृहों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में डॉक्टरी

देखभाल, मनोचिकित्सा उपचार, केसवर्क सेवाएं, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, अनुवर्ती अनुदान के रूप में 4,01,350 तथा गैर-अनुवर्ती अनुदान के रूप में 50,000 दिए जाते हैं। विभाग द्वारा नए गृह स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा गृहों के रख-रखाव की देख-रेख राज्य बोर्डों के माध्यम से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा की जाती है।

6. **प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम**

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को बुनियादी शिक्षा और कौशल प्रदान करना तथा विधवाओं, निराश्रित, परित्यक्त महिलाओं और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को लाभ पहुंचाना था। इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिक, मिडिल, मैट्रिक परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष के तथा मैट्रिक में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष के पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 443 पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए 247.47 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया, जिससे 11,225 महिला उम्मीदवारों को लाभ हुआ।

7. **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

बालिकाओं और महिलाओं के कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति के आधार पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 1975 में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य महिलाओं को बाजार योग्य व्यापार क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना तथा उनके कौशल का विकास करना है, ताकि उनकी रोज़गार के आकर्षक अवसरों तक पहुंच बन सके और उनके आत्मविश्वास एवं आत्म प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक क्षेत्रों, जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य, पैरा-मेडिकल व्यवसाय, टंकण एवं आशुलिपि में ग्रामीण, जनजातीय, पिछड़े शहरी स्लम क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, ताकि महिलाओं को सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, निजी क्षेत्र आदि में रोज़गार प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम को आफ्टर केयर गृहों, जेल के महिला एककों और हिरासत की अन्य संस्थाओं में कार्यान्वित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के माध्यम से संगठनों की पहचान की गई तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की गई। पारंपरिक दस्तकारों के कौशल को भी उन्नत बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। यह योजना बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाओं को रोज़गार के अवसर सुलभ कराने तथा उनका सामाजिक-आर्थिक दर्जा ऊंचा उठाने का साधन है।

8. **ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता विकास परियोजनाएं**

जागरूकता प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान करना, उन्हें परिवार एवं समाज में उनकी स्थिति के बारे में जागरूक बनाना तथा उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए सक्रिय बनाना है, ताकि वे सामाजिक मुद्दों से निपट सकें। 1993-94 से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर विशेष बल दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कुछ योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय महिला कोष एवं महिला समृद्धि योजना को इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को आत्म-निर्भरता के लिए प्रेरित किया जा सके। 25 लाभान्वितों के लिए 8 दिन के शिविर में प्रासंगिक विषयों को उठाया जाता है और उसके बाद के 2 दिनों में शिविर का विस्तृत आकलन किया जाता है। लाभान्वितों एवं समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन शिविर समाप्त होने के 6 महीनों के भीतर किया जाता है। एक जागरूकता विकास परियोजना के लिए संगठन को 10,000/- रुपए की राशि दी जाती है। शिविर आयोजित करने के लिए आयोजकों का प्रशिक्षण एक पूर्व-शर्त है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्थायी समिति और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने प्रत्येक राज्य में अनेक प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान की है। प्रत्येक प्रशिक्षु पर 1000 रुपये का खर्च केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है।

9. **सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम**

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं और विकलांगों को पूर्णकालिक या अंशकालिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना और उनकी पारिवारिक आय बढ़ाना है। इसके अलावा, ज़िला-स्तर पर राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी-सह-मेलों के माध्यम से महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने एवं बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की दो अलग-अलग सहायता योजनाएं हैं, जो इस प्रकार है :

— **कृषि आधारित इकाइयां**

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए डेयरी, कुक्कुट-पालन, सुअर-पालन, बकरी-पालन

जैसी कृषि आधारित इकाइयां स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में कृषि आधारित इकाइयों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

– **उत्पादन इकाइयां**

स्वैच्छिक संगठनों को उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि महिलाओं को पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार प्रदान किया जा सके। ये परियोजना प्रस्ताव औद्योगिक केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आदि द्वारा स्वीकृत होने चाहिएं, जो परियोजना की क्षमता का पता लगाते हैं। उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड संस्था को अनुदान प्रदान करता है। प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

10. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का रख-रखाव

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड उन कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को रख-रखाव अनुदान प्रदान करता है, जिसका वेतन 16,000/-रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है। इससे कामकाजी महिलाओं को अवांछित और असामाजिक तत्वों का खतरा नहीं रहेगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के रख-रखाव के खर्च आते हैं:

1. मैट्रन एवं चौकीदार का वेतन
2. मनोरंजन सुविधा
3. होस्टल भवन के किरायों में अंतर
4. होस्टल भवन का रख-रखाव

शहर की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए एक संस्था को वर्ष में 40,000/- रु० का न्यूनतम तथा 50,000/-रु० का अधिकतम अनुदान मंजूर किया जाता है।

11. परिवार परामर्श केन्द्र

परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं और बच्चों को निवारण एवं पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करना है, जो ज्यादतियों एवं पारिवारिक असमायोजन के शिकार हैं। यह योजना 1984 से स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1990-91 में निपसिड द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया तथा 1992-93 से संशोधित योजना लागू की जा रही है। संशोधित योजना के अंतर्गत, मौजूदा परिवार परामर्श केन्द्र जारी रखने के लिए एक केन्द्र हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम एक लाख रुपये तथा नये परिवार परामर्श केन्द्र के लिए 1.15 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। दो परामर्शदाताओं, जो सामाजिक कार्य अथवा मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त होते हैं, का वेतन और आवर्ती मदों के लिए 15,000 रुपये पूर्णत: बोर्ड द्वारा वहन किये जाते हैं, जबकि अन्य आवर्ती व्यय के लिए 20 प्रतिशत खर्च संस्था को वहन करना पड़ता है।

12. महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य

महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम हेतु शिक्षा कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की यह योजना 1982 में शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, महिला अध्ययन केंद्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों एवं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिनकी गतिविधियां इस प्रकार हैं: शिक्षाप्रद पत्रिकाओं, लेखों, पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन, सर्वेक्षण, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अध्ययन, श्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कार, लघु नाटक, लघु कथा आदि ऐसी सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद, संगोष्ठी, सम्मेलन, बैठक, प्रदर्शनी, फिल्मोत्सव आदि का आयोजन, सरकारी अधिकारियों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर, कानूनी साक्षरता शिविर/अर्द्धकानूनी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली जैसे पारंपरिक कला माध्यमों का प्रयोग, शिक्षा संस्थानों में महिला विकास केंद्रों का गठन तथा महिला कैदियों को कानूनी एवं परामर्श सेवाएं आदि।

13. बालिका समृद्धि योजना

बालिका समृद्धि योजना वर्ष 1997-98 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत किसी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार में 15 अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् बालिकाओं को जन्म देने वाली माता को 500/- रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम को जून, 1999 में संशोधित किया गया है। 500 रुपए की अनुदान राशि को नवजात बालिका शिशु के नाम डाकघर/बैंक खाते में जमा कराया जाएगा तथा लड़की द्वारा कक्षा-I से कक्षा-X तक प्रत्येक वर्ष स्कूल की पढ़ाई पूरी करने पर छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जिसे उसके उसी खाते में जमा कराया जायेगा। लड़की की आयु 18 वर्ष की होने पर और तब तक अविवाहित रहने पर उसे खाते की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। यह स्कीम लड़की का स्तर ऊंचा उठाने के लिए बालिका के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने हेतु दीर्घावधि कार्यनीति है।

14. ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना (स्व-शक्ति)

एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में स्व-शक्ति परियोजना को 16.10.1998 को पांच वर्षों के लिए मंजूर किया गया था, जिसका अनुमानित परिव्यय 186.21 करोड़ रुपये है। पहले यह परियोजना ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना के नाम से जानी जाती थी। परियोजना को राज्यों में सुचारू ढंग से चलाने के लिए परियोजना अवधि के दौरान परिक्रमी निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लाभान्वित समूहों को विशेष रूप से उनके आरंभिक चरण में ब्याज सहित ऋण दिए जा सकें। परियोजना का मूल उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुदृढ़ प्रक्रियाएं और अनुकूल वातावरण बनाना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- 7400 से 12000 के बीच आत्मनिर्भर महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाना। प्रत्येक समूह में 15-20 सदस्य होंगी, जो संसाधनों पर नियंत्रण तथा पहुंच के माध्यम से महिलाओं के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाएंगी;

- सहायक एजेंसियों की संस्थागत क्षमता को कारगर तथा सुदृढ़ बनाना, ताकि वे महिलाओं की आवश्यकताओं का शीघ्रता से पता लगा सकें;

- आमदनी वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सुविधाओं तक महिलाओं की सतत् पहुंच सुनिश्चित करने हेतु स्व-सहायता समूहों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं में संपर्क विकसित करना;

- बेहतर जीवन के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुच बढ़ाना, जिसमें चाकरी कम करना तथा समय बचाने के तरीके शामिल हैं; और

- महिलाओं, विशेष रूप से गरीब महिलाओं को आमदनी वाले कामों में शामिल करके उनका आय व व्यय पर नियंत्रण बढ़ाना। इससे अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी-उन्मूलन में सहायता मिलेगी।

इस परियोजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक और बिहार राज्यों के 35 ज़िले शामिल हैं।

15. स्वयंसिद्धा

यह स्कीम, इस वर्ष मार्च में आरम्भ की गई थी। इसमें महिलाओं को शक्ति-सम्पन्न बनाने के लिए एक समेकित कार्यक्रम के अंतगर्त इंदिरा महिला योजना का पुनगर्ठन किया गया है, जिसका नाम स्वयंसिद्धा रखा गया है तथा नौवीं योजना के अंत तक इसका मौजूदा 238 ब्लॉकों से 650 ब्लॉकों तक विस्तार किया जाएगा।

समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी सशक्त महिलाओं का विकास करना है, जो परिवार, समुदाय तथा सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकें, अपनी पहुंच में वृद्धि कर सके तथा भौतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संसाधनों पर नियंत्रण रख सकें, जागरूकता तथा उन्नत कौशलों को बढ़ा सकें तथा संघटन तथा नेटवर्किंग के माध्यम से सामान्य मुद्दों को उठाने में सक्षम हो सकें।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी महिलाओं के दलों की स्थापना करना, महिलाओं के स्तर, स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, साफ-सफाई एवं आरोग्यता, कानूनी अधिकारों, आर्थिक उत्थान एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मुद्दों से संबंधित स्व-सहायता दलों के सदस्यों को जागरूक बनाना तथा उनमें विश्वास पैदा करना; ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालने को संस्थानीकृत करते हुए आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखना; अल्प-ऋण तक महिलाओं की पहुच में वृद्धि करना; स्थानीय स्तर की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी; तथा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभागों की सेवाओं का संकेन्द्रण करना है।

इस स्कीम को राज्य स्तर पर अभिनिर्धारित नोडल विभागों तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण जिला/माध्य स्तरीय पंचायत संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों अथवा सरकारी विभागों/संगठनों सहित सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन जैसा कोई भी उपयुक्त अभिकरण हो सकता है। यह परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ब्लॉक की विशिष्ट परियोजनाओं को तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित पांच तत्वों को 4-5 वर्ष हेतु समेकित परियोजनाओं में रखा जाएगा :-

- समूह बनाना/संघटन गतिविधियां;

- समुदायोन्मुख नवीन कार्यक्रम;

- नोराड, स्टेप, 'सेप' तथा ए०जी०पी० नामक महिला एवं बाल विकास विभाग की अन्य स्कीमें तथा यदि इसके लिए आवश्यक समझा जाए तो अन्य स्कीमें भी; तथा

- भारत सरकार के निदेशों अथवा राज्य सरकार की पहल के अनुसार संकेन्द्रित अन्य विभागों की स्कीमें।

अन्य मंत्रालयों/विभागों की महिला विशिष्ट स्कीमें

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना स्कीम दिनांक 1.4.1999 से लागू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, तत्कालीन कार्यक्रम, अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व-रोज़गार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, ग्रामीण शिल्पकारों को उन्नत उपकरणों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कूप स्कीम को समेकित किया गया है। यह एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें निर्धन लोगों का स्व-सहायता दलों में संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, तकनीकी तथा अवसंरचना जैसे स्व-रोजगार के समस्त घटक शामिल हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत स्व-रोजगारियों के रूप में 40 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बैंक ऋण तथा सरकारी रियायत के माध्यम से सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को आयोत्पादन पूंजी उपलब्ध करवाकर 3 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, संबंधित विभागों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तथा डी०आर०डी०ए० के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

2. **केवल लड़कियों हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र**

यह स्कीम 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु वर्ष 1983-84 के दौरान चलाई गई थी। स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते, उनकी शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करना है।

3. **महिला समाख्या योजना**

महिला समाख्या योजना महिला सशक्तिकरण की एक परियोजना है, जिसमें ऐसा वातावरण पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। जिसमें महिलाएं अपनी इच्छानुसार जानकारी और सूचना प्राप्त कर सकती हैं। इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना हैं, जिनमें महिलाएं अपनी गति के अनुसार सीख सकती हैं। समानता प्राप्त करने हेतु संघर्ष के लिए शिक्षा का महत्व महिला समाख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस स्कीम का उद्देश्य न केवल सेवाएं प्रदान करना है, बल्कि महिलाओं की परम्परागत भूमिका के बारे में समाज के और उनके अपने नजरिए में परिवर्तन लाना भी है। महिला समाख्या योजना की कार्य नीति के अनुसार ग्रामीण महिलाओं के साथ सतत् सम्पर्क बनाए रखने के लिए सरकारी संस्थाओं और स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा आयोजना तैयार करना है, ताकि शिक्षा का सिद्धांत तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने की इच्छा से दबकर न रह जाए। इसका उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संक्षिप्त पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक अर्हताओं में वृद्धि करने के लिए मौजूदा प्रयासों को समेकित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

4. **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम**

यह एक समन्वित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। यह कार्यक्रम देश में काफी समय से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व से संबंधित घटक शामिल हैं। इसमें दो अन्य घटक भी हैं। एक यौन संक्रामक रोगों का घटक और दूसरा प्रजनन मार्ग संक्रमण से संबंधित घटक। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक समेकित कार्यक्रम है, जिसमें भारत सरकार तथा बाह्य दाता अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- प्रजनन विनियमन, मातृ और बाल स्वास्थ्य के सभी अंत:क्षेपों को महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ समेकित करना ;
- ऐसी सेवाएं प्रदान करना, जो ग्राहक केन्द्रित, मांग के अनुसार, उच्च-स्तरीय और समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित हों;
- विभिन्न अंत:क्षेप प्रदान करने और स्तरीय देखभाल के लिए सुविधाओं के स्तर को बढ़ाना; और
- समाज के ऐसे कमजोर वर्गों के लिए, जिन्हें अब तक आयोजना प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, के लिए सेवाओं में सुधार।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

5. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु होस्टलों की स्कीम**

(क) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल

अनुसूचित जाति की छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिडिल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत

छात्राओं को होस्टल की सुविधा प्रदान करने के लिए होस्टल भवनों का निर्माण करना एक उपाय है। ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए इस प्रकार के होस्टल बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि ये छात्राएं मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। इस स्कीम के द्वारा अनुसूचित जाति की लड़कियों का शैक्षणिक संस्थाओं में विशेषकर स्कूल स्तर पर पर्याप्त नामांकन सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी शैक्षणिक संस्थाओं में विशेषकर स्कूल स्तर पर आदिवासी लड़कियों का पर्याप्त नामांकन सुनिश्चित करना है।

श्रम मंत्रालय

6. महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

1977 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत, महिलाओं के लिए नोएडा में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई और मुम्बई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हिसार, कलकत्ता, तूडा, मुन्नार में महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, जहां महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अर्द्ध-कुशल/कुशल श्रमिकों के रूप में उद्योगों में रोज़गार प्राप्त कर सकें अथवा व्यावसायिक संस्थाओं में अनुदेशकों के रूप में कार्य कर सकें अथवा आयोत्पादक गतिविधियों में स्व-रोजगार कार्यों में संलग्न हो सकें। इन्दौर, बड़ोदरा, जयपुर और इलाहाबाद में विश्व बैंक की सहायता से महिलाओं के लिए चार नए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बनाए जा रहे हैं।

7. राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान

(i) महिलाओं के लिए नए औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना;

(ii) नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/स्कंधों का सुदृढ़ीकरण;

इस स्कीम का उद्देश्य उद्योग/सेवा क्षेत्र/घरेलू आयोत्पादन उद्योगों और स्व-रोजगार हेतु कुशल और अर्ध-कुशल जन-शक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुणात्मक और मात्रापरक दोनों तरीकों से सुधार करना है। स्कीम का लक्ष्य महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना और महिलाओं को उद्योगों में अर्ध-कुशल कामगारों के रूप में रोज़गार प्राप्त करने के योग्य बनाना है।

8. विकलांग महिलाओं का व्यावसायिक पुनर्वास

इस स्कीम का उद्देश्य विकलांग महिलाओं को प्रशिक्षण, नौकरियां और स्व-रोजगार सेवाएं प्रदान करके उनके शीघ्र पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन 17 स्थानों पर विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं। बड़ौदा में चलाया जा रहा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र केवल महिलाओं के लिए है तथा अन्य केन्द्रों में विकलांग पुरुषों और महिलाओं दोनों को सहायता प्रदान की जाती है।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इस बात को मानते हुए कि संतुलित विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और इससे जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और इससे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, तथा रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना (1981) में महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नाम एक स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन-स्तर, कार्य की परिस्थितियों में सुधार करके और लाभदायक रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी अनुकूलन को बढ़ावा देना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं विकास में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना है।

असम में "कपार्ट" द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

3441. श्रीमती रानी नरह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम में "कपार्ट" द्वारा प्राप्त/कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई और उनके द्वारा अब तक कितनी धनराशि का गैर-सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार उपयोग किया गया;

(ग) आज की तारीख के अनुसार राज्य के कितने प्रस्ताव "कपार्ट" के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) सरकार द्वारा राज्य की शेष परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं.

(ङ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की जानकारी प्राप्त हो गई है. और

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का जिला-वार, गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कपार्ट द्वारा कार्यान्वित/प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित की गई धनराशि और उनके द्वारा अब तक (गैर-सरकारी संगठन वार और परियोजना वार) उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II के विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आज की तारीख तक कपार्ट के पास असम के 11 परियोजना प्रस्ताव लंबित हैं।

(घ) जैसे ही कपार्ट के परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा डेस्क मूल्यांकन और वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन की औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, इन प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु संबंधित राष्ट्रीय स्थायी/क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(ङ) और (च) जी, हां। नियुक्त परियोजना मूलयांकनकर्त्ताओं द्वारा परियोजना के विभिन्न स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की जाती है जैसे वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान मध्यावधि मूल्यांकन और परियोजना पूरा होने के बाद परवर्ती मूल्यांकन। चूंकि परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है, इसलिए उपलब्धियां भी अलग-अलग हैं।

विवरण-I

असम

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त परियोजनाओं की सं०	अनुमोदित परियोजनाओं की सं०
1.	1998-99	83	27
2.	1999-2000	58	20
3.	2000-2001	48	15
4.	2001-02 (आज तक)	10	06

विवरण-II

असम (1998-1999)

(रुपये में)

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते	योजना	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	संपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजना डिबेचारा, बरमा डेवलपमेंट ब्लॉक नलवाड़ी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	4,60,431	4,60,431	4,60,431
2.	सेंटर फॉर यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट, बेंगटॉल, बुगांईगांव	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	5,23,950	5,23,950	5,23,950
3.	बीबीरी जुगापू अफथअदाला गांव-बारअदाला, धमधमा, नलवाड़ी	सी०आर०एस०पी०	1,10,000	1,10,000	1,10,000
4.	देशबंधु क्लब बेहारा, बेहारा बाजार	सी०आर०एस०पी०	1,71,600	1,71,600	1,71,600
5.	चांनमरी यूथ क्लब, लीलाचीला,	सी०आर०एस०पी०	3,01,400	3,01,400	3,01,400

1	2	3	4	5	6
6.	गांव उन्नयन संघ, दक्षिण बाजेरा, जंजीजॉग, नलवाड़ी	सी०आर०एस०पी०	1,10,000	1,10,000	1,10,000
7.	शांति साधना आश्रम, शांतिवन, वशिष्ठ, गुवाहाटी कामरूप	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास	3,05,500	3,05,500	3,05,500
8.	शांति साधना आश्रम, शांतिवन, वशिष्ठ, गुवाहाटी कामरूप	त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5,54,300	5,07,900	5,07,900
9.	मानव शक्ति जागरण, गोपाल बाजार, नलवाड़ी	जवाहर रोजगार योजना	7,57,500	7,57,500	7,57,500
10.	ग्राम लोक सेवा संघ, धमधमा, नलवाड़ी	लाभार्थियों का संगठन	1,44,400	1,44,400	1,44,400
11.	ड् नी पो लो यूथ सोसायटी कोजी विला, उत्तर लखमीपुर	लाभार्थियों का संगठन	1,24,180	1,24,180	1,24,180
12.	वेलफेयर ऑर्गे० फॉर दी डिग्रे० वोमेन इन्फेन्टस एंड चाइल्ड इन्हैंसमेंट एंड इन लाइटेंनिंग, लक्षी बौंड, अलगापुर	जनसहयोग	6,49,589	6,49,589	6,49,589
13.	संपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजना, डिबेचारा, बरमा डेवलपमेंट ब्लॉक नलवाड़ी	जनसहयोग	6,60,000	2,15,600	2,15,600
14.	नारायणपुर आंचलिक ग्रामदन संघ चतिया दलानी, माधवपुर	जनसहयोग	7,70,000	4,40,000	2,20,000
15.	गौरी पुर विवेकानन्द क्लब, वार्ड न० 3, गौरीपुर	जनसहयोग	4,66,400	4,66,400	4,66,400
16.	रघुरटुक क्लय लाइब्रेरी, पाठरकंडी, करीमगंज	जनसहयोग	2,31,000	2,31,000	2,31,000
17.	टुकुर बाजार महिला समिति, टुकुर बाजार, आसल कंडी	जनसहयोग	2,59,600	2,59,600	2,59,600
18.	एकार्ड, हरपुरचौक, पाठशाला, बरपेटा	पंचायती राज	52,000	52,000	52,000
19.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जवाहर नगर, गुवाहाटी, कामरूप	सोशल एनिमेटर्स	1,00,846	1,00,846	1,00,846

1	2	3	4	5	6
20.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जवाहर नगर, गुवाहाटी, कामरूप	सोशल एनिमेटर्स	56,900	56,900	56,900
21.	एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जोरहाट	सोशल एनिमेटर्स	24,143	24,143	24,143
22.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, सारंगिया, गुवाहाटी, कामरूप	सोशल एनिमेटर्स	8,52,500	4,59,000	4,59,000
23.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप, वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	सोशल एनिमेटर्स	45,000	45,000	45,000
24.	नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनजमेंट, जवाहर नगर, गुवाहाटी	सोशल एनिमेटर्स	44,000	44,000	44,000
25.	शांति साधना आश्रम, बेलतला, गुवाहाटी	सोशल एनिमेटर्स	39,000	39,000	39,000
26.	ब्लू क्रॉस सोसायटी, गुवाहाटी	सोशल एनिमेटर्स	10,446	10,446	10,446
27.	रूरल वालून्टोयर्स सेन्टर, अकाजान	सोशल एनिमेटर्स	50,000	50,000	50,000

असम (1999-2000)

(रुपये में)

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते	योजना	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्यूनिटी सेंटर, सिपाझर, दरांग	लाभार्थियों का संगठन	20,980	20,980	20,980
2.	सेंटर फॉर डेव० एक्शन एंड एप्रोप्रिएट टैक्नोलॉजी, जू नारंगी रोड, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	52,000	52,000	52,000
3.	ब्यूरो ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेव०, सरवती आपार्ट०, राजगढ़ रोड, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	65,654	65,654	65,654
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप, वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	55,815	55,815	55,815
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप, वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	42,500	42,500	42,500

1	2	3	4	5	6
6.	नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जवाहर नगर, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	36,300	36,300	36,300
7.	मार्डन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री समिति, इरालीगुल	जनसहयोग	4,94,710	1,65,736	1,65,736
8.	तेजपुर जिला महिला समिति, तेजपुर जिला-सोनीतपुर	जनसहयोग	3,32,100	1,65,100	1,65,100
9.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्यूनिटी सेंटर, सिपाझर, दरांग	जनसहयोग	4,40,000	4,40,000	4,40,000
10.	पहुमारा आंचलिक रूरल डेव० एसो०, भवनीपुर, बारपेटा	जनसहयोग	2,97,860	1,49,100	1,49,100
11.	सोदो असोम पत्थर परिचालिनस समिति, बी०के काकोटी रोड	जनसहयोग	3,61,240	3,61,240	3,61,240
12.	डू नी पो लो यूथ सोसायटी कोजी विला, उत्तर लखीमपुर	जनसहयोग	8,22,399	5,28,069	1,07,569
13.	देश भक्त रूरल डेव० एसो०, भक्तरडाबा बाजार, नालीगांव	जनसहयोग	8,57,040	8,57,040	8,57,040
14.	आटा भोकामरी सोसायटी डेव० एसो०, आटा भोकामरी, पकाबेतबाड़ी	जनसहयोग	7,98,275	7,98,275	7,98,275
15.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिसर, जनिया, बारपेटा	जनसहयोग	5,46,530	5,46,530	5,46,530
16.	तमुलपुर आंचलिक ग्रामदन संघ, कुमर काटा नलबाड़ी	जनसहयोग	9,00,470	4,60,530	4,60,530
17.	सेंटर फॉर यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट, बेंगटॉल, बुगांईगांव	जनसहयोग	5,87,400	5,87,400	5,87,400
18.	सेल्समेन ऑफ डाबकास्को सेक्रेड हर्ट कालेज, मावलत	जनसहयोग	5,87,400	निकाल लिया गया	—
19.	ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन एंड पोपुलेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2,67,250	वही	—
20.	वेलफेयर इंस्टीट्यूटा ऑफ हैंडीकैप्ड, आर०जी० बरूआ रोड, गुवाहाटी	अक्षम	50,000	50,000	50,000

असम (2000-2001)

(रुपये में)

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते	योजना	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	डू नी पोलो यूथ सोसायटी कोजी विला, उत्तर लखीमपुर	लाभार्थियों का संगठन	40,317	40,317	40,317
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	59,038	59,038	59,038
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप वशिष्ठ, चरियाली, लालमाटी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	53,856	53,856	53,856
4.	रूरल वालून्टीयर्स सेन्टर, अकाजान, धीमाजी	लाभार्थियों का संगठन	4,61,300	2,04,300	2,04,300
5.	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज, आश्रम रोड, उल्लूबाडी, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	1,19,400	मंजूरी वापस ले ली गई	—
6.	सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, खानपाडा, गुवाहाटी	लाभार्थियों का संगठन	2,76,000	2,76,000	2,76,000
7.	ग्रीनहर्ट नेचर क्लब, वार्ड न० 6, बाजार, कोकराझार	जनसहयोग	2,38,250	1,19,125	1,19,125
8.	निज जराबारी जनकल्याण ग्रामोद्योग उन्नयन समिति, कुमार गांव अटिकुची	जनसहयोग	79,890	79,890	79,890
9.	बरनीबारी युवक संघ, बरनीबारी, नलवाड़ी	जनसहयोग	8,53,575	8,53,575	8,53,575
10.	सिपाझर डायमंड क्लब कम्यूनिटी सेंटर, सिपाझर, दरांग	जनसहयोग	3,60,300	1,32,025	1,32,025
11.	आंचलिक ग्राम उननयन परिसर, जनिया, बारपेटा	जनसहयोग	5,35,840	2,52,770	2,52,770
12.	गौरी पुर विवेकानन्द क्लब, वार्ड न० 3, गौरीपुर	जनसहयोग	8,37,340	4,18,670	प्रगति रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।
13.	रूरल वोमन अपलीफ्टमेंट एसो० ऑफ असम, जपोरीगौग हाईस्कूल, सुन्दरपुर, गुवाहाटी	जनसहयोग	4,35,750	57,500	57,500

1	2	3	4	5	6
14.	देवरी जागरण महिला समिति, आदर्श देवरी गांव	जनसहयोग	85,000	85,000	85,000
15.	राजीव ओपन इंस्टीट्यूट अंबिकापट्टी सिलचर	जनसहयोग	8,29,000	3,57,000	2,00,000

असम (2001-2002) आज तक

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते	योजना	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1.	आदिवासी बैपटिस्ट चर्चेज एसो० ऑफ असम, दावाबिल, छोटनीलबारी, कोकराझार	जनसहयोग	2,53,200	1,26,600	हाल ही में रिलीज किए गए
2.	गांव उन्नयन संघ, दक्षिण बाजेरा, जंजीजॉग, नलवाड़ी	जनसहयोग	1,35,000	अभी तक रिलीज नहीं की गई	—
3.	असम गो सेवा समिति, बेलतला, गुवाहाटो	जनसहयोग	93,120	अभी तक रिलीज नहीं की गई	—
4.	सेविका निकेतन, कुमारी काटा, तामुलपुर, नलवाड़ी	जनसहयोग	4,80,000	अभी तक रिलीज नहीं की गई	—
5.	चांनमारी यूथ क्लब, चानमारी, लीलीचिला, करीमगंज	जनसहयोग	2,12,920	अभी तक रिलीज नहीं की गई	—
6.	टाटा इनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 503, ओरिएन टावर्स क्रिश्चन बस्ती, गुवाहाटी	वाटरशेड	2,00,000	2,00,000	हाल ही में रिलीज किए गए

भूकम्पीय केन्द्रों की स्थापना

3442. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से सलेम में भूकम्पीय सर्वेक्षण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे देश में भूकम्पीय सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिलाधीश, सालेम के कार्यालय में अस्थायी तौर पर भूकम्पीय वेधशाला की स्थापना की है। यह वेधशाला सितम्बर, 1999 से कार्य कर रही है और वेधशाला की स्थायी रूप से स्थापना करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से उपयुक्त क्षेत्र/भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो कि देश में भूकम्प गतिविधि के अनुवीक्षण हेतु एक मुख्य एजेन्सी है, वर्तमान में, पूरे देश में 57 भूकम्पीय केन्द्रों को नेटवर्क चलाता है। इसके अतिरिक्त,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से देश में विभिन्न स्थानों पर 38 वेधशालाएं परियोजना स्तर पर कार्य कर रही हैं। राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूकम्पीय वेधशालाओं की राज्य-वार सूची

1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	4
4.	असम	7
5.	बिहार	4
6.	दिल्ली	3
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	2
9.	हरियाणा	3
10.	हिमाचल प्रदेश	14
11.	जम्मू और कश्मीर	5
12.	कर्नाटक	2
13.	केरल	2
14.	लक्षद्वीप	1
15.	मध्य प्रदेश	4
16.	महाराष्ट्र	7
17.	मणिपुर	5
18.	मेघालय	2
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	1
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	1
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	3
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	4
27.	उत्तरांचल	5
28.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	95

गरीब महिलाओं के लिए आश्रय

3443. डा० वी० सरोजा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आश्रयहीन गरीब महिलाओं की खराब दशा की जानकारी है;

(ख) क्या महिलाओं के लिए रैन बसेरों के निर्माण और इनका रख-रखाव गैर-सरकारी संगठनों को देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्धन लोगों के लिए आश्रय गृहों का निर्माण इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना तथा ग्रामीण आवास हेतु ऋण-सह-आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत किया जाता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती हैं। इन आश्रय गृहों को आबंटन या तो परिवार की महिला सदस्या के नाम किया जाता है अथवा पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर। इन आश्रय गृहों के रख-रखाव का कार्य गैर-सरकारी संगठनों को नहीं दिया जाता, क्योंकि लाभार्थियों को आबंटित गृहों का रख-रखाव लाभार्थी स्वयं बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

3444. श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब भी केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने इन दिशानिर्देशों को स्वीकार नहीं किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से अन्य कदम उठाए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका (सी०डब्ल्यू०पी०) सं० 4771/93-कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार में केन्द्र सरकार को दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की अपनी नीति बताने का निर्देश दिया था। तदनुसार अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-2-2001 के आदेश द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित की जा सकने वाली कॉलोनियों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से उन कालोनियों की सूची देने का अनुरोध किया गया है जिन्हें नियमित किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) जी नहीं। तथापि, दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री ने केन्द्रीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री को दिनांक 12.7.2001 को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश, मंत्री परिषद, दिल्ली सरकार और दिल्ली विधान सभा द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप नहीं है और इसलिए 31.3.98 तक बनी अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की सिफारिश की गई है।

केन्द्रीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री ने शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सरकार को 7.8.2001 को उत्तर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उनके पत्र में अभिव्यक्त सभी विचारों को, दिशानिर्देश तैयार करते समय पहले ही ध्यान में रखा गया है। उन्हें न्यायालय के दिनांक 27.2.2001 के निर्देश के तहत नियमित की जाने वाली कालोनियों की सूची भेजने का भी अनुरोध किया गया है।

अन्नपूर्णा योजना

3445. श्री नरेश पुगलिया :
श्री कोलुर बसवनागौड :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य-वार कितने व्यक्तियों की पहचान की गई है;

(ख) क्या पहचाने गए सभी व्यक्तियों को योजना के तहत लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के तहत अब तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को लाया गया है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां आबंटित की गई है;

(च) क्या कुछ राज्यों, विशेषत: कर्नाटक ने केंद्र से योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अनुदान बढ़ाने की मांग की थी; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के राज्यों ने यह जानकारी दी है कि वे अन्नपूर्णा योजना कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इस योजना को कार्यान्वित कर रहे राज्यों द्वारा पहचाने गए और इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों का पता लगा रहे हैं और इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और जल्द ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य ने प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रति माह खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ाने की मांग नहीं की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने खाद्यान्न की मात्रा को प्रति माह 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम का अनुरोध किया है। राज्य को यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार इस योजना में उचित संशोधन करने पर विचार कर रही है।

विवरण-I

अन्नपूर्णा योजना

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहचाने गए/शामिल किए गए व्यक्तियों की सं०
1.	आन्ध्र प्रदेश	93200
2.	केरल	44980
3.	उड़ीसा	51002
4.	मिजोरम	1000
5.	नागालैंड	2600
6.	राजस्थान	53869
7.	सिक्किम	2411
8.	त्रिपुरा	10972
9.	उत्तर प्रदेश	195432
	कुल	455466

विवरण-II

वर्ष : 2001-02

(रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	93642611
2.	बिहार	111620187
3.	छत्तीसगढ़	21366334
4.	गोवा	602987
5.	गुजरात	29693739
6.	हरियाणा*	
7.	हिमाचल प्रदेश	5105286
8.	जम्मू व कश्मीर	6847248
9.	झारखण्ड*	36808311
10.	कर्नाटक	
11.	केरल	30135930
12.	मध्य प्रदेश	58897881
13.	महाराष्ट्र	89751204
14.	उड़ीसा	43415034
15.	पंजाब	8348014
16.	राजस्थान	63624292
17.	तमिलनाडु*	
18.	उत्तर प्रदेश	211491140
19.	उत्तरांचल	8510569
20.	पश्चिम बंगाल	64104174
21.	अण्डमान निकोबार	375192
22.	चण्डीगढ़	294793
23.	दादरा व नगर हवेली	254594
24.	दमन व दीव	53598
25.	दिल्ली	5386680
26.	लक्षद्वीप	40199
27.	पाण्डिचेरी	1058576
	उप-योग	891428573

1	2	3
	पूर्वोत्तर राज्य	
28.	अरूणाचल प्रदेश	3989659
29.	असम	57763322
30.	मणिपुर	7198732
31.	मेघालय	7762489
32.	मिजोरम	2168293
33.	नागालैण्ड	5637561
34.	सिक्किम	2081560
35.	त्रिपुरा	12446001
	उप-योग	99047617
	कुल	990476190

*आबंटित नहीं।

[हिन्दी]

सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों का दर-सूची

3446. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के संबंध में अपने विभाग के सभी उप-मंडलों का कम्प्यूटर फ्लॉपियों पर नवीनतम दर सूची उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये फ्लॉपियां कब तक प्रदान किए जाने की संभावना हैं;

(घ) क्या यह सच है कि फ्लॉपियों की अनुपलब्धता के कारण अनुबंध राजभाषा हिन्दी में तैयार नहीं किए जा रहे हैं और राजभाषा अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) केन्द्रीय निर्माण विभाग (कोलोनिवि) दरों की अनुसूची की कंप्यूटर फ्लापी विभाग में पहले ही उपलब्ध है। दरों की कंप्यूटर फ्लापियां विभाग के उपमण्डलों को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं क्योंकि उपमण्डलों को अभी कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने हैं। कोलोनिवि का कंप्यूटरीकरण दो चरणों में किया जा रहा है। फेज-I और II में, जिनमें कार्य चल रहा है, मण्डल स्तर तक कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। उपमण्डलों के कंप्यूटरीकरण का कार्य, फेज-II पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। उपमण्डलों को कंप्यूटर उपलब्ध होते ही उपमण्डल स्तर पर फ्लापियों के साफ्टवेयर मुहैया कराए जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी नहीं। मानक संविदा फार्म हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। मात्राओं की अनुसूची और विशेष शर्तें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। कंप्यूटरीकरण होने पर इन्हें भी द्विभाषी उपलब्ध कराया जाएगा।

महासागर विकास हेतु संसाधन

3447. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महासागर विकास की उपयोगिता के मद्देनजर इसको उपलब्ध कराए गए संसाधनों से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महासागर विकास विभाग की आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता दी है;

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बढ़ते समुद्र तल के कारण महासागर विकास का काम प्रभावित होने की आशंका है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत सरकार की नौवीं पंचवर्षीय योजना के संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अन्तर्गत महासागर विकास विभाग को नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आबंटित 510 करोड़ रुपये का परिव्यय संतोषजनक है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) महासागर विकास विभाग वैश्विक जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन के परिणामस्वरूम समुद्र स्तर में वृद्धि की ज्वार प्रमापियों के नेटवर्क द्वारा निगरानी कर रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमानों से जुड़ी अनिश्चितता को ध्यान में रखकर वर्तमान में किया गया अधिकांश कार्य मुख्य रूप से अनुसंधान प्रकृति का है।

दिल्ली में अवैध/अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण

3448. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री बलराम सिंह यादव :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अवैध/अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अवैध/अनधिकृत निर्माणों को नहीं हटाए जाने और अतिक्रमणों को नहीं गिराए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकारी एजेंसियों ने स्लमों, दुकानों, गोदामों, फार्म-हाउसों, रिहायशी मकानों आदि के अवैध/अनधिकृत निर्माणों को हटाने और अतिक्रमणों को गिराने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार, एजेंसी-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस काम पर सरकार ने कितना व्यय किया;

(च) क्या प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दिल्ली में अवैध/अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

स्क्रैप स्टील को पुन: उपयोग में लाया जाना

3449. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्क्रैप स्टील, विशेषत: पोतों को तोड़े जाने से निकलने वाले स्क्रैप स्टील को पुन: उपयोग में लाए जाने को बढ़ावा देने के लिए एक नया स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन को निधियां प्रदान करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिए फ्लैटों का निर्माण

3450. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य के लिए निधियों का प्रबंध किस प्रकार किए जाने का इरादा है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) यह मंत्रालय, गुजरात सहित राज्यों

में आपदा राहत के लिए प्रत्यक्ष रूप से न तो मकानों का निर्माण करता है और न ही प्रत्यक्ष रूप से धन जारी करता है। तथापि, आवास और नगर विकास निगम (हडको), जो इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने गुजरात में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मकानों के निर्माण तथा अवस्थापना के लिए गुजरात सरकार को 1500 करोड़ रु० की ऋण सहायता का प्रस्ताव किया है।

(ग) सरकार ने हडको को गुजरात में पुनर्वास कार्यों के वित्तपोषण के लिए कम लागत पर धन जुटाने हेतु 1500 करोड़ रु० तक के टैक्स फ्री बांड जुटाने की अनुमति प्रदान की है।

(घ) गुजरात भुकंप के प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करना गुजरात राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, यह मंत्रालय हडको और भवन निर्माण व प्रौद्योगिकी संवर्द्धन जैसी अपनी एजेंसियों के मार्फत राज्य सरकार को प्रौद्यो-वित्तीय तथा प्रौद्यो-विधिक सहायता मुहैया करा रहा है।

उल्फा की गतिविधियां

3451. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने उपरी असम में बंदूक की नोक पर बोडो युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उल्फा के इन प्रयासों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

"सेल" में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3452. श्री जी० गंगा रेड्डी :
श्री ताराचंद साहू :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत सेवानिवृत्ति के लिए कितने कर्मचारियों का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) सेल ने 1998 और 1999 के दौरान स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाएं (वी आर एस) चलाई थीं जिनके परिणामस्वरूप क्रमशः 5975 और 13617 कर्मचारी पृथक किए गए।

(ख) चालू वर्ष के दौरान लगभग 6,500 कर्मरचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का लाभ उठाने की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार की पहले से ही स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना मौजूद है और इस योजना को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वित्त मंत्री ने 28.02.2001 को अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की थी कि "अधिशेष कर्मचारियों को पुनः तैनात करने और पुनः प्रशिक्षित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन सरप्लस पूल को व्यवस्थित और सुसंपन्न किया जाएगा। सरप्लस पूल में कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना पैकेज देने की भी पेशकश की जाएगी।"

सरकार ने इस घोषणा के अनुसरण में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) में कार्रवाई शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय बाल आयोग

3453. श्री के० येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बाल आयोग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के समन्वय हेतु क्या व्यवहारिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करने संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक के मसौदे को सभी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है और इस पर 14 अगस्त, 2001 तक उनकी टिप्पणियां व विचार मांगे गए हैं।

आयोग के निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:-

- मौजूदा बाल कानूनों के समुचित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।
- बच्चों के बारे में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और उनको राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 व भारत द्वारा 1992 में स्वीकृत बाल अधिकार कन्वेंशन (सी०आर०सी०) के अनुरूप संशोधनों की सिफ़ारिश करना।
- सभी क्षेत्रक नीतियों, कल्याणकारी कार्यक्रमों व प्रयासों पर निगरानी रखना तथा सर्वोत्तम तरीकों की सिफ़ारिश करना।
- पीड़ितों से प्राप्त याचिकाओं की जांच करना।
- बच्चों से संबंधित मुद्दों पर शोध करना और उनको समर्थन देना।
- पुनर्वास/किशोर गृहों के निवासियों के जीवन-स्तर का अध्ययन करना।
- सक्रिय हिस्सेदारी के जरिए सृजनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ बनाना।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन पर अदालती कार्यवाही में सकारात्मक अंत:क्षेप करना।
- बच्चे से संबंधित सभी आपत्तिजनक व अमानवीय प्रथाओं को अभिनिर्धारित करना और उचित कार्रवाई करना।
- बाल अधिकारों व कर्तव्यों के संबंध में जानकारी का प्रसार करना तथा उनमें सुरक्षोपायों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय बाल आयोग बच्चों के विकास, कल्याण और सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच करेगा। यह एक सांविधिक निकाय होगा, जो कि बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा। इन मुद्दों में केन्द्र और राज्य स्तर पर कई मंत्रालयों द्वारा देखे जा रहे मुद्दे भी शामिल होंगे।

आयोग बच्चों को संवैधानिक व कानूनी रूप में अथवा अन्य किसी रूप में प्रदत्त सुरक्षोपायों की स्थिति का अनुवीक्षण व मूल्यांकन करेगा और समय-समय पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सरकार को सलाह देगा।

कोयले का वितरण/विपणन

3454. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि कोयले के वितरण और विपणन की प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक खानों के मुहाने पर ही इसकी बिक्री और खरीददारों की खानों के मुहानों पर पहुंच को बंद नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले पर आयात शुल्क में कमी किए जाने के बाद से सी०आई०एल० की बाजार में भागीदारी में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सी०आई०एल० बाजार में अपनी भागीदारी पुन: प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई०आई०एम०) ने कोल इंडिया लिमिटेड के लिए विपणन नीति के अध्ययन पर अपनी 1997 की रिपोर्ट में केन्द्रीयकृत विपणन ढांचे की सिफारिश की है। आई०आई०एम० ने विपणन ढांचे का पुन: अभिमुखीकरण हेतु विचार किए जाने वाले विभिन्न उपायों की सिफारिश की है, जिसमें पिटहैड पर बिक्री का परिहार करना भी शामिल है।

(ग) से (ङ) कोयले का आयात ओपन जनरल लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत होता है। 12 प्रतिशत से कम राख वाले कोकिंग कोयले पर पिछले कई वर्षों से मूल सीमा शुल्क 5 प्रतिशत रहा है। तथापि, नान-कोकिंग कोयले पर मूल सीमा शुल्क को जोकि 1992-93 में 85 प्रतिशत था, चरणों में कम किया गया था और यह 1997-98 में 10 प्रतिशत हो गया। कोयला मंत्रालय के सुझाव पर नॉन-कोकिंग कोयले पर मूल शुल्क को 2000-01 में बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया था। उपभोक्ता कोकिंग कोयले और कम राख वाले नॉन-कोकिंग कोयले का, मुख्यत: इसकी देश में अपर्याप्त उपलब्धता के कारण आयात करते रहे हैं। 2000-01 में कुल आयात लगभग 21 मिलियन टन था, जो लगभग 310 मिलियन टन के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 7 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

एच एस सी एल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3455. श्री ताराचंद साहू : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कुल कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को बकाया वेतन और अन्य लाभों का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन कर्मचारियों को देय सभी राशियों का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को निकट भविष्य में पुनः शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना को पुनः शुरू किए जाने का क्या उद्देश्य है और इस योजना का लाभ कितने कर्मचारियों को दिया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वी आर एस) के तहत 1998-99 में 407 और 2000-2001 में 6134 कर्मचारी पृथक किए हैं। वर्ष 1999-2000 में बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो सका था, अतः वी आर एस लागू नहीं की जा सकी थी।

(ख) जी, नहीं। पृथक किए गए अधिकांश कर्मचारियों को बकाया वेतन और अन्य लाभ अदा नहीं किए गए हैं। तथापि, उन्हें वी आर एस संबंधी लाभ अदा कर दिए गए हैं।

(ग) इस देयता को पूरा करने के लिए कम्पनी अपने प्रचालनों से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाई। जुलाई, 1999 में स्वीकृत पुनरूद्धार पैकेज के जरिए सम्भावित परिणाम पिछले कुछ वर्षों से इस्पात उद्योग में मौजूदा मंदी की स्थिति की वजह से पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके हैं तथा मजदूरी और वेतन की अदायगी सहित सभी खर्चों को पूरा करने के लिए कारोबार से प्राप्त लाभ पर्याप्त नहीं हैं।

(घ) भरसक प्रयास किए गए हैं तथा आशा है कि सरकार की संभावित वित्तीय सहायता से कंपनी बकाया वेतन और अन्य लाभों का भुगतान यथाशीघ्र करने की स्थिति में हो जाएगी।

(ङ) और (च) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को निकट भविष्य में पुनः शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना को पुनः शुरू करने का उद्देश्य अधिशेष जनशक्ति को पृथक करना है ताकि कंपनी को व्यवहार्य बनाया जा सके तथा इस योजना के तहत पृथक किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 (पांच हजार) है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद द्वारा अध्ययनों को प्रायोजित किया जाना

3456. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर (एन०ई०सी०) ने उस क्षेत्र में और दूसरे स्थानों पर विभिन्न एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों/जांचों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न एजेंसियों को वर्ष-वार, एजेंसी-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी राशि मंजूर की गई और यह राशि किस उद्देश्य के लिए मंजूर की गई;

(ग) क्या इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए इन अध्ययनों/जांचों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) अध्ययनों/कार्यशालाओं/विचारगोष्ठियों के विषयों का चयन इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से उनके महत्व/प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हाल ही

में, पूर्वोत्तर परिषद में मूल्यांकन सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसने दिसम्बर, 2000 से लेकर तीन पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए अनेक स्कीमों का पता लगाया है।

विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	पूवोत्तर परिषद द्वारा स्वीकृत राशि	प्रयोजन जिसके लिए राशि स्वीकृत की गयी	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	अरूणाचल प्रदेश			
1.	डा० एस एन हेगडे, सचिव, आरचिड सोसायटी, अरूणाचल प्रदेश, वन विहार, पो० बाक्स सं० 159, ईटानगर	5,00,000/-रु०	ईटानगर में अन्तर्राष्ट्रीय ओरचिड सेमीनार एवम समारोह का आयोजन	कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।
2.	संयोजक, अरूणाचल यूनिट वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालय, विवेक विहार ईटानगर	75,000/-रु०	अरूणाचल प्रदेश/एन्वायरमेन्ट प्लानिंग एण्ड ससटेनेबल डेव. पर राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाहियों का प्रकाशन	- तदैव -
	मणिपुर			
3.	प्रो० के टी सिंह, संगठन सचिव, आर आई एम एस, इम्फाल	50,000/-रु०	मातृ और बाल स्वास्थ्य पर इन्डो-यू० के० कार्यक्रम पर सी एम ई कार्यक्रम - इम्फाल में 18-19 मार्च, 1999	कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया।
4.	डॉ० एन बी सिंह, आर आई एम एस, इम्फाल	74,000/-रु०	सिर और गर्दन और स्तन केन्सर के लिए बैकिथेरेपी पर सी एम ई एवम कार्यशाला - अक्तूबर, 1999	- तदैव -
5.	प्रो० ए डी सिंह, संगठन सचिव, आपाती औषधियों पर भारत-अमरिका सी एम ई, आर आई एम एस, इम्फाल	40,000/-रु०	20-21 अगस्त 1999 को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा आपाती औषधियों पर इन्डो - यू०एस०, सी एम ई कार्यक्रम	- तदैव -
	असम			
6.	श्री मोहन भट्टाचार्य, संगठन सचिव, डिपार्टमेन्ट आफ अन्टोमी एण्ड हिस्ट्री, कालेज आफ वेट, साइंस, ए ए यू, कानापाड़ा गुवाहाटी-2	20,000/-रु०	XIIIवां नेशनल कन्वेन्शन एण्ड सिम्पोजियम आफ इन्डियन एसोसिएशन आफ वेट, अन्टोमिस्ट (आई ए वी ए) थीम अप्लीकेशन आफ वेंट, अनाटोमी इन बायाटेक्नोलोजी इम्यूनोलोजी इम्यूनोलोजी एण्ड क्लीनिक प्रेक्टिस आन 11-12 दिसम्बर, 1998	- तदैव -

1	2	3	4	5
7.	श्री ए एन एस अहमद, अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	40,000/-रु०	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर भारतीय राजनीति शास्त्र एसोसिएशन का 6ठा वार्षिक सम्मेलन	कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया।
8.	निदेशक, एन ई आर आई डब्ल्यू ए एल एम, पो०ओ० दोलाबारी, कालिया भोमौरा, तेजपुर-27	25,000/-रु०	पर्वतीय क्षेत्रों में वाटरशेड मेनेजमेन्ट पर दो दिवसीय सेमीनार - समस्याएं और संम्भावनाएं एन ई आर आई डब्ल्यू ए एल एम द्वारा आयोजित	- तदैव -
9.	डा० डी डी मालिल, निदेशक इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इन्टरपेन्योरशिप लालमाटी, 37, एन एच बाइपास, गुवाहाटी	75,000/-रु०	10-11 दिसम्बर, 1998 को गुवाहाटी में आयोजित नेशनल इन्टरपेन्योरशिप डेवलपमेन्ट पर सेमीनार के पेपरों का मुद्रण	- तदैव -
10.	डीन, फैकल्टी आ वेटरनरी साईंस, डिपार्टमेन्ट आफ माईक्रोबायोलोजी, कालेज आफ वेटरनरी साईंस, ए ए यू खानापाड़ा, गुवाहाटी	45,000/-रु०	2-4 फरवरी, 2000 को ए ए यू, कानापाड़ा, गुवाहाटी में VIIवां एनवल कन्वेन्शन आफ इंडियन सोसायटी फार वेटरनरी इम्यूनोलोजी एण्ड नेशलन सिम्पोजियम आफ वेटरनरी, इम्यूनोलोजी एण्ड बायोटेक्नोलोजी इन न्यू मिलेनियम	- तदैव -
11.	कार्यालय सचिव, पूर्वोत्तर बालिका छात्र समन्वय समिति, कृष्णा भवन, स्टेट बैंक आफ इंडिया के पीछे चेनीकुटी शाखा, गुवाहाटी	1,00,000/-रु०	26-27 नवम्बर, 1999 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय एकता और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास पर सेमीनार	- तदैव -
12.	श्रीमती मीनाक्षी देबी, डब्ल्यू ओ सी ई बी-2 के, डिपार्टमेन्ट आफ फीजिक्स, जी यू असम	60,000/-रु०	16-22 जनवरी, 2000 को जी यू में डब्ल्यू ओ सी ई बी 2 के पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	- तदैव -
13.	श्री एच पी बरुआ, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, गुवाहाटी	1,50,000/-रु०	"कृषि उत्पाद का विकास - समपन्नता की कुंजी" पर 6-7 जुलाई, 2000 को गुवाहाटी में सेमीनार	- तदैव -
14.	श्रीमती अजना गोस्वामी, सचिव, आशादीप और समन्वय, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला, गुवाहाटी	1,00,000/-रु०	8-9 सितम्बर, 2000 को गुवाहाटी में मानसिक रोगों से अपंग लोगों का मनोसामाजिक पुनर्वास	- तदैव -
15.	डा० महिन्द्रा बौरा, प्रमुख गणित, विज्ञान और कार्यक्रम विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर	30,000/-रु०	20-23 जुलाई, 2000 को तेजपुर में पूर्वोत्तर भारत में रिमोट सेन्सिग एण्ड जी आई एस फार नेचुरल रिसोर्स सर्वे पर एक्सोजिटरी वर्कशाप	- तदैव -
16.	डा० हर्ष भट्टाचार्जी, मेडीकल डाइरेक्टर और ट्रस्टी श्री शंकरानारायण नेत्रालय बेलतोला, गुवाहाटी-29	95,000/-रु०	12 मई, 2001 को गुवाहाटी में मोतियाबिन्द सर्जरी पर अर्न्तराष्ट्रीय कार्यशाला	- तदैव -

1	2	3	4	5
	मेघालय			
17.	डा० एम एस दक्खर, संयोजक, डिपार्टमेन्ट आफ बौरनी, नेहू, शिलांग-22	20,000/-रु०	23-25 अक्तूबर, 1998 को नेहू परिसर, शिलांग में "रोल आफ माईक्रोव इन इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी"	कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया।
18.	डा० बी दत्ता रे, सचिव, इंडियन काऊन्सिल फार सोसल साईंस रिसर्च, बी टी होस्टल, शिलांग	45,000/-रु०	14-16 दिसम्बर, 1998 को शिलांग में पूर्वोत्तर भारत में परसपेक्टिव इसूस एण्ड प्राब्लम आफ बार्डर ट्रेड पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	- तदैव -
19.	संगठन सचिव, प्रबंधन, रणनीति पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, पूर्वोत्तर पर्वतीय ईकोसिस्टम पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, एन ई एच क्षेत्र के लिए आई सी ए आर परिसर उमरोई रोड, बारापानी	1,00,000/-रु०	8-10 अगस्त, 1998 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	- तदैव -
20.	डा० आर एन शर्मा, संगठन सचिव, बायो कैमस्ट्री का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एन ई एच यू शिलांग	45,000/-रु०	12 नवम्बर 1998 को रेडिएशन बायोलॉजी पर 8वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है।	- वही -
21.	निदेशक, एन ई एच क्षेत्र के लिए आई सी ए आर रिसर्च काम्पलैक्स, बारापानी	35,000/-रु०	15-18 मई 1998 को संक्रमणीय बिमारियों पर 8वें अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने हेतु	- वही -
22.	निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एन ई सी, शिलांग	64,000/-रु०	17 अक्टूबर, 1998 को शिलांग में एन ई आर में इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नीति एवं कार्यक्रम पर कार्यशाला	- वही -
23.	निदेशक (मानव शक्ति), एन ई सी, शिलांग	1,50,000/-रु०	5 फरवरी, 1999 को सेंट एन्थनी कालेज सभागार शिलांग में एन ई सी के मानव शक्ति सेक्टर द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों और युवा गतिविधियों के संवर्धन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला	- वही -
24.	वरिष्ठ कार्यकारी सचिव, के जे पी सिनोड, चर्च हाऊस कम्पाउंड, शिलांग	75,000/-रु०	26-27 जून 1999 को के जे पी सिनोड द्वारा नशाखोरी, नशा मुक्ति और परामर्श पर आयोजित दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	- वही -
25.	श्री पी जी मोमिन, अध्यक्ष, पर्यावरण सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी, एस ई पी ए आर डी, पेडलडोबा, पश्चिम गारोहिल्स, मेघालय	25,000/-रु०	5 जून को पश्चिम गारोहिल्स में पर्यावरण और सुधार एवं उन्नयन कार्य पर एक दिवसीय कार्यशाला	- वही -

1	2	3	4	5
26.	डा० बी दत्ता रे, सचिव, पूर्वोत्तर भारत सामाजिक अनुसंधान परिषद, बी टी होस्टल, लैतुमखराह, शिलांग	10,000/-रु०	5-6 जून, 1999 को पूर्वोत्तर भारत के वन संसाधन महत्वपूर्ण मुद्दे और समस्याओं पर सेमिनार	कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया।
27.	अध्यक्ष, प्रदूषण, मानव एवं पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, शिलांग कालेज, शिलांग	50,000/-रु०	15-16 जून, 1999 को शिलांग कालेज शिलांग द्वारा आयोजित प्रदूषण, मानव एवं पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन	- वही -
28.	प्रो० ए डी सिन्हा, अवैतनिक निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, एन ई आर सो, ऊपरी नोगथिम्माई, शिलांग	50,000/-रु०	पूर्वोत्तर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान में मगोडोलॉजी अनुसंधान पर कार्यशाला	- वही -
29.	पोस्ट मास्टर जनरल, प्रदर्शनी सचिवालय, पूर्वोत्तर, डाक सर्किल, शिलांग-I	20,000/-रु०	23 से 25 अप्रैल, 1999 तक पूर्वोत्तर डाक टिकट प्रदर्शनी (एन इ टी इ एक्स-98), शिलांग	- वही -
30.	डा० ए के यादव, व्याख्याता, जीवविज्ञान विभाग, एन इ एच यू, शिलांग	50,000/-रु०	राष्ट्र स्तरीय नवयुवक वैज्ञानिक कार्यशाला, जून 2000	- वही -
31.	डा० वैलेन्टिया मिरबोह, संगठन सचिव, एन इ एस सी ओ एन, लूम्बासुक, नोगाथिम्माई, शिलांग	1,00,000/-रु०	9-10 मार्च, 2001 को शिलांग में रीड की हड्डी में चोट पर कार्यशाला	- वही -
32.	प्राध्यापक एवं प्रमुख कृषि शास्त्र प्रभाग, आई सी ए आर अनुसंधान काम्पलैक्स, उमरोई, शिलांग	35,000/-रु०	21 मई, 1999 को नागालैंड में एकीकृत पौष्टिक आपूर्ति प्रबन्धन प्रणाली पर सेमिनार	- वही -
33.	डा० आर वाखर, संगठन सचिव, स्त्री रोग विज्ञान सोसाइटीज	1,50,000/-रु०	शिलांग में पूर्वोत्तर स्त्री रोग विज्ञान सोसाइटी का 12वां समागम - 21-22 अप्रैल, 2001	- वही -
	अगरतला			
34.	अवैतनिक सचिव, इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स, त्रिपुरा	30,000/-रु०	10 से 12 अगस्त, 2000 तक अगरतला में विद्युत विकास पर अखिल भारतीय सेमिनार	कार्यक्रम आयोजित किया गया।
	क्षेत्र से बाहर के अन्य			
35.	डा० वाई एस मूर्ति, सचिव, एसोशिएशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ जीओ-फीजिक्स, ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	30,000/-रु०	18 से 20 नवम्बर, 1997 को ग्रेट शिलांग अर्थक्वेक, 1897 पर 23वां वार्षिक सम्मेलन एवं कार्यशाला कार्यक्रम	—

1	2	3	4	5
36.	निदेशक, मछली आनुवंशिकी संसाधन राष्ट्रीय ब्यूरो, लखनऊ	1,39,500/-रु०	10-11 फरवरी, 2000 को एन ई फिश जर्म - प्लाज्म इन्वेन्टोरिजेशन पर कार्यशाला	—
37.	डा० के कानूनगो और डा० एस जॉन जोसफ, मैसर्ज स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, चेन्नै	25,162/-रु०	28 जनवरी, 2000 को नई सहस्त्राब्दी पर विजिन पेपर तैयार करने संबंधी बैठक	—
38.	समन्वयक, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, ला० बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मूसरी	2,00,000/-रु०	का-आपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम को संशोधित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जागरुकता और पहलू नीति सेमिनार	—

अध्ययन

योजना और अभिकरण का नाम	अनुमोदित लागत लाख रुपयों में और योजना का प्रारंभ	जारी की गई निधियां लाख रुपयों में	उद्देश्य और उपलब्धियां
1	2	3	4
पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेगनेटोटेकटोनिक अध्ययन	19.026	9.026	यह योजना एक भूकंप पूर्वगामी अध्ययन है। इसका उद्देश्य आर ई सी शिवरों, सिल्चर में अर्ध-स्थायी जियोमैगनेटिक वेधशाला की स्थापना करना और इस क्षेत्र की भूकम्पता के साथ चुंबकीय क्षेत्र डाटा के परस्पर संबंध हेतु चुंबकीय सुभेद्य मार्ग पर सर्वेक्षण करना है।
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिस्म बॉम्बे (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)	1993	—	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में अर्ध-स्थायी जियोमैगनेटिक वेधशाला गत 2 वर्षों से कार्य कर रही है। बारम्बार किए गए जियोमैगनेटिक सर्वेक्षणों पर आधारित इस क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की असामान्यता को भूकम्पता के साथ समबद्ध करने पर अध्ययन किए जा रहे हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के "एस ओ एम" जर्म प्लास्म का अनुसंधान	10.158	10.158	इसका उद्देश्य मूंगा कृमि को खिलाने हेतु "एस ओ एम" किस्त का चयन करके इस क्षेत्र में समग्र मूंगा उत्पादन को सुधारना है।
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट (सी एस आई आर) असम	1996	—	आर आर एल जोरहाट में किए गए व्यापक अनुसंधान के आधार पर 2000 के दौरान अध्ययन पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप मूंगा के अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधों की कुछ किस्मों की पहचान की गई है।

1	2	3	4
डिगमिंग रमिक फाईबर हेतु प्रौद्योगिकी का विकास	11.23	10.23	इसका उद्देश्य गुणवत्ता के साथ ही साथ मात्रा दोनों ही दृष्टि से विश्लेषण करके व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य डिगमिंग पौधे का विकास करना है। खेतों में कच्चे रैम्मिक की उपज में संभावित वृद्धि के लिए कृषकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जानकारी का हस्तांतरण।
असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण परिषद, गुवाहाटी (ए एस टी ई सी असम)	1996	—	अध्ययन पहले ही पूरा होने की अवस्था में है। रैम्मिक फाइबर के डिगमिंग के बारे में ए एस टी सी द्वारा प्रौद्योगिकी विकास पर आधारित उत्पाद को फाइबर की मजबूती मापने हेतु आगे के विश्लेषण के लिए सी एस आई आर प्रयोगशाला को भेज दिया गया है।
रिमोट सेंसिग प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस और केले के वितरण के आकलन पर एक पायलट अध्ययन	4.41	3.969	इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी की डिजिटल क्लासिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करके वन वातावरण से केले और बांस का मानचित्रण करना है।
नेशनल रिमोट सेंसिग एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद	1999	—	एन आर एस ए ने वन वातावरण से केले और बांस के वर्गीकरण और मानचित्रण हेतु ऐलगोरिथ्म का विकास किया है, जोकि डिजिटल क्लासिफिकेशन, जिसे विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से भी मान्य ठहराया गया है, का इस्तेमाल करके किया गया है। मिले-जुले वातावरण से इन दोनों किस्मों के वर्गीकरण में इस प्रौद्योगिकी को सफल पाया गया है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
छत बनाने की सामग्री के रूप में केले के फाइबर के इस्तेमाल हेतु उन्नत प्रक्रिया का विकास	3.62	3.258	इस परियोजना घटक में, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में केले के वृक्षों का मात्रा, उपलब्धता और किस्म की दृष्टि से सर्वेक्षण एवं छानबीन करना है। छत की सामग्री के रूप में फाइबर के आर्थिक दोहन और इस्तेमाल हेतु संपूर्ण प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार करना और रिहायशी घरों में छत की सामग्री के रूप में इस्तेमाल हेतु केले के वृक्षों के फाइबर के कुटीर/लघु स्तर पर दोहन हेतु में प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास।
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट (सी एस आई आर) असम	1999	—	

1	2	3	4
			कार्य प्रगति पर है और आर आर आई, जोरहाट द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंपीय प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए भवन-निर्माण इंस्ट्रुमेन्टेशन	24.90	20.069	इस योजना का उद्देश्य भवन के व्यवहार, को समझने, भवनों के मॉडल में इस्तेमाल किए गए मैथेमेटिकल मॉडल को मान्य ठहराना और भूकंप ताकतों को सहने हेतु अंतिम रूप से डिजाइन तैयार करना है।
भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (उत्तर प्रदेश)	1996	—	उपकरण पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। उपकरणों का एक सेट, पूर्वोत्तर परिषद आवासीय परिसर, शिलांग के टाइप-IV क्वार्टर में हाल ही में लगाया गया है और आंकड़ों की रिकार्डिंग चल रही है। इन आंकड़ों के आधार पर यह विश्वविद्यालय भूकंप के दौरान भवन प्रतिक्रिया मॉडल का विकास करेगा।
पंगचाओं से बिजोयनगर, अरुणाचल प्रदेश तक, भारत - म्यांमार सड़क के लिए सड़क सरेखण अध्ययन	9.36	8.424	सेटेलाईट इमेज डाटा से लिए गए जियोलोजिकल पेरामीटरों पर विचार करने के पश्चात् कॉरिडोर से संबंधित उपयुक्त सड़क सरेखण अध्ययन प्रदान किए जाएंगे।
नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद	1999	—	नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी (एन आर एस ए) न रिमोट सैंसिंग प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करके अध्ययन किए हैं और सड़क सरेखण के कॉरिडोर को परिभाषित किया है। अंतिम रिपोर्ट एन आर एस ए, हैदराबाद द्वारा तैयार की जा रही है।
पूर्व सिआंग जिला अरुणाचल प्रदेश में देपी नदी के प्रवाह को देबिंग और दिकारी नदियों में तथा देकापम नदी के प्रवाह को दिकारी तथा सिमन नदियों में मोड़ेन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन	10.24	9.216	क्रियाकलापों के कार्यक्षेत्र में - अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों की बैंक लाइन माइग्रेशन का अध्ययन - भूक्षरण और भू-स्खलन वाले संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण - मानसून और गैर मानसून समय के दौरान डीबन्केट वाटर कोर्सिस का अध्ययन - वेजिटेशन कवर रिवर माइग्रेशन, भूमि के इस्तेमाल इत्यादि के संभावित प्रकार का मानचित्रण शामिल है।
नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद	1999	—	एन आर एस ए ने रिमोट सैंसिंग प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करके अध्ययन किए हैं। अंतिम रिपोर्ट एन आर एस ए, हैदराबाद द्वारा तैयार की जा रही है।

1	2	3	4
रिमोट सेंसिग प्रौद्योगिकी पर आधारित समुदाय संसाधन विकास (अरुणाचल प्रदेश के 2 जिले)	20.00	15.00	सामाजिक - आर्थिक आंकड़े और विभिन्न संकल्पों की सेटेलाइट इमेजिस के आधार पर, 2 जिलों हेतु समुदाय संसाधन विकास हेतु कार्य योजनाएं प्रदान की जाएंगी।
अरुणाचल प्रदेश रिमोट सेंसिंग सेंटर, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश सरकार	2000	—	विभिन्न संकल्पों की रिमोट सेंसिंग इमेजिस का प्रयोग करके विभिन्न थीमेटिक मानचित्रों का विकास किया गया है। अध्ययनों में शामिल करने हेतु सामाजिक - आर्थिक आंकड़े के संग्रहण हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर, समुदाय संसाधन विकास हेतु कार्य योजनाएं सुझाई जाएंगी।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में "कपार्ट" को प्राप्त परियोजनाएं

3457. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए "कपार्ट" को कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को राज्य-वार, स्वैच्छिक संगठन-वार कितनी राशि आबंटित और जारी की गई;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(घ) इन राज्यों में इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान धन के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान (आज तक) मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कपार्ट को प्राप्त और उसके द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि (वर्षवार) के दौरान प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि और जारी की गयी राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) शेष लंबित परियोजना प्रस्तावों को डेस्क मूल्यांकन और कपार्ट के मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन की औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद उस पर विचार किए जाने के लिए उन्हें संबंधित राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(घ) राज्यों में इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जैसा कि ऊपर प्रश्न के भाग-ख के उत्तर में बताया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ऊपर (ङ) के उत्तर देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

मध्य प्रदेश

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	1998-99	15	11

1	2	3	4
2.	1999-2000	12	7
3.	2000-01	11	4
4.	2001-02 (आज तक)	12	2

1	2	3	4
छत्तीसगढ़			
1.	2000-01	6	2
2.	2001-02 (आज तक)	3	2

विवरण-II

मध्य प्रदेश

1998-99

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम व पता	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु०)	जारी की गयी राशि (रु०)
1	2	3	4	5
1.	विकास मित्र, कुम्हारपाड़ा कोंडागांव, जि० बस्तर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	9,84,000	3,26,000
2.	समाज प्रगति सहयोग, बागली, जि० देवास	वाटरशेड	34,96,200	31,96,200
3.	विकास मित्र, कुम्हारपाड़ा, कोंडागांव, जि० बस्तर	वही	1,00,000	1,00,000
4.	श्रीदा, मोंटा रोड, जबलपुर	वही	1,00,000	अभी तक जारी नहीं की गयी है।
5.	तरुण संस्कार, जबलपुर	वही	1,00,000	वही
6.	लोक शक्ति समिति, चक्रधर नगर, जि० राजगढ़	वही	1,00,000	वही
7.	जबलपुर डीओसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी, जबलपुर	वही	1,00,000	1,00,000
8.	डा० भीमराव अम्बेडकर सेवा परिषद, जि० भिंड	वही	1,00,000	अभी तक जारी नहीं की गयी है।
9.	सृजन केंद्र देभोता, बिलासपुर	वही	1,00,000	वही
10.	ग्रामीण सेवा संस्था, पल्ली, बिलासपुर	वही	1,00,000	वही
11.	डगलस मेमोरियल वर्ल्ड मिशन, बारघाट, जि० सिवनी	वही	1,00,000	1,00,000
1999-2000				
1.	समाज प्रगति सहयोग, बागली, देवास	वाटरशेड	85,03,000	43,02,000

1	2	3	4	5
2.	श्रीदा, मोंटा रोड, जबलपुर	वाटरशेड	2,00,000	1,00,000
3.	लोक शक्ति समिति, चक्रधर नगर, जि० राजगढ़	वही	1,00,000	1,00,000
4.	जेवीयर इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एक्शन, जबलपुर	वही	1,00,000	अभी तक जारी नहीं की गयी है।
5.	परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर	वही	1,00,000	वही
6.	सेंटर फॉर साइंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मांडला, जि० देवास	वही	1,00,000	वही
7.	नवीन भारती सेवा समिति, मांडला, देवास	वही	1,00,000	वही
2000-01				
1.	विनोबा ग्रामोदय प्रतिष्ठान, एन एच-7, मऊगंज, जि० रीवा	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,72,750	1,12,500
2.	हरिजन आदिवासी खादीग्रामोत्थान समिति, राजपुर, करचुलियां, रीवा	वही	3,72,750	1,86,000
3.	समाज प्रगति सहयोग, बागली, देवास	आपदा प्रबंधन वाटरशेड	65,44,279 6,61,000	32,72,140 1,00,000
4.	श्रीदा, बरेला, जबलपुर	वही	61,85,030	1,00,000
2001-02 (आज तक)				
1.	तरुण संस्कार जि० जबलपुर	वाटरशेड	21,00,000	अभी तक जारी नहीं की गयी है।
2.	परिकल्पना महिला समिति, जि० जबलपुर	वही	2,00,000	वही
छत्तीसगढ़				
2000-01				
1.	गांधी सेवा आश्रम, नरसिंहपुर, जि० बिलासपुर	जन सहयोग	6,14,951	4,82,212
2.	वरदान सामाजिक संस्था, कल्याणपुर, राजनंदगांव	वाटरशेड	50,32,000	अभी तक जारी नहीं की गयी है।
2001-02 (आज तक)				
1.	सृजन केंद्र दाभोरा, जि० बिलासपुर	वाटरशेड	2,00,000	अभी तक जारी नहीं की गयी है।
2.	वरदान सामाजिक संस्था, कल्याणपुर, राजनंदगांव	आपका प्रबंधन (जन सहयोग)	36,19,603	18,09,801

[अनुवाद]

नई दिल्ली में मोटलों को खोला जाना

3458. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मोटल खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी कोई दिशा-निर्देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में मोटल खोले जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाइसेंस जारी किए जाने के लिए लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जिन मोटलों को लाइसेंस जारी किए/जिन परियोजोनओं को मंजूरी दी गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजधानी में कुछ मोटल अवैध रूप से चल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन मोटलों के खिलाफ केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाजन आयोग की रिपोर्ट

3459. **श्री आर०एस० पाटिल :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ राजनैतिक दल महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप में लागू करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महाजन आयोग ने कसरागोड जिले के 71 गांवों को केरल से कर्नाटक में स्थानान्तरित किए जाने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इस संबंध में कोई बैठक बुलाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम रहा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजनैतिक दलों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथापि, कर्नाटक सरकार, केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती रही है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(ख) केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि संबंधित राज्य सरकारों को अपने मतभेद विचार-विमर्श और आपसी समझौते के जरिये सोहार्दपूर्ण ढंग से हल करने चाहिए।

(ग) महाजन आयोग ने सिफारिश की थी कि चंद्रगिरि और पायसविनि नदियों के उत्तर में केरल में कसरागोड का तालूका, को केरल राज्य से मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) को स्थानांतरित किया जाए।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोयले पर रॉयल्टी

3460. **श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री वाई०वी० राव :
श्री प्रसन्न आचार्य :
डा० चरणदास महंत :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रॉयल्टी निर्धारण संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) पिछले दस वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया गया और इस पर कितनी रॉयल्टी प्राप्त की गई;

(ग) क्या सरकार को कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाए जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) कोयले पर रायल्टी सभी संगत कारकों जैसे कोयला उत्पादक

राज्यों के मतों, कोयला उपभोक्ताओं तथा अर्थव्यवस्था के समग्र हित को ध्यान में कर निर्धारित की जाती है।

खान एवं खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) का परन्तुक शर्त रखता है कि किसी भी 3 वर्षों की अवधि के दौरान खनिजों पर रायल्टी की दर में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में कच्चे कोयले का राज्य-वार उत्पादन तथा विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों को कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा भुगतान की गई रायल्टी की राशि निम्न प्रकार है :-

(i) 1991-92 से 2000-01 के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में कच्चे कोयले का उत्पादन :-

(आंकड़े मिलियन टन में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-1999	1999-2000	2000-01 (अनंतिम)
प० बंगाल	17.90	17.80	16.33	16.72	17.50	17.66	16.48	16.67	15.28	16.91
बिहार	64.84	66.73	68.82	68.08	68.87	71.31	74.95	69.84	70.14	38.19
झारखंड										30.76
उड़ीसा	20.70	23.14	24.30	27.32	32.70	37.36	42.17	43.51	43.55	44.80
म०प्र०	69.19	70.49	72.86	74.86	79.76	83.28	84.41	84.90	87.12	67.31
छत्तीसगढ़										22.13
महाराष्ट्र	18.88	19.68	20.45	21.07	22.82	24.86	26.17	25.28	27.70	28.76
उ०प्र०	11.70	12.32	12.14	13.82	14.80	15.40	15.68	15.64	16.22	18.74
असम	0.95	1.10	1.20	1.19	0.82	0.75	0.69	0.64	0.57	0.66
आ०प्र०	20.58	22.51	25.20	25.65	26.77	28.73	28.94	27.33	29.56	30.27

(ii) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा वर्ष 1991-92 से 2000-2001 के दौरान राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	प० बंगाल	बिहार	झारखंड	उड़ीसा	महाराष्ट्र	म०प्र०	छत्तीसगढ़	उ०प्र०	असम	आ०प्र०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1991-92	10.07	334.35		43.47	63.89	240.00		47.49	0.64	100.97
1992-93	8.72	505.31		63.14	108.86	384.52		66.76	0.56	151.50
1993-94	10.63	555.05		72.82	111.09	369.56		70.59	0.44	172.91
1994-95	9.59	613.05		104.08	159.70	438.91		87.39	0.42	182.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1995-96	7.82	658.33		180.79	217.90	666.77		113.50	21.59	186.63
1996-97	10.87	682.17		185.38	200.29	684.14		121.41	9.92	216.13
1997-98	12.64	658.95		227.59	204.78	663.50		102.35	6.11	217.73
1998-99	9.53	607.59		227.40	184.62	671.58		86.78	11.75	200.31
1999-00	9.89	591.65		226.58	183.13	688.10		108.30	13.27	223.05
2000-01 (अनंतिम)	10.08	407.94	180.23	253.17	220.79	535.27	139.07	131.48	6.96	227.34

(ग) से (च) कोयले पर रायल्टी की दर में वृद्धि के संबंध में बिहार, छत्तीसगढ़, प० बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों से भारत सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोयले पर रायल्टी की दरों में पिछली बार दिनांक 11.10.1994 को संशोधन किया गया था। कोयले पर रायल्टी की दरों में और संशोधन करने का मुद्दा विचाराधीन।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों की नियुक्ति

3461. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यपाकों की संविदा और अंशकालिक आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान अभी तक दिल्ली और देहरादून क्षेत्रों में संगठन द्वारा उक्त आधार पर कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पदों का रिक्त होना और भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि नियमित पदधारियों द्वारा रिक्तियां भरे जाने तक रिक्त पदों पर अध्यापक बराबर उपलब्ध रहें। केन्द्रीय विद्यालयों में एक योजना है जिसके तहत संविदा के आधार पर अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यापकों को नियुक्त किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार अंशकालिक आधार पर भी अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस प्रकार की नियुक्तियों की शर्तों व पद्धति के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(i) उम्मीदवार पद के लिए वे सभी अपेक्षित योग्यता/शर्तें पूरी करता हो जो भर्ती नियमावली में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है।

(ii) चयन समिति में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति या उसके नामजद व्यक्ति प्रधानाचार्य और क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् शामिल होने चाहिए।

(iii) इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यापकों का नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए कोई दावा या अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही वे केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के काडर में शामिल होंगे।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान, इन प्रावधानों के तहत दिल्ली और देहरादून क्षेत्रों में क्रमशः 247 और 191 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली क्षेत्र के आंकड़े दो स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों के हैं।

मदरसों के लिए विदेशी आर्थिक सहायता

3462. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदरसों को विदेशों से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन एसोसिएशनों जिनमें मदरसों का संचालन

करने वाली एसोसिएशनें भी शामिल हैं, को प्राप्त विदेशी अंशदान तथा उसके उपयोग का ब्यौरा स्वैच्छिक एसोसिएशनों को प्राप्त विदेशी अंशदान के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। वर्ष 1998-99 तक की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वर्न 1999-2000 से संबंधित आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

सी०आई०एल० की सहयोगी कंपनियों द्वारा कोयले का मूल्य निर्धारण

3463. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वायत्तता के कारण सी०आई०एल० के उत्पादन के मूल्य निर्धारण के लिए सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणामों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) मूल्य निर्धारण को विनियंत्रित किए जाने के पश्चात् कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के एक ही ग्रेड के कोयले के मूल्य में अंतर होता है। फिर भी, मूल्य में अंतर के बावजूद अंतर-कंपनी प्रतियोगिता की गुंजाइश अधिक नहीं है क्योंकि उपभोग किए गए कोयले के ग्रेडों तथा सी०आई०एल० की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा सेवित बाजार खंड की भौगोलिक स्थिति कमोबेश एक स्थायी पैटर्न का अनुसरण करती हैं तथा मूल्य के अलावा उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई समग्र लागत में माल भाड़े का बड़ा भाग है। अंतर-सहायक कंपनियों के कोयले के मूल मूल्यों में अंतर प्रतियोगिता निर्धारण का एकमात्र कारक नहीं है।

(ग) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिंसा में बढ़ोत्तरी

3464. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा शिखर वार्ता में गतिरोध के कारण देश के विभिन्न भागों, विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, हिंसा के बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो शिखर-वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होने के बाद से राज्य-वार हिंसा की कितनी घटनाएं हुई और इनमें कितने लोग हताहत हुए; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए कौन से अतिरिक्त एहतियाती उपायों पर विचार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं। इस समय हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्र सरकार, देश में आतंकवादी ग्रुपों से खतरे की आशंका एवं गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारियों का आदान-प्रदान करने और इस प्रकार की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ सावधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। केन्द्र एवं राज्यों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मिल-जुल कर कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

देश में माओवादियों का प्रवेश

3465. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में माओवादी भारत-नेपाल सीमा से होकर चोरी-छिपे देश में प्रवेश कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन माओवादियों को वापस भेजे जाने और भविष्य में उनके प्रवेश को रोकने के लिए अभी तक कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने उनके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) भारत-नेपाल सीमा पुलिस व्यवस्था गहन करना।

(ii) नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाना सीमा प्रबंधन पर चौथे भारत-नेपाल संयुक्त कार्य ग्रुप की बैठक 28-29 जून, 2001 को नई दिल्ली में हुई थी। उग्रवाद और आपराधिक गतिविधियों पर सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर दोनों पक्ष सहमत हुए। वे, आतंकवादी संगठनों और अन्य प्रतिबंधित संगठनों आदि द्वारा प्रायोजित सीमा पार के उग्रवाद को कम करने पर सहमत हुए।

(iii) चौकस रहने के लिए फील्ड फोरमेशनों को, समय-समय पर, सतर्क करना और आवधिक विशेष अभियान चलाना।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों की सुरक्षा

3466. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सभी संसद सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने संसद सदस्यों ने सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान 30 जून तक 56 संसद सदस्यों से, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

डीडीए के फ्लैटों की छतों पर कमरों का निर्माण

3467. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डीडीए की ऐसी कौन-कौन सी कालोनियां हैं जहां डीडीए की स्वीकृति से उनके फ्लैटों की छतों पर कमरों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सर्वेक्षण कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डीडीए फ्लैटों में इन अनधिकृत निर्माणों के लिए उत्तरदायी फील्ड कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जनवरी, 2001 में गुजरात में आए तीव्र गति वाले भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर दिल्ली में डीडीए के फ्लैटों की छतों पर कमरों का अनधिकृत निर्माण जोखिम भरा है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डीडीए फ्लैट में भूतल, प्रथम और दूसरे तलों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे अनधिकृत निर्माणों को गिराये जाने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसे कुछ मामलों में, जहां छत पर बरामदे के रूप में बरसाती मौजूद थी वहां उसे 115 मि०मि०(4¼") की दीवार या गलेजिंग डालकर बंद करने की अनुमति दी गई थी। ऐसी कालोनियां ईस्ट आफ कैलाश के एम आई जी फ्लैट, सफदरजंग एन्क्लेव और जनकपुरी के कुछ हिस्से हैं।

(ख) और (ग) डीडीए ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले डीडीए फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण तथा दुरुपयोग, जिसमें छतों पर अनधिकृत रूप से कमरों का निर्माण शामिल है, की जांच करने के लिए नियमित तौर पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। डीडीए द्वारा आगे सूचित किया गया है कि जनवरी, 2001 से 09 पाकेटों में सर्वेक्षण किया गया तथा निम्नलिखित कार्यवाही की गई:-

–	जारी किए गए नोटिस	648
–	गिराए गए परिसर	178

– फ्लैटों का आबंटन रद्द किया गया 150

(टिप्पणी:- यह आकड़े छत पर बने कमरों सहित सभी प्रकार के अनधिकृत निर्माणों के हैं)

(घ) और (ङ) जहां भी डीडीए के फील्ड कर्मरचारियों की गलती पाई जाती है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(च) हालांकि डीडीए फ्लैटों का निर्माण करते समय भूकंप के पहलू पर यथोचित ध्यान देकर ठोस इंजीनियरी तकनीकें अपनाई जाती हैं और इस संबंध में सभी भारतीय मानक कोड का अनुपालन किया जाता है, फिर भी छत पर अतिरिक्त कमरों के निर्माण से भूकंप की स्थिति में कुछ खतरा रहता है। तथापि, प्रश्न के भाग(क) में उल्लिखित बरसातियों को कमरे में बदलने की अनुमति संरचनात्मक आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर दी गई है।

(छ) से (झ) सरकार ने गुजरात भूकंप के पश्चात् 03.04.2001 को डीडीए फ्लैटों में परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकार्य मदों की सूची संशोधित की है। स्वीकार्य मदों को संशोधित करते समय, संरचनात्मक इंजीनियरों की राय ली गई तथा उपरि जल भण्डारण टैंकों का स्थान बदलने आदि जैसे कुछ परिवर्तन जिसके लिए पहले अनुमति थी, अब समाप्त कर दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम और डीडीए को डीडीए फ्लैटों में गलती करने वाले आबंटितियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

भवनों का अनधिकृत निर्माण और उनका व्यावसायीकरण

3468. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 19 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4766 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेटर कैलाश-I में शॉपिंग कम्पलेक्स, जिम्नैस्टिक, नर्सिंग होमों और कार्यालय आदि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त करने के लिए 65 भवनों और बेसमेंटों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनधिकृत निर्माणों व बड़े पैमाने पर भवनों के व्यावसायीकरण पर रोक लगाने के लिए सैनिक फार्मों की तरह ग्रेटर कैलाश-I (विशेषकर बी और एन ब्लॉको में) घर-घर का सर्वेक्षण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस तरह के खतरों पर रोक लगाने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनियंत्रित रूप से अनधिकृत निर्माणों व भवन निर्माण संबंधी उप-कानूनों के बड़े पैमाने पर इस तरह से उल्लंघन से इस क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लीजिंग प्रणाली को शुरू किया जाना

3469. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में उनके कर्मचारियों को सरकारी आवास मुहैया कराने के लिए लीजिंग प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस समय लीजिंग प्रणाली शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शस्त्रों का भेजा जाना

3470. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2001 के प्रथम सप्ताह में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आतंकवादियों के लिए बंगलादेश की कॉक्सेज बाजार पत्तन पर शस्त्रों की एक बड़ी खेप पहुंच चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राइफलों और अत्यधिक विस्फोटक सामग्रियों सहित इन सभी शस्त्रों की तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट घने जंगलों से होकर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) थाईलैण्ड, म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों को सुग्राही बनाया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार ये वे देश

हैं जहां से और जिनके माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध हथियार आ रहे हैं। कार्रवाई योग्य आसूचना का भी इन देशों के साथ निरन्तर आदान-प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों में आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना और भारत-बांग्लादेश/भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा सुरक्षा बल/असम राईफल्स को सुदृढ़ करना शामिल है।

सिपेट केन्द्रों को स्थापित किया जाना

3471. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस संस्थान में कौन-कौन से लघु और दीर्घावधि वाले पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) वर्तमान में विभिन्न शहरों में सिपेट के कितने केन्द्र हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) सिपेट के हैदराबाद केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(छ) इस संस्थान द्वारा हैदराबाद के और अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय सिपेट द्वारा आयोजित अल्पावधिक और दीर्घावधिक पाठ्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बारह (12)।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान दीर्घावधिक और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के संबंध में सिपेट के हैदराबाद स्थित केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए लाभग्राहियों की संख्या क्रमशः 275 और 116 हैं। हैदराबाद के अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए सिपेट ने हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को शामिल करते हुए अनेक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनायी है।

विवरण

दीर्घावधिक पाठ्यक्रम:

1. प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा
2. प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
3. प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा
4. प्लास्टिक टेस्टिंग कनवर्जन टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
5. मशीन अनुरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
6. मोल्ड निर्माण टेक्नोलॉजी डिप्लोमा
7. प्लास्टिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
8. कंपोजिट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अल्पावधि पाठ्यक्रम:

1. टेलरमेड
2. प्रसंस्करण परीक्षण, टूलिंग, कैड/कैम आदि के क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर माडुलर।

दिपु में असम विश्वविद्यालय का कैम्पस

3472. डा० जयन्त रंगपी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम विश्वविद्यालय दिपु में अपना कैम्पस खोलने की एक परियोजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कैम्पस को क्या अधिभार प्राप्त होंगे और इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कैम्पस स्थापति करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी खर्च की जा चुकी है;

(ङ) क्या यह परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी आबादी में बेतहाशा वृद्धि

3473. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयोग परिसंघ ने शहरी आबादी में बेतहाशा वृद्धि के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी आबादी में वृद्धि की सीमा शहरों में उपलब्ध पूंजीगत ढांचा की वृद्धि को पार कर गई है; और

(घ) यदि हां, तो छोटे और मझोले शहरों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जून, 2001 में भारत में शहरी अवस्थापन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में मूलतया भारत में शहरी परिदृश्य से संबंधित ब्यौरे और आंकड़े, आवास और शहरी विकास तथा शहरी अवस्थापना, जल, आवास, कचरा निपटान, प्रबन्धन, सफाई व्यवस्था, स्लम सुधार, शहरी रोजगार और शहरी परिवहन इत्यादि से संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं पर योजना परिव्यय की जानकारी दी गयी है।

(ग) रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अनेक शहरी क्षेत्रों में प्रगति पीछे रह गई है।

(घ) वर्ष 1979-80 से लागू केन्द्र प्रवर्तित छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की योजना शहरी विकास योजनाओं में से एक है जिसका लक्ष्य अन्य के अलावा छोटे एवं मझोले कस्बों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना और शहरीकरण का विकेन्द्रीकरण करना है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) दिसम्बर, 1997 से लागू एक अन्य केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन योजना है जिसका लक्ष्य नौवीं कक्षा तक शिक्षित शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त निर्धनों को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर तथा सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर लाभकारी रोजगार देना है।

लीज की शर्तों का उल्लंघन

3474. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीज की शर्तों के उल्लंघन का पता लगाने के लिये सभी भूमि/संपत्तियों का वार्षिक निरीक्षण भूमि और विकास संबंधी कार्यालयों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि और विकास संबंधी कार्यालय द्वारा निरीक्षण न किये जाने से 100 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पाई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय ने वर्ष 1999 के प्रारम्भ में वसूली प्रक्रिया के लिये पहल की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्षतिपूर्ति की वसूली, शर्तों के उल्लंघन का पता लगाने आदि में कितनी प्रगति हुई है और कितनी राशि का अब भी संग्रह/वसूल किया जाना है; और

(छ) भूमि विकास संबंधी कार्यालय के कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सम्पत्तियों के वार्षिक निरीक्षण नियमित आधार पर नहीं किए जाते हैं। तथापि, विशिष्ट मामले की सूचना मिलने पर भूमि और विकास कार्यालय के तकनीकी विंग द्वारा सम्पत्तियों के निरीक्षण किए जाते हैं। इस प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं०-2) में बताया गया है कि प्रश्न में उल्लिखित राशि भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा विभिन्न पट्टाधारकों से वसूल की जानी है। ये पुराने मामलों से संबंधित हैं एवं इनकी जांच की जा रही है।

(घ) से (च) उल्लंघनों आदि के कारण हरजाने की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बाकीदार पार्टियों से करीब 7.81 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं। शेष सभी मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि अलग-अलग प्रकार

के मामलों में वसूल की जानी है और कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं। प्रत्येक मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि उसमें उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

(छ) भूमि और विकास कार्यालय का पूर्ण आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसके विभिन्न कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी कार्रवाई चल रही है। कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा होने पर, भूमि और विकास कार्यालय के पास संबंधित पट्टाधारकों से सरकारी बकाया राशि की प्रभावी ढंग से वसूली और उसकी नियतकालिक मानीटरिंग के लिए एक कारगर तंत्र उपलब्ध होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग

3475. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी के मद्देनजर वहां घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि लगी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। खादी एवं ग्रामोद्योगों का विकास करने के लिए सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जरिए तकनीकी, विपणन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता छूट और सब्सिडी के रूप में दी जाती है। ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के बी आई सी) सारे देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के बी आई सी) 10 लाख रु० तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 25% की दर से सीमांत अर्थ सहायता प्रदान करता है। 10 लाख रु० से ऊपर और 25 लाख रु० तक की परियोजनाओं हेतु सीमांत अर्थ सहायता की दर 10 लाख रु० का 25% + परियोजना की बाकी लागत का 10% होगी। कमजोर वर्गों अर्थात् अनु०जाति, अनु०जनजाति, महिला और शारीरिक रूप से अक्षम और सेना से सेवा निवृत्त तथा अल्प संख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थाओं तथा पहाड़ी, सीमांत एवं जन जातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, के मामले में यह सीमांत अर्थ अनुदान परियोजना लागत का 30% और 10 लाख रु० तक है किन्तु इस धनराशि से ज्यादा और 25 लाख रु० तक के लिए यह परियोजना की बाकी लागत का 10% है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन करने और भारत की महिलाओं और पिछड़े वर्गों को अधिकार सम्पन्न बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 14.5.2001 को एक नए पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के प्रमुख घटकों में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प, बाजार विकास, सहायता, खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, विपणन, ब्रांड निर्माण, समूह विकास, कोर क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन और अतिरिक्त कार्य-पूंजी का प्रावधान शामिल है।

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वितरित किए गए अनुदान और ऋण का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान खादी ग्रामोद्योग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान का संवितरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	174.29	737.29	275.35	340.75	627.53	705.15

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.87	0.00	0.00	0.00	5.40	0.50
3.	असम	35.06	6.30	59.79	6.72	86.87	0.77
4.	बिहार	748.45	4.00	1196.53	33.96	305.36	44.48
5.	गोवा	1.00	9.84	0.00	40.36	0.79	—
6.	गुजरात	1387.00	94.71	2254.96	268.56	1585.85	12.96
7.	हरियाणा	592.79	52.25	652.94	185.23	414.44	239.42
8.	हिमाचल प्रदेश	123.30	153.97	76.51	272.94	445.99	26.37
9.	जम्मू व कश्मीर	81.92	40.53	182.50	352.13	112.96	20.77
10.	कर्नाटक	438.63	561.35	1008.73	1228.32	426.31	756.44
11.	केरल	322.60	15.58	205.45	395.94	762.62	357.98
12.	मध्य प्रदेश	367.27	319.06	178.49	1319.02	595.37	23.32
13.	महाराष्ट्र	32.93	285.31	310.59	308.97	419.17	444.24
14.	मणिपुर	0.00	281.51	0.00	266.93	0.40	169.70
15.	मेघालय	0.00	0.00	2.36	44.93	7.42	6.50
16.	मिजोरम	0.00	49.63	0.02	344.39	0.99	155.74
17.	नागालैंड	7.18	90.00	5.37	396.94	17.48	5.38
18.	उड़ीसा	30.99	60.50	172.53	87.02	116.61	161.67
19.	पंजाब	619.41	124.79	345.73	605.12	967.26	158.33
20.	राजस्थान	105.26	314.15	1490.71	461.80	879.73	319.85
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
22.	तमिलनाडु	1268.80	58.77	2690.76	414.10	3874.13	262.07
23.	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.50	0.00	—	1.91
24.	उत्तर प्रदेश	1947.68	77.71	4201.30	1454.00	5153.75	514.17
25.	प. बंगाल	235.00	7.60	595.10	20.49	325.78	6.36

1	2	3	4	5	6	7	8
	संघ राज्य क्षेत्र						
26.	अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	—	4.36
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
29.	दिल्ली	22.29	10.74	669.27	669.27	354.06	72.96
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.50
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.39	0.39	—	—
33.	विभागीय	217.35	21567.01	752.48	752.48	1169.63	10018.21
34.	अन्य कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	कुल	8760.09	24922.60	17628.36	17628.36	18656.13	14485.11

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान खादी ग्रामोद्योग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण का संवितरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	63.02	17.68	19.76	31.10	49.29	3.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00
3.	असम	19.43	0.37	0.79	2.00	106.17	13.02
4.	बिहार	30.17	0.14	53.83	7.02	26.37	—
5.	गोवा	0.00	31.32	0.00	1.55	—	—
6.	गुजरात	7.00	13.37	43.34	29.13	19.38	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरियाणा	18.75	219.36	2.10	8.88	84.71	8.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	6.52	4.33	4.78	—
9.	जम्मू व कश्मीर	0.38	0.00	6.61	0.52	—	—
10.	कर्नाटक	170.75	68.05	102.75	61.58	43.16	0.68
11.	केरल	3.15	1.46	35.48	13.68	15.49	—
12.	मध्य प्रदेश	1.21	48.88	8.18	12.11	14.75	—
13.	महाराष्ट्र	10.84	48.68	7.62	41.96	8.77	15.66
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.34	11.86	0.42
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.86	0.23	—
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.10	0.00	—	—
17.	नागालैंड	0.00	2.00	0.00	0.00	15.41	—
18.	उड़ीसा	18.95	3.87	6.10	8.34	3.20	2.30
19.	पंजाब	0.00	2.50	11.45	1.21	60.94	5.00
20.	राजस्थान	28.59	26.21	19.70	23.60	34.69	1.49
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
22.	तमिलनाडु	0.25	26.57	42.27	37.41	22.45	8.06
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	61.81	135.90	332.88	191.10	64.25	36.54
25.	प. बंगाल	43.15	4.97	36.28	48.54	13.92	1.00
	संघ राज्य क्षेत्र						
26.	अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
29.	दिल्ली	0.00	0.00	1.65	10.11	5.00	—
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	1.29	4.20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
33.	विभागीय	0.00	0.00	0.00	7.67	—	30.71
34.	अन्य कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	कुल	477.45	651.33	737.41	544.33	609.02	126.84

लश्कर-ए-तोएबा द्वारा हथियारों को हासिल किया जाना

3476. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लश्कर-ए-तोएबा ने विमान भेदी गनों से लेकर सौर ऊर्जा चालित राकेट प्रणाली जैसे विध्वंसकारी चीनी हथियारों को हासिल कर लिया है और वे कश्मीर में सुरक्षा बलों से एक अंतिम युद्ध की तैयारी की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) लश्कर-ए-तैयबा द्वारा घातक चीनी हथियारों अर्थात् विमान भेदी गनों से लेकर सौर ऊर्जा चालित राकेट प्रणाली हासिल करने के बारे में अभी तक कोई पुष्ट जानकारियां नहीं मिली है। तथापि, उग्रवादियों के पास विभिन्न हथियार हैं, जिनका प्रयोग सुरक्षा बलों पर हमलों में किया जाता है।

(ग) राज्य में बदलती सुरक्षा स्थिति और उपलब्ध जानकारियों की राज्य सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में स्थापित एकीकृत मुख्यालयों और विभिन्न अन्य स्तरों पर आवधिक पुनरीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उग्रवादियों से लड़ने के लिए वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सुरक्षा बल की उपयुक्त तैनातियां की जाती हैं और रणनीतियां अपनाई जाती हैं।

एच एफ सी की हल्दिया इकाई का अधिग्रहण

3477. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एचएफसी की हल्दिया इकाई के अधिग्रहण का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० की हल्दिया उर्वरक परियोजना पहले ही उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह प्रौद्यो-आर्थिक अव्यवहार्यता की वजह से कभी भी प्रारम्भ नहीं हो सकी और 1986 से बन्द पड़ी है।

[हिन्दी]

एफ सी आर अधिनियम 1976 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन

3478. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एफ सी आर अधिनियम 1976 के अंतर्गत किन संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया;

(ख) क्या सरकार को इन संगठनों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अन्तर्गत, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रत्येक एसोसिएशन को उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय

की राशि, इसकी प्राप्ति का स्रोत और इसे प्राप्त करने के तरीके और राशि प्राप्त करने के प्रयोजनों तथा इसके प्रयोग के बारे में, वर्ष की समाप्ति के चार महीनों के भीतर केन्द्र सरकार को सूचित करना होता है। जो एसोसिएशन इस प्रकार की सूचना देने में असफल रहती है उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करने की श्रेणी में रखा जाता है। इस अवधि के दौरान इस प्रकार की 954 एसोसिएशनों को इस श्रेणी में रखा गया है। विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाली किसी भी एसोसिएशन के खिलाफ प्राप्त शिकायत की जांच की जाती है और अधिनियम के उपबन्धों के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में, पूर्व अनुमति प्राप्त करने की श्रेणी में रखना, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए निषेध करना, उसके बैंक खाते को सील करना और उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाना शामिल है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

3479. डा० एम० वेंकटस्वामी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना के समय से ही भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसने 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उत्पादन लक्ष्य और लाभ का लक्ष्य प्राप्त किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लाभ में चलने के बावजूद इसके विनिवेश के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना के समय से ही घाटे में चल रहा है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान वी एस पी का वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:-

मद	इकाई	1999-2000		2000-2001	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
तप्त धातु	हजार टन	3400	2943	3120	3165
द्रव इस्पात	हजार टन	2650	2656	2530	2909
विक्रेय इस्पात	हजार टन	2305	2382	2217	2507
नकद लाभ	करोड़ रु०	-22.97	-130	-55	160
निवल लाभ/हानि	करोड़ रु०	-470.24	-562	-531	-293

(ग) से (च) एक विस्तृत प्रस्ताव जिसमें सरकार से छूट जैसे कि संचित हानि को माफ करना, क्षमता विस्तार, धन जुटाने के लिए सरकारी गारंटी देना तथा कार्यचालन पूंजी, ऋण के लिए सरकारी गारंटी में विस्तार शामिल है, पर सरकार द्वारा विचार किया गया, परंतु यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया। विनिवेश आयोग ने 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की शेष साम्या की 51 प्रतिशत से अनधिक साम्या का एक नीतिपरक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने सहित इसकी संपूर्ण संचित हानि को बट्टे खाते डालने का प्रस्ताव किया है। आर आई एन एल की पुनरुद्धार योजना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में ठेका व्यवस्था

3480. श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला खानों में श्रमिकों को लगाने हेतु ठेका व्यवस्था जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन खानों में यह व्यवस्था चल रही है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और आज तक इस व्यवस्था के अंतर्गत खान-वार कितने श्रमिक लगाए गये और उन पर कितनी राशि खर्च की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियां, स्थायी तथा बारहमासी प्रकृति के कार्य के निष्पादन के लिए ठेके पर कोई श्रमिक नियोजित नहीं करती हैं। तथापि, ऐसे कार्यों, जो ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणियों में नहीं आते हैं, ठेकेदारों को दिये जाते हैं जो अपने स्वयं के श्रमिक लगाते हैं। इन कार्यों में ये शामिल हैं:-

(क) हैम को किराए पर लेकर कोयले की मशीनीकृत लदाई तथा ढुलाई। कार्य खदान-तल से स्टाकयार्ड/कोयला रख-रखाव संयंत्र या खदान तल से साईडिंग को कोयले की मशीनीकृत लदाई तथा ढुलाई से संबंधित है;

(ख) पिट-हैड से साईडिंग तक कोयले की ढुलाई;

(ग) नदी तट से कोलियरियों के रेत-बंकरों तक रेत की ढुलाई;

(घ) भवनों का सिविल विनिर्माण तथा रख-रखाव;

(ङ) शॉफ्ट सिंकिंग, स्टोन ड्रिफ्टिंग, डाइक कटिंग, साईडिंग ट्रैक की सफाई, ट्रैक पैकिंग तथा भूमिगत चिनाई कार्य जैसे अस्थायी तथा गैर-बारहमासी प्रकृति के कार्य;

(च) स्वच्छता तथा सफाई का कार्य जहां-कहीं भी यह अंश-कालिक प्रकृति का होता है;

(छ) भूतपूर्व सैनिकों को लगाकर कुछ कोलियरी स्थलों, अवस्थापनों तथा भवनों की रखवाली तथा देखभाल करना;

(ज) अन्य कार्य जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों से छूट देते हुए स्वीकृति की गई हो।

(ग) कोल इंडिया लि० की विभिन्न सहायक कंपनियों की खानों में संविदात्मक (एजेंसियों) द्वारा लगाये गये ठेके के श्रमिकों की कुल संख्या नीचे दी गई है :-

कंपनी	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार	1.4.2000 स्थिति के अनुसार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	4349	3952
भारत कोकिंग कोल लि०	2385	2481
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	7000	7000
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	5921	5602
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	15797	13255
महानदी कोलफील्ड्स लि०	4971	7234
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	6780	3320
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	550	700
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०	310	379
कुल	48063	43923

गत 2 वर्षों अर्थात् 1999-2000 तथा 1998-99 के लिए संविदात्मक कार्यों पर किया गया कंपनी-वार व्यय नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु० में)

कंपनी	1999-2000	1998-1999
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	68.82	65.29
भारत कोकिंग कोल लि०	73.61	61.29
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	165.48	174.94
नार्दन कोलफील्ड्स लि०	64.54	57.62
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	169.32	147.96
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	204.23	181.95
महानदी कोलफील्ड्स लि०	177.16	167.74
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०	4.75	16.01
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स/सीआईएल	21.21	22.82
कुल	994.12	895.94

वर्ष 2001-01 के लेखा-परीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी बाजार

3481. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उभरते हुए जैव प्रौद्योगिकी बाजार में नई संभावनाएं तलाशने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पहला जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ङ) जी हां। जैवप्रौद्योगिकी एक ज्ञानवर्धक व्यापारिक उद्यम है। उभरते हुए जैवप्रौद्योगिकी बाजार में प्रति वर्ष नए क्षेत्रों की खोज और इनकी समीक्षा की जाती है जिसके आधार पर अनुसंधान एवं विकास के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं तथा नए कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। जीनोमिकी, जैवसूचनाप्रणाली और तंत्रिका जीवविज्ञान, पर्यावरण तथा पादप जैवप्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक अनुसंधान हेतु सहायता के क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा सहायता प्रदान की गई है ताकि स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं पर्यावरण संबंधी मामलों में उठने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। सरकार जैवप्रौद्योगिकी के विविध लाभ और उसकी व्यापक क्षमता के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर जैवप्रौद्योगिकीय सम्मेलनों का संचालन और उन्हें सहायता प्रदान करती रही है। कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सम्मेलनों के सिफारिशों की जांच की जाती है। अनुसंधान एवं विकास परिणामों को प्रक्रियाओं तथा उत्पादों में परिवर्तित करने के भरसक प्रयास किए गए हैं। वैज्ञानिकों और उद्योग-क्षेत्र के बीच परस्पर बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। 32 प्रौद्योगिकियां (नैदानिकी, टीका, ऊतक संवर्धित पादप, जैवउर्वरक और जैवकीटनाशक) उद्योग को हस्तांतरित की गई हैं।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का निजीकरण

3482. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के निजीकरण के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आधुनिकीकरण योजना के साथ इस इकाई के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) कंपनी के पुनरुद्धार को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी भावी संभावना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस्को को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने के लिए सेल को अनुमति दे दी थी। तदनुसार, इस प्रकार के संयुक्त उद्यम में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए सेल ने उपयुक्त पार्टियों से बोली आमंत्रित की थी। तीन कंपनियों को छांटा गया है और इस समय उनकी पेशकशों को मूल्यांकन किया जा रहा है। इच्छुक पार्टियों से प्रत्युत्तर प्राप्त होने में हुए विलम्ब के कारण सेल अभी तक कोई पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत नहीं कर सका।

महिला कैदियों के बच्चों का पुनर्वास

3483. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से जेलों में बंद महिला कैदियों के बच्चों की मदद करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु एक योजना तैयार करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) आर०डी० उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य शीर्षक से 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं० 559 में अन्तरिम आवेदन सं० 1 और अन्तरिम आवेदन सं० 7, जिसके माध्यम से, उच्चतम न्यायालय का ध्यान उन छोटे-छोटे बच्चों, जिनकी माताओं को कतिपय दाण्डिक अपराधों में गिरफ्तारी के कारण, दुर्दशा की ओर दिलाया गया है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। उच्चतम

न्यायालय ने अभी तक पूर्वोक्त अंतरिम आवेदनों में अपना निर्णय नहीं दिया है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान के अनुसार ''कारागार'' राज्य का विषय है। इसलिए, जेल प्रबंधन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। उन बच्चों, जोकि अपनी कैदी माताओं के साथ जेलों में रखे गए हैं, के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनजातीय लोगों के उत्थान तथा लाभ के लिए योजना

3484. श्री जे०एस० बराड़ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2001-2002 के दौरान जनजातीय लोगों के उत्थान तथा लाभ हेतु चलाई जा रही योजनाओं का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जनजातीय लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव रहा; और

(घ) इन योजनाओं से आने वाले वर्षों से राज्य-वार कितने जनजातीय लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश में जनजातियों के उत्थान तथा उन्नति के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। ये योजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान हैं।

(ख) वर्ष 2001-2002 (31.7.2001 तक) के दौरान योजनावार निर्मुक्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में सामान्य रूप से जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार रहा है। जनजातियों में साक्षरता दर में 1971 में 11.39 से 1991 से 29.60 तक सुधार आया है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनजातियों की प्रतिशतता (ग्रामीण) 1977-78 में 72.4% से घटकर 1993-94 में 51.9% हो गई है। सभी योजनाओं में, विशेष रूप से अवसंरचना विकास की योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है। ऐसी योजनाओं में, जो पृथक लाभार्थी-उन्मुख हैं, लाभार्थियों की निर्धारित संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

जनजातिय कार्य मंत्रालय की योजनाएं

क्र० सं०	योजना/मद का नाम
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान
3.	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के लिए छात्रावास
5.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास
6.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन
7.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
8.	शैक्षिक परिसर
9.	जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
10.	जनजातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान
11.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
12.	ग्राम अन्न बैंक योजना
13.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास
14.	कोचिंग एवं सम्बद्ध
15.	पुस्तक बैंक
16.	प्रतिभा का उन्नयन
17.	जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
18.	राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम
19.	ट्राइफेड में निवेश
20.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

विवरण-II

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्य/योजनाएं	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य		गैर-सरकारी संगठनों की सहायता	अनुंसधान एवं प्रशिक्षण (जनजातीय प्रशिक्षण केन्द्र)	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	कोचिंग एवं सम्बद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	910.93	—	25.26	—	26.59	29.11	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	7.23	—	—	—
3.	असम	1019.66	—	—	—	6.91	2.62	10	—	—
4.	बिहार	185.52	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	1542.06	600	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1310.3	2250	—	—	—	70.38	20	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	514.82	58.5	—	—	—	9.83	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	777.55	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	1956.75	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	257.11	350	—	—	—	32.04	—	—	2.15
11.	केरल	91.23	—	—	—	—	8.01	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2611.07	372.21	2.34	—	—	14.28	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	1241.28	2004	—	—	—	11.66	—	—	—
14.	मणिपुर	253.99	—	—	—	—	18.28	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	15.14	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	2165.1	—	1.54	—	—	51.85	—	—	—
19.	राजस्थान	1216.52	1000	2.47	—	—	10.61	—	530	—
20.	सिक्किम	36.01	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	तमिलनाडु	107.77	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	347.01	150	—	—	—	—	10	—	—
23.	उत्तराचंल	74.33	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	734.19	—	—	—	—	16.56	30	—	——
26.	दिल्ली	—	—	—	—	—	28.86	—	—	—
27.	अंडमान व निकोबार	65.95	—	—	—	—	—	—	0.54	2.79
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन व दीव	33.05	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	17463.9	6784.71	31.61	0	33.50	326.46	70	530.54	4.94

*50 करोड़ रु० आवासीय स्कूलों के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 31.7.2001 तक अन्य योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

विवरण-III

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्य/योजनाएं	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	अनुंसधान एवं प्रशिक्षण (जनजातीय प्रशिक्षण केन्द्र)	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	कोचिंग एवं सम्बद्ध
					राज्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	लाभार्थियों की संख्या राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के स्वरूप पर निर्भर रहती है।		270		200	50600			
2.	अरुणाचल प्रदेश						75			
3.	असम					100	100	वि०न०		
4.	बिहार									
5.	छत्तीसगढ़									
6.	गुजरात						100	वि०न०		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हिमाचल प्रदेश						200			
8.	जम्मू व कश्मीर									
9.	झारखंड						12185			
10.	कर्नाटक						12400			70
11.	केरल						8000			
12.	मध्य प्रदेश			100			4300			
13.	महाराष्ट्र						1250			
14.	मणिपुर						375			
15.	मेघालय						8000			
16.	मिजोरम									
17.	नागालैंड									
18.	उड़ीसा			200			12050			
19.	राजस्थान						100		61540	
20.	सिक्किम									
21.	तमिलनाडु						100			
22.	त्रिपुरा							वि०न०		
23.	उत्तरांचल						100			
24.	उत्तर प्रदेश									
25.	पश्चिम बंगाल						400	वि०न०		
26.	दिल्ली						930			
27.	अंडमान व निकोबार							132		
28.	दादरा व नगर हवेली									
29.	दमन व दीव									
	कुल									

वि०न० : विचारणीय नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31.7.2001 तक अन्य योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों में बांग्लादेशी प्रवासियों का शामिल होना

3485. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किये गये;

(ग) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) आधिकारिक स्रोत के अनुसार आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में कितने बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं और वे प्रमुखतः किन-किन क्षेत्रों में रह रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या वर्ष 1999, 2000 और 2001 (31 जुलाई, 2001 तक) के दौरान क्रमशः 34, 41 और 8 थी।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल के बाद ये मामले विचारण हेतु न्यायालय को भेज दिए गए। इनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :-

वर्ष	कुल मामले	विचारण हेतु लम्बित मामले	दोषमुक्त किए गए	दोष सिद्ध ठहराए गए
1999	34	26	8	—
2000	41	35	3	3
2001	8	8	—	—

(ङ) 1999 से 2001 (31 जुलाई, 2001 तक) की समयावधि के दौरान दिल्ली में रहने वाले 760 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बांग्लादेश वापिस भेजा गया। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के यमुना पुश्ता; संजय अमर कालोनी; ईस्ट ऑफ कैलाश में टी०एन०आर० कैम्प; सीलमपुर; सीमापुरी; आजादपुर मार्केट; पूर्वी निजामुद्दीन की बारा पुला झुग्गी बस्ती; हजरत निजामुद्दीन में बस्ती, तैमूर नगर, नरेला अशोक विहार, बादली, बवाना, सरस्वती विहार और जल विहार क्षेत्रों में रह रहे 1909 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर ली गई है।

मलिन बस्तियों में गैर-कानूनी गतिविधियां

3486. श्री भीम दाहाल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोतिया खान, पहाड़गंज तथा आराम बाग में अनधिकृत झुग्गी बस्तियां गत कई वर्षों से गैर-कानूनी गतिविधियां चलाए जाने के लिये जानी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों से झुग्गी बस्तियां हटाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि यद्यपि इन झुग्गी बस्तियों से दिल्ली में अन्य क्षेत्रों की तरह ही अपराधों की सूचना मिलती है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि ये वस्तियां अवैध गतिविधियों के लिए जानी जाती है।

(ख) झुग्गी बस्तियों का अन्यत्र पुनर्वास सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है। इस नीति के अनुसार, स्लम और झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) उन झुग्गी बस्तियों का अन्यत्र पुनर्वास करता है, जिनके लिए भू-स्वामी एजेन्सियों से अनुरोध प्राप्त होता है और जो पुनर्वास खर्च उठाने के लिए भी सहमत होती हैं। स्लम और झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने सूचित किया है कि उन्हें आरामबाग से झुग्गियां स्थानान्तरित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध प्राप्त हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी सूचित किया है कि मोतिया खान की झुग्गी बस्ती को अन्यत्र बसाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

4 वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक (बीआईटी) पाठ्यक्रम को बन्द करना

3487. श्री माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को 10 जून, 2001 को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही 4 वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक (बीआईटी) पाठ्यक्रम को

बन्द करने का निर्देश दिया है जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों आवेदक अधर में लटक गये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने उम्मीदवारों को परेशानी हुई; और

(घ) आवेदकों की कठिनाई तथा हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर कि चार वर्षीय प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि वे बी०आई०टी० पाठ्यक्रम, जिनकी अध्ययन अवधि चार वर्ष है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नहीं आएंगे। इसकी जगह विश्वविद्यालय तीन वर्षीय बी०एससी० डिग्रियां प्रदान करेंगे। तथापि, पिछले शैक्षिक वर्ष 2000-2001 तक चार वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला ले चुके छात्रों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

बागड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

3488. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 2001 के 'दि हिन्दू' में 'बागड़िया रिमेन एन इग्नोर्ड लाट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार का बागड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब तक दिये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बागड़ियों की जीवन दशा को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) दिनांक 5 जुलाई, 2001 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित "बागड़िया रिमेन एन इग्नोर्ड लाट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार में यह आरोप लगाया गया था कि बागड़िया समुदाय के व्यक्ति अस्पृश्यता के कलंक से पीड़ित हैं, उनमें अधिकांश भूमिहीन हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। वे छप्पर की झौपड़ियों में रहते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने संबंधी प्रक्रिया को जून, 1999 में अनुमोदित किया है। इस प्रक्रिया में यह परिकल्पित है कि केवल उन मामलों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाना है जिन पर राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति हो। बागड़िया के मामले में इसके विनिर्देशन के लिए उपर्युक्त में से किसी एजेंसी ने सिफारिश नहीं की है।

(च) बागड़िया समुदाय को राजस्थान राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है और वे अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध लाभों/रियायतों के पात्र हैं।

केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों का स्थानांतरण

3489. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री भीम दाहाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में स्थानांतरण के समय पालन किये जाने वाले नियम और दिशा-निर्देश क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त दोनों संगठनों के विद्यालयों में कुल कितने स्थानांतरण किये गये;

(ग) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों में केंन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों में उनके देश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरण को लेकर कोई नाराजगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्रीय

विद्यालय संगठन में कर्मचारियों के स्थानांतरण शासी बोर्ड द्वारा वर्ष 2000-2001 से आगे के वर्षों के लिए अनुमोदित स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों में निहित अनुदेशों के अनुसार किए जाते हैं। स्थानांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संगठनात्मक आवश्यकताओं/अपेक्षाओं और कर्मचारियों के अभ्यावेदनों में दर्शाई गई अपेक्षाओं पर किसी एक विशेष स्थान पर स्थानांतरण चाहने वाले प्रत्येक कर्मचारी की पात्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। स्थानांतरण पात्रता अंकों के अनुसार तैयार की गई प्राथमिकता सूचियों के आधार पर किए जाते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की स्थानांतरण संबंधी नीति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालयों द्वारा किए गए स्थानांतरण नीचे दिए गए हैं:-

	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अभी तक)
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	904	3122	2770
नवोदय विद्यालय समिति	95	93	302

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी शिक्षण पद अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरणीय हैं। सभी कर्मचारियों की पसन्द के स्थानों में सेवा के अनुकूल अवसर उपलब्ध होने के परिणामत: कर्मचारियों का नियत अवधि के बाद तथा सुव्यस्थित ढंग से बारी से स्थानांतरण किये जाने से न केवल उनकी दक्षता में ही वृद्धि होती है बल्कि उनमें प्रेरणा और प्रोत्साहन की भावना का भी संचार होता है।

विवरण

नवोदय विद्यालय समिति की वर्तमान स्थानांतरण नीति के ब्यौरे :-

1. समिति किसी भी समय प्रशासनिक आधार/सार्वजनिक हित में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण कर सकती है।

2. ये स्थानांतरण सामान्यतया शैक्षिक सत्र से प्रभावी होंगे और संबंधित शैक्षिक वर्ष के 31 अगस्त के बाद कोई स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित भर्ती के क्षेत्र के सभी मामलों में सभी अन्त: क्षेत्रीय स्थानांतरण के अनुरोध पर पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर ही विचार किया जायेगा।

4. साधारणतया किसी भी शिक्षक की नियुक्ति अथवा स्थानांतरण उसके गृह जिले में नहीं किया जायेगा।

5. शिक्षकों के अनुरोध पर स्थानांतरण को न्यूनतम किया जाएगा तथा उसे यह उसके अधिकार की तरह उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

6. (क) समिति के प्रत्येक कर्मचारी को रिक्त पदों पर उनके कैरियर में अनुरोध पर स्थानांतरण के दो अवसर दिये जायेंगे। किसी विशेष रिक्त पद पर स्थानांतरण के लिये एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में, स्थानांतरण का निर्णय निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा :-

   (क) अत्यधिक गंभीर चिकित्सा के आधार पर।

   (ख) पति / पत्नी के मामले।

   (ग) समिति द्वारा घोषित दुर्गम स्थल पर (कम से कम पांच वर्ष) दीर्घ सेवा।

   (ख) प्रथम स्थानांतरण के अनुरोध की तारीख के बाद पांच वर्षों की अवधि के बीत जाने के बाद ही द्वितीय स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। प्रथम स्थानांतरण की मांग करने वालों को द्वितीय स्थानांतरण की मांग करने वालों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। ध्यातव्य: उपर्युक्त वरीयताओं के क्रियान्वयन में किसी समानता (टाई) होने की स्थिति में चिकित्सा आधार पर वरीयता के संबंध में नवोदय विद्यालय संगठन के निदेशक निर्णय लेंगे और अन्य मामलों में वरिष्ठता आधार पर वरीयता दी जाएगी।

   (ग) प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक अध्यापकों की श्रेणी, अध्यापकों की विविध श्रेणियों तथा गैर-शिक्षण स्टाफ यथा उच्च श्रेणी लिपिक और उससे निम्न श्रेणी के उन कर्मचारियों जो अखिल भारतीय संवर्ग में शामिल नहीं हैं, से संबंधित अन्तर-राज्यीय स्थानांतरण के मामले में संबंधित कर्मचारी को उनके स्थानांतरित किए गए क्षेत्र से संबंधित संवर्ग और संबंधित वर्ष की वरिष्ठता सूची के सबसे नीचे रखा जाएगा।

7. अन्तर-क्षेत्रीय स्थानांतरणों के अनुरोध के मामले में स्थानांतरणों के अनुरोध पर विचार किये जाने हेतु योग्य बनने से पहले भर्ती वाले क्षेत्र में पांच वर्षों की न्यूनतम अनिवार्य अवधि पूरा करना आवश्यक है।

8. तृतीय भाषा (क्षेत्रीय भाषा) के अध्यापकों को उनकी प्रारंभिक तैनाती के क्षेत्र में पांच वर्षों की सेवा पूरी कर लेने पर पुनरावृत्ति आधार (रोटेशनल बेसिस) पर भिन्न क्षेत्र में स्थानांतरण किया जाएगा।

दूरवर्ती शिक्षा योजना

3490. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों को वाइपो (डब्ल्यू०आई०पी०ओ०) विश्वविद्यालय में दूरवर्ती शिक्षा योजना के माध्यम से अपना नाम दर्ज कराने को प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो डब्ल्यू०आई०पी०ओ० विश्वविद्यालय के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में और सीखने के लिये भारतीय छात्रों को किस तरह की सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या डब्ल्यू०आई०पी०ओ० और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच कोई संपर्क विकसित किया जा रहा है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी नीति या योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में अज्ञानता दूर करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों और डब्ल्यू०आई०पी०ओ० के बीच संपर्क को अंतिम रूप देने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या भूमिका है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है। मार्च, 1998 में विश्व अकादमी 'वाइपो' की स्थापना विशिष्ट ज्ञान और कौशलों की जानकारी प्राप्त करने के विषय में सदस्य देशों की सहायता करने और बौद्धिक सम्पदा पद्धति का लाभ उठाने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए की गई थी। यह अकादमी बौद्धिक सम्पदा के संबंध में जानकारी देने के लिए दूरस्थ पद्धति से एक पाठ्यक्रम आयोजित करती है। यह कोई शुल्क नहीं लेती और कोई भी छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है।

(ग) से (ङ) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों संबंधी अध्ययन का संवर्धन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों और कापीराइट से संबंधित मामलों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है :

(i) **बौद्धिक सम्पदा अधिकार अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना** का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना है ताकि बौद्धिक सम्पदा संबंधी मामलों के प्रति शैक्षिक समुदाय में सामान्य जागरुकता कायम की जा सके और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किये जा सकें।

(ii) **कापीराइट मामलों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने संबंधी योजना** का उद्देश्य प्रवर्तन कार्मिकों को कापीराइट से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उनके प्रति जनता में जागरुकता पैदा करना है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अध्ययन का संवर्धन करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, चेन्नै विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बेंगलौर में पांच पीठ स्थापित की हैं।

चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक मामलों पर विश्व अकादमी 'वाइपो' के साथ तालमेल करने वाला नोडल मंत्रालय है इसलिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने विश्व अकादमी 'वाइपो' और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहायोग से बौद्धिक सम्पदा शिक्षा और प्रशिक्षण पर जुलाई, 2001 में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

पुलिस का आधुनिकीकरण

3491. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आतंकवादियों द्वारा बार-बार प्रयोग किये जाने वाले उच्च क्षमता के विस्फोटक जैसे आर०डी०एक्स० और पी०ई०टी०एन० से संबंधित मामलों से निपटने में दिल्ली पुलिस पूरी तरह सुसज्जित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण और आर०डी०एक्स० और पी०ई०टी०एन० से संबंधित मामलों में प्रभावी ढंग से निपटने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस के बम निष्क्रिय दस्ते के पास बम ब्लैन्किट, बम स्यूट, माइन स्वीपर (एम डी 2000), बम सप्रेशन ब्लैन्किट, आर एस पी टूल किट, इलैक्ट्रॉनिक स्टथोस्कोप, हुक और पाइप लाइन सेट, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, विस्फोटक डिटेक्टर (एम-97) एक्स-रे मशीन (इंस्पेक्टर मॉडल), वाटर कैनन, हैंड मैग्नेटिक फ्लोर स्वीपर, रिमोट ऑपरेटिंग वायर कटर, मैकेनिकल वायर कटर, हेलोजन सर्च लाईट और रिमोट कार ओपनिंग टूल किट जैसे उपकरण हैं। इसके बम निष्क्रिय दस्ते और बम का पता लगाने वाले दलों सहित पुलिस बल का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

मध्य प्रदेश में महिला पॉलिटेक्निक

3492. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
चौधरी तेजवीर सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सहायता से राज्य-वार कितने महिला पॉलिटेक्निक स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने इन राज्यों में ऐसे पॉलिटेक्निकों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना नहीं है। अत: केन्द्रीय सहायता से नए महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन की नीलामी

3493. श्री रामजीलाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कई हिस्सों में जमीन की नीलामी की थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में वर्ष 1998 से जून, 2001 तक कुल कितनी जमीन बेची गई;

(ग) क्या उक्त जमीन की नीलामी हेतु न्यूनतम दर निर्धारित की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिये अलग-अलग दरें निर्धारित की गई थीं;

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित दरें कितनी थी और उक्त दरों के निर्धारण का क्या आधार था; और

(च) उक्त जमीन की खरीद और नीलामी दर के बीच क्या अन्तर था?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) 66,034.782 वर्ग मीटर।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) वाणिज्यिक, रिहायशी तथा औद्योगिकी सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य निर्धारण की पद्धति भिन्न-भिन्न है। आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए अनिवार्य पद्धति एक दम पूर्व वर्ष के दौरान संबंधित क्षेत्र की औसत नीलामी दर अपना कर उसमें से स्पर्द्धा आकर्षण अधिदेय राशि घटाने की है। आरक्षित मूल्य तथा आरक्षित दर और नीलामी दर में अंतर भी अलग-अलग क्षेत्र में तथा प्लाट के अवस्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में कपार्ट द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

3494. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कपार्ट द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक परियोजना-वार गैर-सरकारी संगठन-वार और स्थान-वार प्राप्त, स्वीकृत/लागू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठन-वार; परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार क्या परिणाम निकला;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) आज की तिथि के अनुसार राज्य में कपार्ट के पास मंजूरी के लिये कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(छ) सरकार द्वारा राज्य में बाकी परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में रह रहे विदेशी अप्रवासी

3495. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने विदेशी अप्रवासी रह रहे हैं और वे किन-किन देशों के हैं;

(ख) क्या सरकार किसी देश के अप्रवासी को कोई राहत दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, देश-वार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर कितना वार्षिक खर्च किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां, उनसे पूर्व परामर्श करके, संविधान के अनुच्छेद 258 और 239 के अन्तर्गत क्रमश: राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपी गई है। अत: भारत में रह रहे विभिन्न देशों के प्रवासियों के बारे में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, श्रीलंकाई और तिब्बतियों, जिन्हें भारत में शरण दी गई है और जो सरकार से कुछ सहायता प्राप्त कर रहे हैं, के बारे में उपलब्ध आंकड़ों, से पता चलता है कि 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार लगभग 65,000 श्रीलंकाई और 1,08,000 तिब्बती भारत में रह रहे हैं। ऐसे श्रीलंकाइयों को, शिविरों में शरण, नकद, कपड़े रियायती दरों पर राशन, बर्तन और चिकित्सा सुविधाओं जैसी राहत देने पर भारत सरकार द्वारा 1983 से मार्च, 2000 तक 229.36 करोड़ रु० (लगभग) राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2000-2001 के लिए इस प्रयोजनार्थ 25 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गयी है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने ऐसे तिब्बतियों पर 31.3.2001 तक 18.12 करोड़ रु० की राशि खर्च की है। इस खर्च में, ऐसे तिब्बतियों के बच्चों की शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा खर्च की गई राशि सम्मिलित नहीं है।

दक्षेस देशों के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन

3496. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 में विश्व बाल शिखर सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए काठमांडू में हाल में दक्षेस देशों के महिला और बाल विकास के मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी उक्त सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा उन निष्कर्षों को लागू करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) 1990 के विश्व बाल शिखर सम्मेलन की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) सितम्बर, 2001 में न्यूयार्क में होने वाले विश्व बाल शिखर के संबंध में क्षेत्रीय परामर्श करने के उद्देश्य से, दक्षिण एशियाई देशों की एक उच्च-स्तरीय बैठक का 22 से 23 मई, 2001 के दौरान काठमांडू में आयोजन किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्मेलन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

- विश्व बाल शिखर सम्मेलन, 1990 तथा 1996 में बच्चों के बारे में आयोजित दक्षेस के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में बच्चों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाने के लिए अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं की पुनर्पुष्टि करना;
- बच्चों पर निरंतर अधिक निवेश का समर्थन व आह्वान करना;
- बच्चों की समस्याओं को ध्यान से सुनने की जरूरत को समझना तथा उनको प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी

सहभागिता को सुनिश्चित करने के तरीकों का सक्रिय रूप से पता लगाना और बच्चों को अच्छे मूल्यों की शिक्षा देना;

– सरकार, निजी व निगमित क्षेत्र, नागरिक सामाजिक संगठनों, समुदायों, व्यक्तियों, बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा जन-प्रचार माध्यमों के बीच हिस्सेदारी के महत्व को मान्यता प्रदान करना; और

– उन राष्ट्रीय अनुभवों व सर्वोत्तम प्रथाओं तथा क्षेत्रीय कार्यनीतियों की साझेदारी का आह्वान करना, जो कि आधारभूत स्तर पर परिवारों व समुदायों के बच्चों को उनके अधिकार दिला सकें।

(घ) विश्व बाल शिखर सम्मेलन, 1990 में बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनको सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2000 तक हासिल किया जाना था। इन लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बाल शिखर सम्मेलन, 1990 के लक्ष्य

I. बाल उत्तरजीविता, विकास व सुरक्षा के लिए प्रमुख लक्ष्य

(क) वर्ष 1990 और 2000 के बीच शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में एक-तिहाई कमी अथवा इसे प्रति 1000 जिवित जन्में बच्चों में 50 व 70 तक लाना, इनमें जो भी कम हो;

(ख) वर्ष 1990 और 2000 के बीच मातृ मृत्यु दर को घटाकर आधा करना;

(ग) वर्ष 1990 और 2000 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में भीषण व अल्प कुपोषण को घटाकर आधा करना;

(घ) सुरक्षित पेयजल तथा मल-जल विसर्जन के स्वच्छ साधनों को सर्वसुलभ बनाना;

(ङ) वर्ष 2000 तक बुनियादी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले आयु वर्ग के कम से कम 80 प्रतिशत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा संपन्न होना;

(च) प्रौढ़ निरक्षरता दर (प्रत्येक देश में उपयुक्त आयु-वर्ग का निर्धारण किया जाएगा) को वर्ष 1990 की तुलना में घटाकर आधा करना; और महिला साक्षरता पर विशेष बल देना; और

(छ) विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना।

II. सहायक/क्षेत्रक लक्ष्य

क. महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा

(i) बालिकाओं और गर्भवती व शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की ओर विशेष ध्यान देना;

(iii) महिलाओं में छोटी उम्र में गर्भाधान होने, गर्भाधान में बहुत कम अंतराल होने, अधिक उम्र में व बार-बार गर्भाधन होने को रोकने हेतु सभी दंपत्तियों को यथावश्यक जानकारी व सेवाएं सुलभ कराना;

(iii) बच्चें के जन्म के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व देखभाल व प्रशिक्षित परिचारिकाओं के सेवाएं सुलभ कराना तथा गर्भावस्था के दौरान जोखिम का मुकाबला करने व प्रसव संबंधी आकस्मिकताओं के लिए विशेष सुविधाएं सुलभ कराना; और

(iv) बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा तथा महिलाओं के लिए त्वरित साक्षरता कार्यक्रम सर्व-सुलभ कराना।

ख. पोषण

(i) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर व अल्प-कुपोषण को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में घटाकर आधा करना;

(ii) कम वजनी जन्म दर (2.5 किलोग्राम या कम) को घटाकर 10 प्रतिशत से कम कर देना;

(iii) महिलाओं में लौह-तत्व की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता के मामलों में वर्ष 1990 की तुलना में एक-तिहाई कमी लाना;

(iv) आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को वास्तविक रूप से समाप्त करना;

(v) विटामिन 'ए' की कमी और इससे होने वाली दृष्टिहीनता जैसी बीमारियों को वास्तविक रूप से समाप्त करना;

(vi) सभी महिलाओं को इस योग्य बनाना कि वे प्रथम चार से छः माह तक बच्चों को केवल स्तनपान करा सकें तथा दो वर्ष तक पूरक आहार देने के साथ-साथ स्तनपान कराना भी जारी रख सकें;

(vii) 1990 के दशक के अंत तक वृद्धि संवर्द्धन तथा इसकी नियमित निगरानी को सभी देशों में संस्थागत किया जाना; और

(viii) घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्योत्पादन में वृद्धि करने हेतु जागरुकता पैदा करना तथा समर्थन सेवाएं प्रदान करना।

ग. बाल स्वास्थ्य

(i) वर्ष 2000 तक पोलियो का सर्वथा उन्मूलन;

(ii) वर्ष 1995 तक नवजात शिशुओं को होने वाले टिटनेंस का उन्मूलन;

(iii) वर्ष 1995 तक टीकाकरण-पूर्व स्तरों की तुलना में ख़सरा से होने वाली मौतों में 95 प्रतिशत की कमी तथा ख़सरा के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी करना; यह दीर्घकाल में ख़सरा उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा;

(iv) कुकुर खांसी, टिटनेस, ख़सरा, पोलियो, क्षय रोग तथा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को होने वाले टिटनैस की रोकथाम के लिए उच्च-स्तरीय प्रतिरक्षण कवरेज को बरकरार रखना (वर्ष 2000 तक एक वर्ष से कम आयु के कम से कम 90 प्रतिशत बच्चे);

(v) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अतिसार के कारण होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी करना तथा अतिसार के मामलों में 25 प्रतिशत की कमी लाना; और

(vi) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली मौतों में एक-तिहाई कमी करना।

घ. जल और स्वच्छता

(i) सुरक्षित पेयजल की सर्वसुलभता;

(ii) मल-जल विसर्जन के स्वच्छ साधनों की सर्वसुलभता; और

(iii) वर्ष 2000 तक गिनी कृमि बीमारी का उनमूलन।

ङ. प्राथमिक शिक्षा

(i) निम्न लागत वाले उपयुक्त पारिवारिक व सामुदायिक प्रयासों सहित प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास संबंधी कार्यकलापों का प्रसार;

(ii) बालकों और बालिकाओं के बीच वर्तमान असमानताओं को कम करने पर जोर देते हुए, औपचारिक स्कूली शिक्षा अथवा समुतुल्य शिक्षण मानकों की अनौपचारिक शिक्षा के जरिए, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा प्राथमिक स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के कम से कम 80 प्रतिशत बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेना;

(iii) महिला साक्षरता पर जोर देते हुए 1990 के स्तर की तुलना में प्रौढ़ निरक्षरता दर को कम से कम आधा कम करना (उपयुक्त आयु वर्ग का निर्धारण प्रत्येक देश द्वारा किया जाएगा); और

(iv) जन-प्रचार माध्यमों, आधुनिक व पारंपरिक संचार साधनों व सामाजिक प्रयासों सहित सभी शैक्षिक माध्यमों से उपलब्ध कराए जा रहे ज्ञान, कौशल व मूल्यों को बेहतर जीवन-स्तर के लिए परिवारों व व्यक्तियों द्वारा अधिकाधिक संख्या में अधिप्राप्त करना, जिसकी प्रभावोत्पादकता को व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से परखा जाएगा।

च. कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे

विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना तथा ऐसी स्थितियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारणों का निदान करना।

पिछड़े जिले

3497. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के अति पिछड़े जिलों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की विशेष योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार ऐसे जिलों के नाम क्या है;

(घ) ऐसे अति पिछड़े जिलों के चयन के क्या मानदंड हैं;

(ङ) क्या ऐसे जिले केन्द्र सरकार से विशेष योजनाएं/धनराशि आबंटन के लिए अधिकृत हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार, ग्रामीण सड़क संपर्क, वाटरशेड विकास,

पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण आवास और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित ढेर सारे कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है और इन्हें पिछड़े जिलों सहित सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अन्य बातों के साथ-साथ देश में अत्यधिक पिछड़े और अति निर्धन 100 जिलों की पहचान करने के लिए 1997 में एक समिति (योजना आयोग के तत्कालीन प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में) गठित की गयी थी। पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा अपनाए गए विस्तृत मानदंडों में वंचितता के सूचकांक (गरीबी अनुपात) और सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को शामिल किया गया। समिति ने देश में सर्वाधिक पिछड़े एवं अत्यंत निर्धन 100 जिलों की पहचान की। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

समिति की रिपोर्टों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विचारों/सुझावों के साथ योजना आयोग को भेज दिया गया है ताकि रिपोर्ट में बताए गए दृष्टिकोण का 10वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जा सके।

विवरण

सभा समिति द्वारा पहचान किए गए पिछड़े और अति निर्धन जिलों की सूची

क्र०सं०	जिलों के नाम
1	2
1.	नालंदा
2.	भोजपुर
3.	रांची
4.	औरंगाबाद
5.	जाहानाबाद
6.	गया
7.	नवादा
8.	सारन
9.	सिवान
10.	गोपालगंज
11.	प० चम्पारन
12.	पूर्वी चम्पारन
13.	सीतामढ़ी
14.	मुजफ्फरपुर
15.	बैशाली
16.	बेगूसराय
17.	समस्तीपुर
18.	दरभंगा
19.	मधुबनी
20.	सहरसा
21.	मधेपुरा
22.	पुर्निया
23.	कटिहार
24.	खगरिया
25.	मुंगेर
26.	भागलपुर
27.	गोड्डा
28.	साहिबगंज
29.	दुमका
30.	देवघर
31.	गिरिडीह
32.	हजारीबाग
33.	पलामू
34.	लोहारदगा
35.	गुमला

1	2
36.	प० सिंहभूम
37.	अररिया
38.	किशनगंज
39.	दादरा व नगर हवेली
40.	कैथल
41.	हमीर पुर
42.	बीदर
43.	टिकमगढ़
44.	छत्तरपुर
45.	पन्ना
46.	सागर
47.	दमोह
48.	खरगोन
49.	खंडवा
50.	विदिशा
51.	सिहोर
52.	रायसेन
53.	बैतूल
54.	हौशंगावाद
55.	नरसिंह पुर
56.	मंडला
57.	छिंदवाड़ा
58.	सिवनी
59.	लालाघाट
60.	राजनन्दगांव

1	2
61.	सरगुजा
62.	औरंगाबाद
63.	जालना
64.	परभनी
65.	बीड
66.	नांदेड
67.	उस्मानाबाद
68.	लातूर
69.	बुलडाना
70.	गढ़चिरोली
71.	यावतमल
72.	फुलबनी
73.	कालाहांडी
74.	कोरापुट
75.	क्योंझर
76.	डूंगरपुर
77.	बांसवाडा
78.	प० सिक्किम
79.	द० सिक्किम
80.	सीतापुर
81.	उन्नाव
82.	हरदोई
83.	रायबरेली
84.	जालौन
85.	ललितपुर

1	2
86.	हमीरपुर
87.	बांदा
88.	फतेहपुर
89.	प्रतापगढ़
90.	बहराइच
91.	बाराबंकी
92.	सिद्धार्थ नगर
93.	महराजगंज
94.	झांसी
95.	मऊ
96.	कानपुर देहात
97.	कूच बिहार
98.	जलपाईगुड़ी
99.	मालदा
100.	दार्जिलिंग

[हिन्दी]

भिलाई इस्पात संयंत्र में रेल पटरी का निर्माण

3498. श्री ताराचंद साहू : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 7.8 मीटर लम्बी रेल पटरी के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र में कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इस परियोजना के पूरा होने और उत्पादन शुरू होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सेल के निदेशक मंडल ने भिलाई इस्पात संयंत्र की मौजूदा रेल तथा स्ट्रक्चरल मिल में 78 मीटर (अठहत्तर मीटर) लंबी रेल का निर्माण करने की सुविधाएं स्थापित करने के लिए हाल ही में सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। इन सुविधाओं के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरराज्यीय सड़कें

3499. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये राज्य लोक निर्माण विभागों और सड़क सीमा संगठन के अंतर्गत अन्तरराज्यीय सड़कों का वित्त पोषण एन०ई०सी० द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई और एन०ई०सी० की चालू वार्षिक योजना के अंतर्गत क्या प्रस्ताव है;

(घ) क्या एन०ई०सी० द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में नई सड़क योजनाओं के लिये कोई कदम उठाए गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पांचवीं योजना से सातवीं योजना तक की अवधि के दौरान, कुल मिलाकर 94 स्कीमों को शामिल किया गया। इनमें से, 64 स्कीमें राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित की गई और 30 स्कीमें सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित की गई नौवीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित 12 स्कीमों को राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित किया गया।

(ग) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमशः 113.68 करोड़ रु०, 126.47 करोड़ रु० और 129.3 करोड़ रु० की धनराशि खर्च की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 150.00 करोड़ रु० की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

(घ) से (च) 10वीं योजना सड़क स्कीमों को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के योजना सचिव, सचिव (लोक निर्माण विभाग), मुख्य अभियंता

(लोक निर्माण विभाग) हैं। योजना सलाहकार (पूर्वोत्तर परिषद) इस समिति का अध्यक्ष है। स्कीमों को तैयार करने हेतु दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकारों से, दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी स्कीमों को अंतिम रूप देने और 10वीं योजना का मसौदा तैयार करने के लिए उन्हें पूर्वोत्तर परिषद को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना

3500. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना की घोषणा कर दी गई है लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को शीघ्रता से लागू करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय नामक एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इस बीच यह योजना शिक्षा विभाग को अंतरित कर दी गई। प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अब जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से योजना को अंतिम रूप दे रहा है।

[अनुवाद]

अधिक वसूली के लिए कंपनियों द्वारा भुगतान

3501. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिपला कंपनी ने अधिक वसूली के लिए भुगतान के रूप में 100 करोड़ रुपये की अतिभार राशि का भुगतान एनपीपीए को कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य कंपनियों द्वारा देय भुगतान संबंधी लंबित धनराशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जिन कंपनियों ने अधिक मूल्य वसूल किए हैं, उनके विरुद्ध औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 13 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। विभिन्न कम्पनियों को लगभग 100 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और ये मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

पीपीएल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण

3502. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने पीपीएल द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपने डाई-अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र में साइक्लोन्स और स्क्रबर्स, सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में कैंडल और पॉलिजोन फिल्टर्स और फास्फोरिक एसिड संयंत्र में वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस जैसे सभी अंत:निर्मित नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जुआंग आदिवासियों का उन्नयन

3503. श्री भर्तृहरि महताब : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में जुआंग आदिवासियों के उत्थान हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या जुआंग जनजातियों के कल्याण और उत्थान हेतु विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में जुआंग जनजातियों के उत्थान के लिए एक माइक्रो परियोजना स्थापित की है। इस माइक्रो परियोजना की समीक्षा से पता चलता है कि इसकी शुरूआत से 1998-99 तक जुआंगों के विकास हेतु विभिन्न समुदायों और पृथक लाभार्थियों की योजनाओं के लिए 1,96,08,712 रु० की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, आदिम जनजातीय समूहों (पी टी जी) के विकास के लिए एक विशेष केन्द्रीय

क्षेत्र योजना 1998-99 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जुआंग जनजातियों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए 47.83 लाख रु० की राशि जुआंग जनजातियों सहित उड़ीसा के आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए 200 लाख रु० की राशि निर्मुक्त की गई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों का लागू किया जाना

3504. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1992 से अब तक लागू की गई वार्षिक रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, सरकार ने अभी तक वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्टें एवं लेखा-परीक्षा तथा उनमें की गयी सिफ़ारिशों पर की गयी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट संसद के समक्ष निम्नलिखित तारीखों को प्रस्तुत कर दी गयी है:-

क्र. सं.	वार्षिक रिपोर्ट का वर्ष	वार्षिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की संख्या	की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सहित रिपोर्ट को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत करने की तारीख	की गयी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सहित रिपोर्ट को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	1992-93	43	26.8.95	25.8.95
2.	1993-94	17	16.5.97	16.5.97
3.	1994-95	89	14.12.98	18.12.98
4.	1995-96	99	23.12.99	12.5.2000
5.	1996-97	105	19.12.2000	22.12.2000

स्वच्छता संबंधी बाजारों (सैनिटरी मार्केट) की स्थापना

3505. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर स्वच्छता संबंधी बाजारों (सैनिटरी मार्केट) की स्थापना हेतु पंचायतों को वित्त प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बाजारों की स्थापना स्वच्छता संबंधी नीति का एक घटक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में स्थापित किये गये ऐसे बाजारों की संख्या कितनी है और ऐसे बाजारों की कार्य-प्रणाली क्या है;

(च) क्या इन बाजारों में नवीनतम डिजाइन और वस्तुएं उपलब्ध हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (छ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। ग्रामीण सैनिटरी मार्ट्स/उत्पादन केंद्रों का गठन संपूर्ण स्वच्छता अभियान का एक घटक है। मौजूदा दिशा-निर्देशों तथा परियोजना प्रस्तावों के अनुरूप वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली (उत्पादन केंद्र/ग्रामीण सैनिटरी मार्ट्स के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल परियोजना लागत 5% मुहैया काराया जाता है। आज तक प्रायोगिक जिलों में 840 ग्रामीण सैनिटरी मार्ट्स/उत्पादन केंद्र मंजूर किए गए हैं। ग्रमीण सैनिटरी मार्ट्स की स्थापना जागरुकता सृजन, प्रेरकों को प्रशिक्षण देना, सामाजिक जुटाव आदि तथा किफायती स्वच्छता सामग्रियों की मांग की पूर्ति के लिए की गई हैं।

कोयला धोवनशालाएं

3506. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० की अनुषंगी इकाइयों के अंतर्गत कार्य कर रही कोयला धोवनशालाओं की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक धोवनशाला की उत्पादन क्षमता और उत्पादन कितना रहा;

(ख) धोवनशाला में प्रति टन कोयले की सफाई पर धोवनशाला-वार कितना खर्च होता है;

(ग) धोवनशालाओं के माध्यम से सफाई होने के बाद प्रति टन कोयले की खनन स्थल पर कीमत कितनी होती है;

(घ) धोवनशालाओं के माध्यम से सफाई होने के पहले और सफाई होने के बाद कोयले में धोवनशाला-वार राख की मात्रा कितनी है;

(ङ) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि० में कोई धोवनशाला स्थापित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) सीआईएल की सहायक कंपनियों में 19 कोयला वाशरियां प्रचालन में हैं। इनकी क्षमता तथा गत 3 वर्षों के लिए साफ कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	वाशरी का नाम	कच्चे कोयले की थ्रूपुट क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	98-99 उत्पादन (मि०ट० प्रतिवर्ष)	99-00 उत्पादन (मि०ट० प्रतिवर्ष)	00-01 उत्पादन (मि०ट० प्रतिवर्ष)
1.	दुग्दा-1, बीसीसीएल	1.00	—	0.44	0.37
2.	दुग्दा-2, बीसीसीएल	2.00	0.40	0.47	0.37
3.	पाथरडीह, बीसीसीएल	1.6	0.28	0.28	0.24
4.	लोडना, बीसीसीएल	0.48	0.14	0.16	0.11
5.	सुदामडीह, बीसीसीएल	1.6	0.32	0.36	0.32
6.	मूनीडीह, बीसीसीएल	1.6	0.44	0.51	0.43
7.	बरोरा, बीसीसीएल	0.42	0.11	0.17	0.10
8.	महुदा, बीसीसीएल	0.63	0.22	0.26	0.25
9.	मधुबन, बीसीसीएल	2.5	0.03	0.33	0.14
10.	कथारा, सीसीएल	3.0	0.56	0.54	0.61
11.	सवांग, सीसीएल	0.75	0.44	0.36	0.33
12.	राजरप्पा, सीसीएल	3.0	1.00	0.80	0.81
13.	केडला, सीसीएल	2.6	0.39	0.35	0.34
14.	कारगली, सीसीएल	2.72	0.69	0.69	0.73
15.	गिड्डी सीसीएल	2.5	0.48	0.64	0.60
16.	पिपरवार, सीसीएल	6.5	4.67	5.40	4.46
17.	नंदन, डब्ल्यूसीएल	1.2	0.35	0.30	0.28
18.	बीना, एनसीएल	4.5	—	0.49	0.74
19.	भोजूडीह, बीसीसीएल	1.7	0.80	0.84	0.76

(ख) से (घ) विवरण नीचे दिये अनुसार है :-

क्र.सं.	वाशरी का नाम	साफ कोयले की प्रसंस्करण लागत/टन (रु०)	धुलाई के बाद कोयले की लागत/टन (रु०)	धुलाई पूर्व राख का प्रतिशत	धुलाई के बाद राख का प्रतिशत
1.	दुग्दा-1, बीसीसीएल	432.8	866.13	48.5	35.5
2.	दुग्दा-2, बीसीसीएल	901.6	2653.00	33.0	19.94
3.	पाथरडीह, बीसीसीएल	1035.3	2808.29	29.1	19.96
4.	लोडना, बीसीसीएल	615.0	2255.64	31.5	20.03
5.	सुदामडीह, बीसीसीएल	979.3	2671.64	30.3	19.74
6.	मूनीडीह, बीसीसीएल	663.6	1700.90	28.2	19.0
7.	बरोरा, बीसीसीएल	946.2	2639.91	27.9	18.86
8.	महुदा, बीसीसीएल	564.3	2204.55	22.5	18.5
9.	मधुबन, बीसीसीएल	2627.6	4145.64	33.2	20.15
10.	कथारा, सीसीएल	562.48	1940.97	31.7	19.2
11.	सवांग, सीसीएल	471.1	1653.87	35.5	19.3
12.	राजरप्पा, सीसीएल	344.9	1848.72	34.3	19.7
13.	केडला, सीसीएल	915.25	2809.61	31.2	19.5
14.	कारगली, सीसीएल	438.01	1099.54	42.5	33.1
15.	गिड्डी सीसीएल	371.11	1437.53	43.5	33.0
16.	पिपरवार, सीसीएल	43.92	769.63	39.9	34.3
17.	नंदन, डब्ल्यूसीएल	459.93	1760.00	29.0	18.0
18.	बीना, एनसीएल	58.36	749.77	ई एण्ड एफ ग्रेड	33.41
19.	भोजूडीह, बीसीसीएल	491.9	2033.72	25.0	19.67

(ङ) सीआईएल द्वारा एमसीएल में किसी भी वाशरी की स्थापना नहीं की गई है।

(च) कोल इंडिया लि० द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने एमसीएल में बिल्ड-ऑन-ऑपरेट योजना के अंतर्गत कलिंगा तथा अनंत-भरतपुर में दो नॉन-कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना को अंतिम रूप दे दिया है। परन्तु धुलाई प्रभारों की मात्रा में सहमति के अभाव में बिल्ड-ऑन-आपरेट योजना के अंतर्गत वाशरियों का विनिर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है।

आवास क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

3507. श्री अनन्त नायक : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वी आई पी सुरक्षा

3508. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों को, विशिष्ट सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा किए गए वर्तमान खतरे की आशंका के आकलन के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इसकी आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि की गई सुरक्षा, खतरे की आशंका के अनुरूप है। संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

दिल्ली के पुलिस थानों में मामले का दर्ज किया जाना

3509. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न थानों में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गये मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को मामलों के दर्ज किये जाने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा इंकार किये जाने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी थाने-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) 1 जुलाई, 2000 से 30 जून, 2001 के दौरान दिल्ली में दर्ज किए गए आई पी सी मामलों की संख्या 55260 थी।

(ख) से (घ) वर्ष 2000 और 2001 (31 जुलाई, 2001 तक) के दौरान, दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों के दर्ज करने से इन्कार किए जाने की 16 शिकायतें जांच के बाद सही पाई गई। इस संबंध में अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	पुलिस अधिकारी का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	आर्दश नगर	उप निरीक्षक, राम प्रसाद 3831/डी	निन्दा की गई
2.	सुलतान पुरी	उप निरीक्षक, सी एम मीणा, डी/1503 हैड कांस्टेबल, प्रहलाद सिंह, 465/एन डब्ल्यू	चेतावनी दी गई
3.	मुकर्जी नगर	उप निरीक्षक, महावीर सिंह, डी/1345	निन्दा की गई
4.	सुलतान पुरी	निरीक्षक, जगबीर सिंह, डी-I/746	निन्दा की गई

1	2	3	4
5.	बवाना	निरीक्षक, आर०के० मीणा, डी-I/193 उप निरीक्षक, जैड० एच खान, डी-2115	विभागीय जांच आरंम्भ की गई
6.	सुलतान पुरी	उप निरीक्षक, रघुबीर सिंह, डी/3000	निन्दा की गई
7.	केशवपुरम	हैड कांस्टेबल, यमुनप्पा, 552/एन डब्ल्यू	निन्दा की गई
8.	हौज काजी	उप निरीक्षक, राजेश कुमार, डी/1260 हैड कांस्टेबल, इन्द्रपाल, 255/सी	विभागीय जांच आरंम्भ की गई
9.	कल्याण पुरी	उप निरीक्षक, एस एन राजौरा, डी/1207	निन्दा की गई
10.	मन्डावली	उप निरीक्षक, संजय दहिया, डी/184	निन्दा के लिए कारण बाताओ नोटिस जारी किया गया।
वर्ष 2001			
11.	मंगोल पुरी	उप निरीक्षक, सुरेन्द्र कुमार, डी/957	निन्दा की गई
12.	जहांगीर पुरी	सहा० उप निरीक्षक, बलबीर सिंह	निन्दा के लिए कारण बाताओ नोटिस जारी किया गया।
13.	केशवपुरम	उप निरीक्षक, ओम प्रकारश डी/706	निन्दा के लिए कारण बाताओ नोटिस जारी किया गया।
14.	बवाना	हैड कांस्टेबल, राजेन्द्र, 311/एन डब्ल्यू	निन्दा के लिए कारण बाताओ नोटिस जारी किया गया।
15.	सरोजिनी नगर	उप निरीक्षक, नरेश कुमार, डी/260 हैड कांस्टेबल, नरेश कुमार, 151/एस डी	निन्दा के लिए कारण बाताओ नोटिस जारी किया गया।
16.	दिल्ली छावनी	सहा० उप निरीक्षक, ओम प्रकाश, 4552/डी	निलम्बित किया गया

देश में मदरसे

3510. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के दल ने 'रिफार्मिंग दि नेशनल सेक्युरिटी सिस्टम' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल की कोई सिफारिश या निष्कर्ष इस संबंध में है कि मदरसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे हैं या देश के साम्प्रदायिक सौहार्द के मार्ग में अवरोधक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में मदरसों को लेकर कोई सिफारिश की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को उक्त सिफारिशों के विरुद्ध लोगों की आपत्ति और रोष के बारे में जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ज) मंत्रियों के ग्रुप (जी ओ एम) ने "रिफार्मिंग दि नेशनल

सेक्युरिटी सिस्टम'' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं और मंत्रियों के ग्रुप द्वारा की गई अभियुक्तियों और सिफारिशों के ब्यौरे उसमें उपलब्ध हैं। मंत्रियों के ग्रुप ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लाभों के साथ मदरसों को मुख्य धारा में लाने की सिफारिश की है, राज्य सरकार को प्राथमिक पाठशाला स्तर तक पाठय-पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति के लिए सहायता देनी चाहिए और मदरसे के अध्यापकों को गणित, विज्ञान और उर्दू तथा अन्य भाषाएं इत्यादी पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस संवेदनशील मुद्दे को राज्य स्तर के सलाहकार बोर्डों पर छोड़ने की बजाए मदरसे में शिक्षा हेतु केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। इस मंत्रालय द्वारा यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

मंत्रियों के ग्रुप के निष्कर्षों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों को भी सरकार ने नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

राममूर्ति एवं कोठारी आयोग की अनुशंसाएं

3511. डा० बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिए राममूर्ति एवं कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु प्रोफेसर डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का (1964-1966) में गठन किया गया था। इस आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दूरगामी सुधारों की सिफारिश की है जिसमें निरक्षरता उन्मूलन, 10+2+3 प्रणाली वाला एक समान शिक्षा ढांचा माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, पढ़ाई के प्रथम 10 वर्षों के दौरान विज्ञान और गणित का अनिवार्य शिक्षण, त्रिभाषा सूत्र, दूरस्थ और अंशकालिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि, उत्कृष्टता केन्द्रों का संवर्धन और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि ताकि यह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक पहुंच सके, आदि शामिल हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट संसद द्वारा 1968 में पारित प्रथम राष्ट्रीय नीति संकल्प का आधार बनी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए राममूर्ति समिति का (1990 में) गठन किया गया था। समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना, प्रारम्भिक शिशु देखरेख और शिक्षा को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना, स्कूल की औपचारिक शिक्षा का अनौपचारीकरण, मुख्य पाठ्यचर्या में व्यावसायीकरण को शामिल करना, परीक्षा सुधार आयोग का गठन, शिक्षकों तथा छात्रों के लिए शिकायत निवारण तन्त्र की स्थापना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास संबंधी रणनीतियां शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना, 1992 में इन सिफारिशों को यथोचित रूप में समाविष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा संपूर्ण साक्षरता अभियान, आपरेशन ब्लैकबोर्ड, मध्याह्न भोजन, अनौपचारिक शिक्षा (जिसका नाम बदलकर शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा कर दिया गया है), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा की पुनर्सरचना और पुनर्गठन आदि आरम्भ की गई हैं। नीति-निर्देशों को लागू करने के लिए एक समान शिक्षा पद्धति (10+2+3), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, त्रिभाषा सूत्र और शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक भी वर्ष 1997 में संसद में पेश किया गया।

[अनुवाद]

दिल्ली में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण

3512. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अगस्त, 2001 के ''दि हिंदुस्तान टाइम्स'' में ''एस सी ब्लास्टस गवर्नमेंट एमसीडी फार राइज इन इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस'' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को शहरी विकास मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने हेतु की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए शपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने उक्त शपथ पत्र दायर किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में अवैध रूप से अतिक्रमित क्षेत्रों और अवैध निर्माण का उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अपेक्षित ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (च) जी, हां। सिविल रिट सं० 725/1994-एंड क्वाइट फ्लोज मैली यमुना बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और अन्य में दिनाक 31.7.2001 को उच्चतम न्यायलय द्वारा दिया गया आदेश अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा इसकी मत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

एनपीपीए के कार्यक्रम का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों की समिति

3513. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी द्वारा इसके कार्यकरण के निष्पादन में अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2001 में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समिति द्वारा प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने एन पी पी ए के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए फरवरी, 2001 में एन पी पी ए द्वारा अपने सुपुर्द कार्यों को निष्पादित करते समय अपनायी जा रही कार्यविधि का अध्ययन करने तथा जहां आवश्यक हो, सुझाव देने हेतु अध्यक्ष एन पी पी ए की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसमें सदस्य के रूप में अपर मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग तथा अध्यक्ष, टैरिफ आयोग के लिए नामजद व्यक्ति शामिल थे।

(ग) से (ङ) समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं तथा इसकी रिपोर्ट अन्तिम चरण में हैं।

एड्स की दवाओं का मूल्य

3514. श्री किरीट सोमैया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित एड्स की दवाओं के मूल्य में काफी अंतर है;

(ख) क्या विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं का मूल्य काफी ज्यादा है;

(ग) भारतीय कंपनियों और विदेशी-कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं के तुलनात्मक मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह तथ्य है कि पेटेंट अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् एड्स की दवाएं भारत में महंगी हो जाएंगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अफ्रीकी देश भी ट्रिप, पेटेंट अधिनियम से एड्स की दवाओं को छूट दिए जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेटेंट अधिनियम से एड्स की दवाओं को छूट देने का है और इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत एड्स के उपचार के लिए प्रयुक्त रिट्रोवाइरल रोधी औषधें गैर-अनुसूचीबद्ध श्रेणी में हैं, और इसलिए, ये मूल्य नियंत्रण के बाहर हैं। एम आई एम एस, ड्रग टडे, आदि जैसी ख्याति प्राप्त आयुर्विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित डेटा तथा विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स सिपला, मे० ग्लैक्सो और मैसर्स जाइडस केडिला नामक तीन कंपनियां देश में एड्स दवाओं का विनिर्माण/विपणन करती हैं। मै० सिपला ने हाल ही में जुलाई, 2001 में एड्स रोधी दवाओं के मूल्यों में कटौती की है। विभिन्न सूत्रयोगों के लिए वसूले जा रहे मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 पहले से ही लागू है।

(च) अफ्रीकी देश इस बात पर बल दे रहे हैं कि ट्रिप्स करार में सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनका निर्वचन इस रीति से किया जाए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

(छ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

एच.आई.वी. रोधी दवाओं के मूल्यों का विवरण

क्र.स.	प्रपुंज औषध का नाम/संरचना	उत्पाद नाम	कंपनी नाम	पैक आकार	मूल्य (रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	लेमिवयूडाइन 150 मि.ग्रा. +	(i) कोम्बीवीर	ग्लेक्सा-वेलकम	10 टि.	820.00 ख
	जाइडोव्यूडाइन 300 मि.ग्रा.	(ii) डयूओविर	सिप्ला	10 टि.	308.00 क
		(iii) लेमूजिड	जाइडस बायोजेन	10 टि.	470.00 ख
		(iv) डयूओविर	सिपला	60 टि.	1680.00 क
2.	जाइडोब्यूडाइन 100 मिग्रा.	(i) जाइडोविन	जेड.बायोजेन	10 टि.	100.00 ख
		(ii) जाइडोविर	सिपला	10 केप.	77.00 क
		(iii) रिट्रोविर	ग्लेक्सो वेलकम	100 केप.	4963.67 ख
		(iv) जाइडोविर	सिपला	100 केप.	700.00 क
3.	जाइडोब्यूडाइन 300 मिग्रा.	(i) रिट्रोविर	ग्लेक्सो वेलकम	10 टि.	600.00 ख
		(ii) जाइडोविर	सिपला	10 टि.	215.00 क
		(iii) जाइडोविन	जेड. बायोजेन	10 टि.	230.00 ख
		(iv) जाइडोविर	सिपला	60 केप.	1140.00 क
4.	लेमिव्यूडाइन 150 मिग्रा.	(i) लेमिविर	सिपला	10 टि.	132.00 क
		(ii) लेमिविर	सिपला	60 टि.	720.00 क
5.	नेविरेपाइन 200 मिग्रा.	(i) नेविम्यून	सिपला	10 टि.	220.00 क
		(ii) नेविम्यून	सिपला	60 टि.	1200.00 क
6.	स्टेव्यूडाइन 30 मिग्रा.	(i) स्टेविर	सिपला	10 केप.	49.50 क
		(ii) स्टेविर	सिपला	60 केप.	270.00 क
7.	स्टव्यूडाइन 40 मिग्रा.	(i) स्टेविर	सिपला	10 केप.	55.00 क
		(ii) स्टेविर	सिपला	60 केप.	300.00 क
8.	डिडेनोसाइन 100 मिग्रा.	डाइनेक्स	सिपला	60 टि.	1200.00 क

1	2	3	4	5	6
9.	इन्डीनेविर 400 मिग्रा.	इन्डीवेन	सिपला	30 कैप.	1200.00 क
10.	लेमिनडाइन 100 मिग्रा.	लेमिडेक	जेड.एलिडेक	10 टि.	300.00 ग

टिप्पणी:

क. कंपनी की मूल्य सूची दिनांक 5 जुलाई 2001 के अनुसार

ख. आई डी आर (जनवरी-फरवरी 2001) के अनुसार

ग. कंपनी की मूल्य सूची दिनांक मई 2001 के अनुसार

[हिन्दी]

कोयला खनन परियोजना

3515. **श्री रामशकल : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला खानों की राज्य-वार तथा क्षमता-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इनमें से कितनी घाटे में चल रही हैं;

(ग) घाटे में चल रहीं परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) घाटे में चलने वाली परियोजनाओं को लाभ अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार तथा क्षमता-वार कार्यशील कोयला खानों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	खानों की संख्या	क्षमता (मिलियन टन)
1	2	3
पश्चिम बंगाल	99	23.08
झारखंड	166	94.12
उड़ीसा	22	50.49
मध्य प्रदेश	78	51.73
छत्तीसगढ़	58	51.11
महाराष्ट्र	51	29.46
उत्तर प्रदेश	03	11.76
असम और मेघालय	07	00.57
आंध्र प्रदेश	69	34.00
जोड़	553	346.32

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान 391 खानें घाटे में चल रही थीं। तथापि वर्ष 2000-01 में घाटे में चल रही खानों के वित्तीय परिणामों की लेखा-परीक्षा की जा रही है।

(ग) घाटे में चल रही परियोजनाएं/क्षेत्र निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कंपनी	परियोजना/क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	ई.सी.एल.	खोटाडीह (भूमिगत + ओपनकास्ट)
2.	ई.सी.एल.	झांजरा (भूमिगत फेस - I)
3.	ई.सी.एल.	सतग्राम (भूमिगत)
4.	ई.सी.एल.	जे.के. नगर (भूमिगत)
5.	ई.सी.एल.	कालीदासपुर (भूमिगत)

1	2	3
6.	बी.सी.सी.एल.	पुटकी बलिहारी (भूमिगत)
7.	सी.सी.एल.	सौंदा - डी (ओपनकास्ट)
8.	सी.सी.एल.	झारखंड (ओपनकास्ट)
9.	सी.सी.एल.	पारेज ईस्ट (ओपनकास्ट)
10.	सी.सी.एल.	बोकारो (ओपनकास्ट) बेरमो सीम
11.	एस.सी.सी.एल.	कोथागुडेम क्षेत्र, येलान्दू क्षेत्र, मानूगुरू क्षेत्र, बेलामपल्ली क्षेत्र, मंडमारी क्षेत्र, रामकृष्णापुर क्षेत्र, श्रीरामपुर क्षेत्र, रामागुंडम-1 क्षेत्र, रामागुंडम-2 क्षेत्र तथा भोपालपल्ली क्षेत्र।

(घ) सी.आई.एल./एस.सी.सी.एल. द्वारा घाटे में चल रही परियोजनाओं/क्षेत्रों को लाभ कमाने वाली परियोजनाओं/क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. जहां कहीं व्यवहारिक हो भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में बदलना।

2. भूमिगत खानों का, जहां कहीं सम्भाव्य हो एस.डी.एल., एल.एच.डी. और कान्टीनिवस माइनर्स को लागू करके, नियंत्रीकरण करना।

3. श्रमशक्ति को कम करने तथा यंत्रीकरण को लागू करने को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को प्रोत्साहित करना।

4. सूक्ष्म मानिटरिंग तथा प्रोत्साहनों के द्वारा उच्च उत्पादकता हासिल करने के लिए, प्रेरण द्वारा मौजूदा संसाधनों का कारगर उपयोग करना।

5. सभी खानों में कोयला गुणवत्ता सुधार अभियान चलाना।

झारखंड में विधान परिषद का गठन

3516. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झारखंड में विधान परिषद का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में झारखंड में एक सदनीय विधान मण्डल का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार, संसद, कानून द्वारा एक विधान परिषद का सृजन कर सकती है, यदि राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प, विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित करती है। झारखंड विधान सभा ने ऐसे किसी भी संकल्प के बारे में भारत सरकार को सूचित नहीं किया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

3517. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम हेतु जिला-वार कितनी राशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए इस कार्यक्रम हेतु आबंटित की गई धनराशि 135 करोड़ रु० है। पहचाने गए जिलों की संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं प्रस्तावित गतिविधियों/घटकों के अनुसार अनुमोदित और मंजूर की जाती हैं। चूंकि संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मांग आधारित कार्यक्रम है, इसलिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार रिलीज की जाती हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई जिलावार आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित प्रायोगिक जिलों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित प्रायोगिक जिलों की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	4
3.	असम	11
4.	बिहार	11
5	छत्तीसगढ़	3
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	5
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	2
11.	झारखंड	4
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	7
15.	महाराष्ट्र	9
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	2
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	5
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	6
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	7
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तर प्रदेश	19
27.	उत्तरांचल	1
28.	पश्चिम बंगाल	9
29.	अंडमान व निकोबार समूह	1
30.	दादरा व नगर हवेली	1
31.	दमन व द्वीव	1
32.	लक्षद्वीप	1
33.	पांडिचेरी	1
	कुल :	150

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पद

3518. **श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पद के बारे में दिमांक 17 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना को कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लेक्चररों के 26 पद रिक्त हैं। ये पद 1996 से रिक्त हैं। विश्वविद्यालय ने इन पदों को भरने की कार्रवाई पहले ही शुरु कर दी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत धन का आबंटन

3519. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री राजो सिंह :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गांवों का उन्नयन किए जाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु परियोजना-वार और राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार कितना धन जारी किया गया है;

(ग) योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराए जाने के मानक क्या हैं; और

(घ) अब तक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार और परियोजना-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम स्तर पर सतत् मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना शुरु की गई। इसके तहत प्रारंभ में शामिल किए गए पांच घटक/क्षेत्र इस प्रकार है—प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, पोषाहार तथा ग्रामीण आवास। चालू वर्ष अर्थात् वार्षिक योजना 2001-02 से एक और घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल किया गया है।

(ख) 2000-01 के दौरान राज्यवार तथा घटकवार जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की 1.4 प्रतिशत राशि का अलग से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान रखा गया है। शेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को साधारण श्रेणी वाले राज्यों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में क्रमश: 70:30 के अनुपात में बांटा गया है। साधारण श्रेणी वाले राज्यों में ए.सी.ए. का वितरण एक अनिवार्य फार्मूले पर आधारित है। इन राज्यों की रैंकिंग पांच बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के तुलनात्मक अभाव को दर्शाने वाले मिश्रित सूचकांक के अनुसार की जाती है। ये क्षेत्र हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण सम्पर्क। इन सूचकांक के अनुसार जिस राज्य का रैंक नीचे होता है वह पी.एम.जी.वाई. के तहत अधिक ए.सी.ए. प्राप्त करने का पात्र है। जहां तक विशेष श्रेणी वाले राज्य का संबंध है पी.एम.जी.वाई. के तहत इनमें ए.सी.ए. का वितरण इन राज्यों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के समानुपातिक वितरण के आधार पर होता है। पी.एम.जी. वाई. के दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कुल ए.सी.ए. आबंटन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि को पी.एम.जी.वाई. के छह घटकों (पोषाहार को छोड़कर जिसके लिए ए.सी.ए. का न्यूनतम 15 प्रतिशत आबंटन रखा जाना है) में से प्रत्येक पर चार्ज किया जाना चाहिए। जबकि पी.एम.जी.वाइ. के विभिन्न घटकों में 65 प्रतिशत ए.सी.ए. का वितरण इसी तरीके से किया जाएगा, शेष 35 प्रतिशत को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और विवेकाधिकार के अनुसार वितरित किया जाएगा।

(घ) यद्यपि संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा पी.एम.जी.वाई. की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की निगरानी की जाती है तथापि कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या की निगरानी नहीं की जाती है।

विवरण

2000-2001 के दौरान पी.एम.जी.आई. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्राथमिक शिक्षा	पोषाहार	प्राथमिक स्वास्थ्य	ग्रामीण पेयजल	ग्रामीण आवास	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90	1065.45	2841.90	2840.90	1065.45	10654.60

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	511.28	1022.56	1022.56	2550.00	511.28	5617.68
3.	असम	1346.78	2693.56	2693.56	1346.78	1346.78	9427.46
4.	बिहार	2154.37	2154.37	2154.37	2154.37	3291.90	11909.38
5.	छत्तीसगढ़	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	2355.00
6.	गोवा	11.70	11.70	11.70	5.85	11.70	52.65
7.	गुजरात	971.84	485.92	485.92	2590.84	485.92	5020.44
8.	हरियाणा	125.85	390.55	251.70	471.20	251.70	1491.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1710.01	529.58	1334.15	3077.00	0.00	6650.74
10.	जम्मू व कश्मीर	1286.85	1286.58	1286.85	1286.85	1286.85	6434.25
11.	झारखण्ड	1016.85	1016.85	1016.85	1016.85	1016.85	5084.25
12.	कर्नाटक	1126.95	3004.95	1126.94	1127.00	563.47	6949.31
13.	केरल	1040.00	1036.20	1036.20	518.10	518.10	4148.60
14.	मध्य प्रदेश	853.27	3406.54	1235.55	1803.55	853.27	8152.18
15.	महाराष्ट्र	743.47	1486.95	1486.94	2414.00	1486.95	7618.31
16.	मणिपुर	364.20	728.40	728.40	364.20	364.20	2549.40
17.	मेघालय	1000.00	608.85	608.86	1000.00	608.86	3826.57
18.	मिजोरम	303.08	790.15	303.08	1006.00	606.15	3008.46
19.	नागालैण्ड	616.96	962.00	616.96	1322.01	616.95	4131.88
20.	उड़ीसा	1478.26	739.13	1478.26	2478.25	1478.25	7652.15
21.	पंजाब	303.00	909.00	606.00	1616.00	606.00	4040.00
22.	राजस्थान	2705.00	1446.00	1446.00	2158.00	1446.00	9201.00
23.	सिक्किम	600.01	210.83	421.65	600.00	210.83	2043.32
24.	तमिलनाडु	3018.45	785.92	1571.84	1571.85	2330.85	9278.91
25.	त्रिपुरा	762.44	762.45	762.44	2033.22	762.45	5083.00
26.	उत्तर प्रदेश	8597.14	4718.81	8526.25	6727.00	5045.25	33614.45

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तरांचल	188.40	188.40	188.40	188.40	188.40	942.00
28.	पश्चिम बंगाल	3355.00	2517.30	2517.30	5874.00	1258.65	15522.25
	कुल	39503.06	35430.27	38231.63	50613.22	28684.06	192462.24

एन०ई०सी० द्वारा कृषि-बागवानी विपणन योजना के अंतर्गत सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण

3520. **श्री पी०आर० किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन.ई.सी. कृषि-बागवानी विपणन योजना के अंतर्गत सरकारी अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण करती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ग) क्या प्रदेश में इन योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई मूल्यांकन अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के पश्चात् ही मूल्यांकन अध्ययन किया जा सकता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	टिप्पणी
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	रु० 28.45 लाख	—	अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (ए पी ए एम बी) के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
2.	असम	रु० 10,91,688/-	रु० 30,700/-	रु० 1,00,000	गैर-सरकारी संगठन
3.	मेघालय	रु० 6,97,000/-	रु० 5,68,550/-	रु० 7,50,793/-	-तदैव-
4.	मिजोरम	रु० 13,91,538/-	रु० 9,80,000/-	रु० 21,15,233/-	-तदैव-
5.	मणिपुर	रु० 25,94,837/-	रु० 15,17,171/-	रु० 10,42,480/-	-तदैव-
6.	नागालैंड	रु० 17,62,295/-	रु० 39,87,309/-	रु० 14,13,100/-	-तदैव-
7.	त्रिपुरा		रु० 26,00,000/-	रु० 40,00,000/-	पश्चिमी त्रिपुरा में तालियामुरा में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए त्रिपुरा सरकार के कृषि निदेशक को निधियां उपलब्ध कराई गई है। परियोजना की कुल लागत रु० 97.50 लाख है।

उड़ीसा में नगरों एवं शहरों का विकास

3521. **श्रीमती संगीता कुमारी सिह देव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य के विभिन्न नगरों और शहरों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदन प्राप्त/रद्द/लंबित पड़ी योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य को योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) योजना के अंतर्गत शामिल किए गए नगरों और शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) लंबित पड़ी योजनाओं का अनुमोदन किए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित पड़ी योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) स्कीमवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये है।

(घ) विभिन्न स्कीमों के तहत शामिल कस्बों और शहरों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये है।

(ङ) कोई विलम्ब नही है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न ही नही उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त और अनुमोदित स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है

वर्ष	ए यू डब्ल्यू एस पी*		आई डी एस एम टी स्कीम*		सी यू आइ एस एस*	
	स्कीमों की सं०	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)	शामिल कस्बो की सं०	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)	शामिल कस्बो की सं०	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)
1998-99	3	258.00	6	124.34	1	1.29
1999-2000	3	258.62	6	174.00	4	6.61
2000-2001	6	245.79	7	255.00	3	3.75
कुल	12	762.41	19	553.34	8	11.65

*एयूडब्यूएसपी—जल आपूर्ति आवर्धन स्कीम

*आईडीएसएमटी—छोटे और मझोले कस्यों का एकीकृत विकास

*सीयूआईएसएस—केन्द्रीय शहरी अवस्थापना

सोनपुर और पटना गढ़ कस्बों के लिए दो जल आपूर्ति स्कीमें जांच के अधीन हैं क्योंकि राज्य सरकार से स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

नीमपारा के लिए जलापूर्ति स्कीम राज्य सरकार को वापस लौटाई गई क्योंकि यह राज्य स्तीरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के बिना प्राप्त हुई।

आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

उपर्युक्त स्कीमों के अलावा आवास व नगर विकास निगम (हडको) ने 01.04.2000 से 31.03.2001 के दौरान तितालगढ़ कस्बा, उड़ीसा के लिए एक जलापूर्ति स्कीम मंजूर की है जिसकी कुल परियोजना लागत 12.73 करोड़ रु० है तथा ऋण सहायता 10.18 करोड़ रु० है। 01.04.98 से 31.03.2000 तक हडको को वित्तीय सहायता के लिए उड़ीसा राज्य से कोई स्कीम प्राप्त नही हुई है।

विवरण-II

शामिल कस्बों व शहरों का ब्यौरा-स्कीमवार

एयूडब्ल्यूएसपी	आईडीएसएमटी स्कीम	सीयूआईएसएस
नयागढ़	प्टटा मुंडई	पट्ठमुंडई
जूनागढ़	जाजापुर	आंनदपुर
बालूगांव	अथागढ़	शोरो
उमीरकोट	उमरपुर	बारापाली
बौध एन ए सी	चांदमार	बालाशोर
देवगढ़	छत्रपुर	आस्का
राम्भा	आंनदपुर	बंकी
बारापल्ली	शोरो	करांजीया
कन्दाबंगी	बारापाली	
खांडपाडा	बालाशोर	
खालीकोट	कानाक्ष्यानगर	
हिजीलकट	नवरंगपुर	
	आस्का	
	बंकी	
	ब्रह्मापुर	
	अट्टामलीक	
	आनन्द पुर	
	शौरो	
	बालाशोर	

स्कूली शिक्षा के लिए इतिहास का पाठ्यक्रम

3522. **डा० एन० वैंकटस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन०सी०ई०आर०टी० स्कूली शिक्षा के लिए इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तैयारी किस चरण में है और पाठ्यक्रम को तैयार करने में कौन-कौन से लोग लगे हुए हैं; और

(ग) इस नए पाठ्यक्रम को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे के आधार पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इतिहास सहित सभी विषयों के पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप देने में कार्यरत है।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रक्रिया में आन्तरिक संकाय सदस्य, कुछ अनुभवी कार्यरत शिक्षक और कुछ विषय विशेषज्ञ इतिहास के पाठ्यक्रम के निर्माण में शामिल हैं।

(ग) नया पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2002-2003 के आरम्भ में शुरू किया जाएगा।

सफाई अभियान

3523. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र सफाई अभियान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय देश में समग्र सफाई अभियान के लिए कितने जिलों का चयन किया गया तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आंकड़े को बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विगत में कार्यक्रम के कार्यान्वियन से प्राप्त अनुभव के आधार पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1.4.1999 को पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित कार्यक्रम प्राथमिक रूप से गरीबी के मानदंड पर आधारित राज्यवार आबंटन के सिद्धांत से हटकर ''मांग जनित'' दृष्टिकोण पर आधारित हो गया है। चयनित जिलों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम को समुदाय आधारित तथा लोक केंद्रित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। इसमें एक मांग आधारित नीति अपनाई जाती है जिसके तहत जागरूकता सृजन और

वैकल्पिक निष्पादन तंत्रों से संबंधित मांग को पूरा करने पर अधिक बल दिया जाता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रमुख घटक प्रारंभिक गतिविधियां हैं, सूचना, शिक्षा एवं संचार, वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली (उत्पादन केंद्र/ग्रामीण सेनेटरीमार्टस), व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तथा महिलाओं हेतु सैनेटरी काम्पनैक्सों का निर्माण आदि। ग्रामीण स्कूल स्वच्छता को प्रमुख घटक तथा शुरूआती कदम के रूप में शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता व्यापक रूप में अपनाई जा सके।

(ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन हेतु देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिलहाल 150 जिले आबंटित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पहले चरण में संपूर्ण स्वच्छता अभियान 150 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। निधियों की उपलब्धता तथा मांग के आधार पर संपूर्ण स्वच्छता अभियान जिलों की संख्या को बढ़ाने की भी संभावना है।

विवरण

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित अग्रणी जिलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित अग्रणी जिलों की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	4
3.	असम	11
4.	बिहार	11
5	छत्तीसगढ़	3
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	5
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	2
11.	झारखंड	4
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	7
15.	महाराष्ट्र	9
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	2
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	5
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	6
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	7
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तर प्रदेश	19
27.	उत्तरांचल	1
28.	पश्चिम बंगाल	9
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	दादरा व नगर हवेली	1
31.	दमन एवं दीव	1
32.	लक्षद्वीप	1
33.	पांडिचेरी	1
	कुल	150

[हिन्दी]

कापार्ट की स्थापना के उद्देश्य

3524. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कापार्ट की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या कापार्ट द्वारा वांछित उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) देश में कपार्ट के गठन के लिए उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उद्देश्यों की उपलब्धि एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने हेतु परियोजनाओं के कार्यान्वियन में स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण विकास में नये प्रौद्योगिकीय निवेशों को प्रेरित करते हुए इस दिशा में रूवैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना कपार्ट का ही सतत् प्रयास है। कपार्ट की परियोजनाओं तथा योजनाओं की इन उद्देश्यों की पूर्ति की निरन्तर प्रक्रिया में आवधिक समीक्षा तथा संशोधन किया जाता है। आठ हजार से भी अधिक स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गई है। आरंभ से लेकर मार्च 2001 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 570.52 करोड़ रु० की 19637 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कपार्ट द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को 439.53 करोड़ रु० रिलीज किए गए ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त पैरा (ख और ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कपार्ट के उद्देश्य

1. ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए परियेजनाओं के कार्यान्वियन में स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित, बढ़ावा देना तथा इसमें सहायता देना।

2. ग्रामीण विकास में नये प्रौद्योगिकीय निवेशों को प्रेरित करने पर संकेन्द्रण क्ररते हुए इस दिशा में स्वैच्छिक प्रयासों को सुदृढ़ तथा प्रोत्साहित करना।

3. व्यापक रूप से ग्रामीण विकास से संबद्ध प्रौद्योगिकियों के निर्माण और प्रचार प्रसार में सभी प्रयासों के समन्वयन हेतु राष्ट्रीय केन्द्रक बिन्दु के रूप में कार्य करना।

4. अनुसंधान तथा विकास प्रयासों का अभिनिर्धारण तथा वित्त पोषण करके और विभिन्न एजेंसियों तथा संस्थाओं खासकर स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रयोगिक परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उतप्रेरक के रूप में कार्य करना।

5. ग्रामीण विकास में आधुनिक तरीकों तथा उपर्युक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा जन प्रतिनिधियों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए वाहक तंत्र के रूप में कार्य करना।

6. जानकारी तथा डाटा बैंक के क्लेरिंग हाऊस के रूप में कार्य करना।

7. मशीनरी, औजारों, उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी का प्रयास करना ताकि तकनीकी दृष्टि से उन्नत मशीनरी इत्यादि का विनिर्माण प्राइवेट सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जा सके।

8. परियोजनाओं/योजनाओं को बढ़ावा, सहायता, मार्गदर्शन, आयोजना, योजना, शुरू करना, विकास, रख रखाव एवं समन्वय करना जिसका उद्देश्य, चौतरफा विकास, रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, जागरुकता का सृजन, संगठन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य तथा खासकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकलांग वर्गों के जीवन की गुणता में सुधार करना है।

9. पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण के उद्देश्य से कार्यक्रमों को सहायता देना तथा बढ़ावा देना।

10. अनुसंधान एवं विकास के मौजूदा संस्थाओं को सुदृढ करना और संस्थाओं को गठित करना ताकि केवल अथवा

अधिकाधिक ग्रामीण हितों के मामलों पर राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं बनाई जा सके ।

11. इसी प्रकार के उद्देश्यों में इच्छुक यू.एन. प्रणाली की गठित संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित भारत अथवा विदेश में अन्य संस्थाओं, एसोसेशनों तथा सोसाइट्स के साथ समन्वय करना।

12. ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका के लिए उन्नत उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर बल देकर विशेषतया उनकी अभिरूचि की ग्रामीण विकास गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, लैक्चर तथा सेमिनार आयोजित अथवा प्रयोजित करना।

13. खासकर स्वैच्छिक क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अथवा प्रयोजित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में सहभागीदारों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसार प्रचार हो सके।

14. ग्रामीण विकास तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच सम्पर्कों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा बैठकों को आयोजित अथवा प्रयोजित करना।

15. उचित प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विषयों पर अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण, मूल्यांकन कराना तथा समाज के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए फैलोशिप, छात्रवृति तथा पुरस्कारों की पेशकश करना।

16. समाज के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में पेपरों, पत्रिकाओं विनिबन्ध तथा पुस्तकें तैयार, मुद्रित तथा प्रकाशित करना तथा

17. सभी प्रकार के अन्य ऐसे प्रयास करना जिससे समाज इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इन्हें आवश्यक अथवा व्यवहार्य समझें।

महिला और बाल विकास योजनाएं

3525. श्री ए० वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना० मोहोल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पायी है जैसा कि दिनांक 22 जुलाई, 2001 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान किये गये व्यय की तुलना में विकास की गति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं की असफलता के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) राज्य मंत्री ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया, जैसा कि 22 जुलाई, 2001 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार में कहा गया है। महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक स्कीमें/कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनसे देश में महिलाओं तथा बच्चों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, जैसा कि जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि, एवं शिशु मृत्यु-दर में कमी, बालक तथा बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी, महिला साक्षरता दर में वृद्धि, स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों दोनों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी, महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में वृद्धि, लोक तंत्र में बुनियादी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, इत्यादि से पता चलता है।

(ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही है। विकास की धीमी गति के कारणों में सामाजिक क्षेत्र में समुचित निवेश की कमी, सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषायी, जातीय तथा धार्मिक भिन्नताएं, जिनसे एक तरह के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सीमित हो जाता है, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का अभाव, समर्थन की कमी इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों तथा की गई पहलों में मॉनीटरिंग पद्धति का सुदृढ़ीकरण, महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले विभिन्न कानूनों की समीक्षा, कुछ कार्यक्रमों का पुनर्गठन तथा समीक्षा, जागृति विकास कार्यक्रम, गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकार के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास, इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग

वर्ष-वार, स्कीम-वार IXवीं योजना परिव्यय (ब.प्रा. एवं संशो. प्रा.) और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रु० करोड़ों में)

क्र. सं.	ब्यौरा	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001			वार्षिक योजना
		बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.)	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.)	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.)	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.)	2-7-01 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय	2001-2002 परिव्यय ब.प्रा.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**महिला एवं बाल विकास**													
क.	केन्द्रीय स्कीमें चालू स्कीमें													
	(क) बच्चों का कल्याण एवं विकास													
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों हेतु शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र (1975-76)	7.50	7.15	6.05	7.50	7.50	7.50	5.00	3.85	3.85	4.50	4.50	4.50	7.45
2.	बाल देखभाल सेवाओं हेतु राष्ट्रीय शिशुगृह कोष (1992-93)	0.94	0.01	—	1.00	—	—	0.01	0.01	—	0.01	—	—	0.97
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम (1961-62)	0.45	0.45	0.44	0.20	0.20	0.11	—	—	—	स्कीम को बन्द कर दिया गया	—	—	—
*4.	राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	3.00	2.07	1.19	2.60	2.60	2.60	3.50	3.42	3.42	1.50	1.50	1.85	2.50

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (अविस्तारणीय)	0.50	0.50	—	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	—	0.30	0.30	0.27	0.01
6.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम (अविस्तारणीय) (1970-71)	6.05	2.05	—	3.00	3.00	1.44	2.00	1.00	—	0.50	0.50	0.07	0.01
7.	राष्ट्रीय बाल आयोग (1999-2000)	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	—	0.01	—	—	1.00
	कुल (क)	18.44	12.23	7.68	14.80	13.80	12.05	10.92	8.69	7.27	6.82	6.80	6.69	11.94
	(ख) महिलाओं का कल्याण और विकास													
1.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल (1972-73)	7.75	7.75	7.49	7.75	7.75	7.72	7.75	7.75	6.98	7.02	7.02	7.46	9.00
*2.	महिलाओं के लिए रोजगार एवं आयोत्पादन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (1982-83)	18.00	17.00	13.98	18.00	18.00	17.48	15.00	13.00	12.20	13.00	11.00	13.95	18.00
3.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) (1986-87)	16.00	16.00	14.80	16.00	16.00	16.07	15.00	15.00	13.04	13.00	13.00	14.36	18.00
4.	अल्पावास गृह (1969-70)	2.75	2.60	2.46	10.00	4.00	3.00	13.52	8.51	6.75	12.00	8.00	8.00	10.00
5.	महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के निवारण हेतु शिक्षा कार्य (1985)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.01	0.20	0.20	0.20	0.28

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*6.	महिला सशक्तिकरण परियोजना (1997-98)	—	0.27	0.27	1.09	0.50	—	0.50	0.50	0.50	1.43	0.15	—	0.01
7.	कार्यक्रम मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (1986-87)	0.15	0.15	0.02	0.15	0.15	—	0.20	—	—	0.50	अनुसंधान कार्यक्रम में विलय कर दिया गया	—	—
8.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र (1989-90)	2.00	1.50	—	2.00	1.00	—	0.01	0.01	—	1.00	0.20	—	2.00
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग (1990)	2.00	2.50	2.50	2.50	2.75	2.75	3.50	3.25	3.25	3.50	3.50	3.50	5.00
10.	राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (राष्ट्रीय महिला कोष) (1992-93)	0.89	0.01	—	10.00	1.00	—	0.01	0.01	—	3.00	1.51	—	1.00
11.	राष्ट्रमंडल बैठक	—	—	—	—	—	—	1.50	0.50	0.50	1.50	0.60	0.60	स्कीम को बन्द कर दिया गया
12.	महिला अधिकार आयुक्त	0.01	0.01	—	0.01	—	—	0.01	0.01	—	0.01	—	—	स्कीम को बन्द कर दिया गया
13.	महिला समृद्धि योजना (1993)	40.00	38.50	0.15	40.00	20.00	17.45	2.04	2.04	1.96	15.95	15.00	15.95	8.00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	महिला विकास एवं सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा (1998)	—	—	—	0.01	0.90	0.90	1.02	0.50	—	1.41	1.41	1.41	0.50
15.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम (1958)	9.00	9.00	5.60	9.00	9.00	8.79	9.00	1.65	1.65	1.50	1.50	1.50	2.00
16.	सामाजार्थिक कार्यक्रम	15.99	10	2.67	9.00	2.00	—	5.00	0.01	—	1.00	1.00	1.00	1.00
17.	महिला कल्याण ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण	0.05	0.01	—	0.04	—	—	—	—	—	—	स्कीम को बन्द कर दिया गया	—	—
18.	जन-सहयोग ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए जाग-रुकता विकास परियोजनाएं (1986-87)	2.25	2.10	0.38	2.25	2.25	2.14	4.00	3.00	2.60	1.80	1.80	1.80	4.00
19.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और महिलाओं एवं बच्चों के लिए केसक बोर्ड के क्षेत्रीय संगठनों को सुदृढ़ करना (1953)	7.01	7.01	8.03	14.00	14.00	14.00	14.00	12.25	2.33	14.00	14.00	14.00	15.00
	कुल (ख)	124.15	114.71	58.65	142.10	99.60	90.60	92.36	68.29	51.77	91.82	79.89	83.73	93.79

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(ग) अन्य स्कीमें													
1.	अनुसंधान, प्रकाशन एवं प्रबोधन के लिए सहायता अनुदान (1985-86)	0.25	0.25	0.24	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.56	1.50
2.	स्वैच्छिक संगठनों को सांगठनिक सहायता हेतु अनुरक्षण अनुदान	0.20	0.20	0.04	0.20	0.20	—	0.20	0.20	—	0.20	—	—	0.01
3.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान	0.20	0.20	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.25	0.25
4.	सूचना एवं जन-शिक्षा (1984-85)	1.25	1.20	1.1	1.25	1.25	1.17	2.00	2.00	1.32	2.00	2.00	1.88	3.50
5.	नीमा (एन.ई.एम.ए.)	—	—	—	—	—	—	0.30	—	—	0.01	—	—	स्कीम को बन्द कर दिया गया
6.	सूचना प्रौद्योगिकी	—	—	—	—	—	—	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.50
	कुल (ग)	1.90	1.85	1.38	2.15	2.15	1.87	3.90	3.40	2.51	3.41	3.20	3.17	5.76
	कुल क (क+ख+ग)	144.49	128.79	67.71	159.05	115.55	104.62	107.18	80.38	61.55	102.05	89.89	93.59	111.49

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ख.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें													
	चालू स्कीम													
	बाल विकास													
1.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) (1975)	479.40	600.00	608.58	603.14	768.41	795.84	855.76	855.76	880.15	935.00	935.00	1047.59	1198.00
*2	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं (1991)	214.50	214.50	153.27	331.95	140.00	139.65	231.00	231.00	230.75	180.00	140.00	140.01	220.00
*3	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (1975-76)	40.00	20.00	4.28	40.00	40.00	40.00	60.00	35.00	25.55	35.00	20.00	19.95	40.00
4	बालिका समृद्धि योजना (1997-98)	—	60.00	60.00	60.00	60.00	42.66	40.00	40.00	39.97	27.00	21.00	21.00	25.00
	महिला विकास													
5.	इन्दिरा महिला योजना (1995)	—	आईसीडीएस में शामिल	—	10.00	0.01	—	10.00	0.02	—	18.00	2.21	2.10	19.50
*6.	ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना (आई.आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी.)	19.30	1.00		19.30	8.00	8.00	12.81	5.00	5.00	15.00	8.00	8.00	15.00
	कुल ख	753.20	895.50	826.13	1064.39	1016.42	1026.15	1209.57	1166.78	1181.42	1210.00	1126.21	1238.65	1517.50
	कुल (क+ख)	897.69	1024.29	893.84	1223.44	1131.97	1130.67	1316.75	1247.16	1242.97	1312.05	1216.10	1332.24	1628.99

नोट : पहले आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय स्कीम था, किन्तु अब केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम माना जाता है।

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II.	**खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड**													
क.	**केन्द्रीय स्कीम**													
1.	पोषाहार शिक्षा	1.60		0.83	1.80		0.87	1.80		1.53	2.50	2.50	2.78	3.40
2.	विटामिन 'ए' से दूध का सम्पुष्टीकरण	0.05		0.02	0.05		0.05	0.10		0.04	0.05	0.05	0.02	0.10
3.	अनुसंधान एवं विकास	0.10		0.04	0.10		0.03	0.05		—	स्कीम का विलय कर दिया गया	—	—	—
*4.	राष्ट्रीय पोषाहार नीति का कार्यान्वयन (एन.एन.पी.)	0.04		0.03	0.40		0.06	1.10		0.07	0.15	0.15	0.07	0.50
5.	पूंजीगत शीर्ष										0.20	0.20	—	0.20
	कुल (ङ)	2.15	1.50	0.92	2.35	0.00	1.01	3.05	0.00	1.64	2.90	2.90	2.87	4.20
ख.	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**													
1.	पोषक खाद्य का उत्पादन	0.16	0.16	—	0.16		0.16	—		—	स्कीम को बन्द कर दिया गया		—	
	कुल ख	0.16	0.16	—	0.16		0.16	—		—	—	—	—	—
	कुल (खा.पो.बो.) क + ख	2.31	1.66	0.92	2.51	2.51	1.17	3.25	2.70	1.83	2.90	2.90	2.87	4.00
III.	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु आवंटन**													
1.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु आवंटन	—		—	—		—	स्कीमों में शामिल		स्कीमों में शामिल	146.00	130.00	स्कीमों में शामिल	0.01 स्कीमों में शामिल

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV. नई स्कीमें														
1.	महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	0.96	11.00
2.	कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्कीम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.00
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	146.00	131.00	0.96	17.01
कुल (म.बा.वि.)	I+II+III+IV	900.00	1025.95	894.76	1225.95	1134.48	1131.84	1320.00	1249.86	1244.80	1460.95	1350.00	1336.07	1650.00

*वाह्य सहायता कार्यक्रम

महिला एवं बाल विकास विभाग

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	एकक	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**महिला एवं बाल विकास विभाग**											
क.	**केन्द्रीय स्कीमें**											
	बच्चों का कल्याण एवं विकास											
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	शिशुगृहों की संख्या लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	12470 3.12	12389 3.10	12470 3.12	12470 3.12	12470 3.12	12470 3.12	12470 3.12	12470 3.12	12470 3.12	
2.	राष्ट्रीय शिशुगृह कोष	नए शिशुगृहों की संख्या खोले जाने वाले आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह	450 –	450 –	450 150	– –	450 150	– –	450 –	– –	500	
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षित की संख्या	1250	1250	625	–	स्कीम को बन्द कर दिया गया	–	–	–	–	
4.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	केन्द्रों की संख्या	4365	4365	4365	2616	2613	1200	2616	1776	स्कीम को बन्द किया जाना है	
5.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	2.25	2.25	1.66	0.33	1.66	0.02	0.58	0.29	स्कीम को बन्द किया जाना है	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	60	75	60	93	60	78	60	60	65	
7.	राष्ट्रीय बाल आयोग						गैर-परिमाणात्मक					
	ख. महिलाओं के कल्याण एवं विकास											
8.	कामकाजी महिला हॉस्टल	हॉस्टलों की संख्या लाभार्थियों की संख्या	25 2500	23 2269	25 2500	14 1137	25 2500	15 1246	20 2500	29 1950	25 2500	
9.	महिलाओं हेतु रोजगार-सह-आयोत्पादन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	महिला लाभार्थियों की संख्या	25000	36095	25000	35160	20000	20620	18000	22505	25000	
10.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप)	महिला लाभार्थियों की संख्या	16000	53325	16000	56520	16000	6100	30000	52550	40000	
11.	अल्पावास गृह	गृहों की संख्या (नए)	30	—	30	—	30	36	30	117	180	
12.	कार्यक्रम, मानीटरिंग और मूल्यांकन					गैर-परिमाणात्मक						
13.	महिला अधिकार आयुक्त के कार्यालय की स्थापना					गैर-परिमाणात्मक						
14.	महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के निवारण हेतु शिक्षा कार्य					गैर-परिमाणात्मक						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	महिला सशक्तिकरण परियोजना					गैर-परिमाणात्मक						
16.	महिला कल्याण ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण					गैर-परिमाणात्मक						
17.	राष्ट्र महिला आयोग					गैर-परिमाणात्मक						
18.	दूरस्थ शिक्षा					गैर-परिमाणात्मक						
19.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र					गैर-परिमाणात्मक						
20.	राष्ट्र मंडल आयोग की छठी बैठक					गैर-परिमाणात्मक						
21.	राष्ट्रीय महिला कोष	सहायता किए जाने जाने वाली महिलाओं की संख्या	50000	50000	18000	51982	18000	56250	18000	46559	45000	
22.	महिला समृद्धि योजनया	इन्दिरा महिला योजना में विलय कर दिया गया है				गैर-परिमाणात्मक						
23.	शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	पाठयक्रमों की संख्या	1214	1049	1178	306	1178	591	200	1557	250	
24.	सामाजार्थिक कार्यक्रम	एककों की संख्या	700	–	800	–	400	–	54	–	50	
25.	जागरूकता विकास परियोजना	शिविरों की संख्या	2200	1714	2750	2235	2050	795	2110	3422	4000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान					गैर-परिमाणात्मक						
ग.	अन्य स्कीमें											
27.	अनुसंधान, प्रकाशन और मानीटरिंग के लिए सहायता अनुदान	नए अध्ययनों की सं.	22	12	25	27	20	12	20	16	25	
28.	स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान	स्वैच्छिक संगठनों की सं.	80	23	80	—	80	—	80	—	स्कीम को बन्द किया जाना है	
29.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान					गैर-परिमाणात्मक						
30.	सूचना एवं जन-शिक्षा	रेडियो कार्यक्रमों की सं.	52	52	52	13	52	13	—	अनुभाग द्वारा	—	
		वीडियो फिल्म की सं.	40	40	18	2	18	2	18	सूचना नहीं	18	
		फिल्मों की पुनरावृति	10	10	20	—	20	—	20	भेजी गई	20	
31.	नीमा (एन.ई.एम.ए.)					गैर-परिमाणात्मक						
32.	सूचना प्रौद्योगिकी					गैर-परिमाणात्मक						
ख.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें											
33.	समेकित बाल विकास सेवा	परियोजनाओं की सं.	5615	5615	5614	5614	5614	5614	5614	5614	5614	
		चालू परियोजनाओं की सं.	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4368	4388	4915	
34.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना	परियोजना की सं. (पुरानी)	755	755	1157	188	793	685	1257	1257	1247	
		परियोजना की सं. (नई)			126	266	461	318	168	168	268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	वा.वि.परि.अधि. की सं.	300	386	500	694	1000	528	705	712	605	
		पर्यवेक्षकों की सं.	1000	921	2100	1653	1800	1548	3428	2206	3428	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सं. ('000)	41	41	42	33	41	49	87	54	39	
36.	बालिका समृद्धि योजना	लाभार्थियों की सं. (लाखों में)	12	12	12	8.53	12	8	12	5 लगभग	5	
37.	इन्दिरा महिला योजना (महिला सशक्तिकरण परि.)	ब्लाकों की सं.	200	200	200	200	200	238	650	650	650	
38.	स्व-शक्ति परियोजना	जिलों की सं.	—	—	12	12	—	—	—	34	—	
		स्व. सहायता दलों की सं.	7400	—	—	—	740	750	2000	12000	2000	
II.	**खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड**											
क.	**केन्द्रीय स्कीमें**											
39.	पोषाहार शिक्षा	निदर्शन कार्यक्रम की सं.	11360	12940			11360	12273	11360	13986	11380	
		टी.वी./रेडियो कार्यक्रमों की सं.	30	16			40	—	40	39	40	
		आई.सी.डी.एस. की मानिटरिंग	—	—			6916	7000	6916	7498	6986	
		निर्मित फिल्मों की सं.	4	4			10	6	10	10	10	
		आई.एन.ई.सी. एवं ओ.टी.सी. की सं.	102	111			110	116	110	125	1000	
40.	विटामिन 'ए' से दूध का सम्पुष्टीकरण	नई डेरियों की सं.	5	2			5	—	3	—	3	
41.	राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन					गैर-परिमाणात्मक						
42.	पूंजीगत व्यय					गैर-परिमाणात्मक						

[अनुवाद]

आपदा प्रबंध समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाना

3526. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गठित दिल्ली नगर निगम की आपदा प्रबंधन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि समुचित साधनों की अनुपलब्धता के कारण गुजरात में राहत कार्य बुरी तरह बाधित हुआ और कई अमूल्य जानें गयीं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली और देश के अन्य भागों में हर समय पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है लेकिन यह अभी सरकार को पेश नहीं की गई है।

(ख) समिति ने संसाधन मानचित्रण के अलावा, आपदाओं के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के बचाव, राहत तथा पुनर्वास के लिए विभिन्न विभागों/व्यक्तियों की विशेष जिम्मेदारी निर्धारित करने की एक विस्तृत योजना की सिफारिश की है।

(ग) भूंकप की तीव्रता, भूकम्प के केन्द्र प्रभावित क्षेत्र में विशेष उपकरण तत्काल उपलब्ध न होना आदि सभी ऐसे कारक हैं, जिनसे जन जीवन की हानि होती है और राहत कार्य बाधित होता है।

(घ) जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसने कटर और हैमर जैसे कुछ हल्के उपकरणों की मरम्मत/खरीद करवाई है उसने जरूरत के वक्त खरीदे जाने वाले भारी उपकरणों की तत्काल उपलब्धता के स्रोत्रों का पता लगा लिया है।

दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वह नेहरू प्लेस, रोहिणी तथा लक्ष्मीनगर फायर स्टेशनों पर तीन आपदा प्रबंधन प्रकोष्ट कायम कर रही है।

कृषि मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना बनाने तथा आपदा-शमन तैयारी, बचाव व आपदा बाद कार्यवाही से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति आपदा-उपरांत बचाव व राहत कार्य से निपटने के लिए अनुकूल स्थानों पर संगत उपकरणों, यंत्रों और मशीनों की उपलब्धता में सुधार के लिए भी सिफारिशें तैयार कर रही है।

प्रौढ़ शिक्षा

3527. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22.7.2001 के "द टाइम्स आंफ इंडिया" में 'इंडिया एंड भारत डिजिटल डिवाइड वरीज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनेस्को के महानिदेशक ने प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में पूर्ण असफलता के लिए भारत की आलोचना की है और यह भी कहा कि भारत यूनेस्को से उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता की अब आशा न करे;

(ग) यदि हां, तो यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को के महानिदेशक 22 से 25 जुलाई, 2001 तक भारत की सरकारी यात्रा पर थे। अपनी इस भारत यात्रा दौरान उन्होंने दिनांक 23.07.2001 को मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ बैठक की जिसमें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री/यूनेस्को की सक्षमता वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान, यूनेस्को के महानिदेशक ने इस समाचार का हवाला देकर यह स्पष्ट किया कि उनके कथन का उल्लेख संदर्भ के बिना किया गया हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में डकर सम्मेलन की वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में उन्होंने अपने भाषण में भारत की सराहना की थी और आधारभूत शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति के सम्बन्ध में अपने विचार दोहराए थे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्यों को निधियां

3528. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु व्यय की पूर्ति के लिए राज्यों को निधियां जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निधियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (ग) सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों द्वारा को आतंकवादियों/उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने पर किए गए व्यय के लिए राज्यों को 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी :-

(रु० करोड़ों में)

जम्मू और कश्मीर	363.30
हिमाचल प्रदेश	01.79
पूर्वोत्तर राज्य	
असम	63.97
नागालैंड	7.50
मणिपुर	14.17
त्रिपुरा	15.00
अरुणाचल प्रदेश	1.00
मेघालय	3.21
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	6.74
मध्य प्रदेश	1.42
महाराष्ट्र	0.50
उड़ीसा	1.91

इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत आतंकवाद/अतिवाद से निपटने सहित राज्य पुलिस बलों की कारगरता को बढ़ाने से संबंधित विभिन्न प्रयोजनों, के लिए भी निधियां दी गयी हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस स्कीम के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(31.3.2001 की स्थिति के अनुसार) (रु० करोड़ों में)

राज्य का नाम	वार्षिक आवंटन (केन्द्रीय हिस्सा)	वर्ष 2000-2001 के लिए प्राप्त योजनाएं	अनुमोदित योजना	जारी किया गया (केन्द्रीय हिस्सा)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	82.00	177.92	144.04	72.02
अरुणाचल प्रदेश	05.20	06.69	02.30	01.15
असम	38.70	101.49	73.15	36.575
बिहार	54.00	283.19	115.17	57.585
गोवा	02.00	04.64	04.04	02.02

1	2	3	4	5
गुजरात	50.00	220.52	119.53	59.76
हरियाणा	22.10	81.20	56.67	28.325
हिमाचल प्रदेश	06.70	01.36	01.287	01.34
जम्मू और कश्मीर	28.50	154.33	61.65	30.82
कर्नाटक	75.00	305.17	165.70	82.85
केरल	31.50	59.78	58.57	29.285
मध्य प्रदेश	53.00	125.00	108.97	54.49
महाराष्ट्र	92.10	191.02	166.20	83.10
मणिपुर	10.50	26.81	08.20	04.10
मेघालय	05.50	04.28	03.08	01.54
मिजोरम	05.50	11.53	09.91	04.95
नागालैंड	13.50	13.50	05.68	02.84
उड़ीसा	30.50	61.05	61.15	30.575
पंजाब	32.10	78.59	71.51	35.76
राजस्थान	61.10	112.48	91.05	45.525
सिक्किम	03.20	04.27	03.66	01.83
तमिलनाडु	68.10	160.67	153.00	76.50
त्रिपुरा	05.60	25.00	12.79	06.39
उत्तर प्रदेश	123.52	257.31	247.94	123.97
पश्चिम बंगाल	56.50	231.40	120.95	60.475
छत्तीसगढ़	19.00	64.35	41.15	20.575
झारखंड	18.00	100.08	80.30	40.15
उत्तरांचल	06.58	17.57	11.01	05.50
कुल	1000.00	2881.40	1998.657	1000.00

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र में मूल्यवर्धित परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

3529. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र नए स्टेनलैस इस्पात उपकरणों को उत्प्रेरित करने के लिए मूल्यवर्धित परिवर्तन संबंधी गतिविधियां चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए उत्पादों की भारी मांग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संयंत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) बर्तन, पाइप, नालीदार चादरों, डोर फ्रेम/हैंडरेल आदि जैसी मूल्यवर्धित मदों का उत्पादन कर रहा है।

(ग) और (घ) एस एस पी के नए उत्पादों की किस्मों का डिजाइन विशेष बाजार अर्थात् भारत सरकार टकसाल, सेना, चीनी उद्योग, रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, तिरूमला-तिरूपति देवस्थानम आदि की मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ रह रहे ग्रामीणों को स्थान छोड़ने के आदेश

3530. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश रायफल्स ने भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ रहने वाले भारतीय ग्रामीणों को गांव छोड़ने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों पर हमला

3531. **श्री टी० गोविन्दन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों पर हमले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों पर हुए हमलों के ब्यौरे निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	मारे गए तीर्थयात्री	घायल तीर्थयात्री
1999	शून्य	शून्य
2000	21	26
2001	6	8

(ग) इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों को पिछले अनुभव और आतंकवादियों के इरादों के संबंध में मिली जानकारियों को देखते हुए अनेक उच्चस्तरीय बैठकों के पश्चात् तैयार किए गए प्रबंधों के साथ सुदृढ़ किया गया। इस बार यात्रा सुरक्षा हेतु तैनात की गई सुरक्षा बलों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा थी। क्षेत्र प्रभुत्व और यात्रा के मार्ग के साथ-साथ ऊंचे स्थानों पर तैनाती, सड़क खोलने वाली पार्टियां, मार्गरक्षी ड्यूटी, शिविर सुरक्षा, जांच चौकियों

में पहुंच नियंत्रण और उन पर तैनाती, तोड़-फोड़ निरोधी जांच के संबंध में विभिन्न बलों और यूनिटों के कार्यात्मक और क्षेत्रीय अधिकार तथा कार्य राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिए गए थे। यात्रा 2001 हेतु सुरक्षा प्रबंधों के बेहतर समन्वय और योजना के लिए, राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर में एकीकृत मुख्यालय के कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को लेकर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्राइन बोर्ड और संबंधित उप पुलिस महानिरीक्षकों तथा बिग्रेडियरों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करके एक शीर्ष निकाय बनाया गया था। यात्रा के लिए निचले स्तरों पर भी सुरक्षा समन्वय ग्रुप गठित किए गए थे।

सरकार ने, अमरनाथ यात्रा के शेष अवधि हेतु नवीकृत सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सुरक्षा उपायों की समीक्षा की है।

(घ) वर्तमान नियमों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा मारे गए व्यक्ति के नजदीकी रिस्तेदार को 1 लाख रु. और स्थायी रूप से अपंग हो गए, गंभीर रूप से जख्मी और कम जख्मी हुए व्यक्तियों को कमशः 75,000 रु., 5000 रु. और 1000 रु. की अनुग्रहपूर्वक राहत/मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार को इस राशि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा संबंधी व्यय अनुदानों के अधीन की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त पाठ्यक्रम

3532. **श्री ए० नरेन्द्र:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों से सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में सीट बढ़ाने हेतु राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या फैसला किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/इंजीनियरी कालेजों से सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में सीट बढ़ाने हेतु कुल 543 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त किए गए 543 आवेदन पत्रों में से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 181 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शेष प्रस्तावों में पायी गई कमियों से आवेदनकर्ताओं को अवगत करा रही है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में सीटों के बढ़ाये जाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में सीटों को बढ़ाये जाने के लिये दिये गये अनुमोदनों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	105	56
बिहार*	04	00
दिल्ली	03	01
हरियाणा	16	04
हिमाचल प्रदेश	01	00
कर्नाटक	89	22
केरल	18	14
मध्य प्रदेश$	32	05
महाराष्ट्र	33	12
उड़ीसा	12	07
पंजाब	07	02
राजस्थान	11	03
तमिलनाडु	152	37
उत्तर प्रदेश#	38	12
पश्चिम बंगाल	22	06
कुल	543	181

* झारखंड राज्य सहित

$ छत्तीसगढ़ राज्य सहित

उत्तरांचल राज्य सहित

[हिन्दी]

दुर्गापुर रय्यतवाड़ी खान दुर्घटना

3533. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोलफील्ड लि० के अतंर्गत दुर्गापुर रय्यतवाड़ी खान में दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मृतक के आश्रितों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई/कितनों को रोजगार दिया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना में छ: (6) खनिक मारे गए थे। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

दुर्घटना की तारीख व समय	खान/क्षेत्र का नाम	मृतक का नाम तथा पदनाम	दुर्घटना का स्थान	संक्षिप्त ब्यौरा
5.3.2001 12.30 बजे अपराह्न प्रथम पाली	दुर्गापुर रायतवारी कोलियरी, चन्द्रपुर क्षेत्र	1. डी.पी. राव, माइनिंग सरदार 2. एस. कालू, शांट फायरर 3. डब्ल्यू.डी. श्रीरामे, रूफ बोल्टिंग क्रयू 4. पी.के. बाबूलाल, लोडर 5. सी.आर. आम्टे, ट्रामर 6. आर.आर. नेत्रू, लोडर	डिपिलरिंग पैनल नं. 17 के लेवल 14 के 50 और 51 के मध्य का ढालान (डिप ऑफ)	जब व्यकित ऊपर के भाग में स्लाइस हटाने का काम कर रहे थे ऊपर और नीचे के बीच का कोयले का विभाजक धंस गया और ऊपरी भाग के व्यक्तियों और बालू सहित नीचे ढह गया। सभी 6 व्यक्ति बालू और कोयले में दब गए और वे मारे गए ।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय के अतंर्गत खान सुरक्षा महानिदेशक ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 23 के अतंर्गत जांच करवाई है। डी.जी.एम.एस. की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दुर्घटना, खान अधिनियम, 1952 तथा सी.एम.आर., 1957 के प्रावधानों का तथा पैनल के कस्ट्रैक्शन के लिए जिन शर्तों के आधीन अनुमति दी गई थी, अनुपालन करने में असफल रहने के कारण हुई। डी.जी.एम.एस. द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा संस्तुत सुधाराम्मक उपाय करने के लिए, कोयला कंपनी को भेज दी गई है।

(ङ) मृतकों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे की राशि तथा रोजगार की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों का नाम व पदनाम व उम्र	जीवन बीमा	अनुग्रह राशि डब्ल्यूसी एल द्वारा	अनुग्रह राशि कोयला मंत्रालय द्वारा	दाह संस्कार खर्च	अदा किया गया मुआवजा	अदा किया गया उपदान	आश्रितों को दिए गए रोजगार की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री डी.पी. राव, माइनिंग सरदार, 55 वर्ष	30,000	25,000	1,25,000	1,700	1,35,508	1,53,770	रोजगार दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	श्री एस. कालू, शॉट फायरर, 50 वर्ष*	30,000	25,000	1,25,000	1,700	1,53,090	1,51,676	रोजगार दिया गया
3.	श्री डब्ल्यू.डी. श्रीरामे, रूफ बोल्टिंग क्रयू, 41 वर्ष*	30,000	25,000	1,25,000	1,700	1,81,370	48,254.40	रोजगार दिया गया
4.	श्री पी.के. बाबूलाल, लोडर, 26 वर्ष*	30,000	25,000	1,25,000	1,700	2,15,280	39,575.55	रोजगार दिया गया
5.	श्री सी.आर. आम्टे, ट्रामर, 50 वर्ष*	30,000	25,000	1,25,000	1,700	1,53,080	1,24,270.2	प्रक्रियाधीन
6.	श्री आर.आर. नेत्रू, लोडर, 55 वर्ष	30,000	25,000	1,25,000	1,700	1,35,580	1,49,884.5	दावे प्रतीक्षित हैं

*वैयक्तिक तौर पर जनता समूह बीमा के सदस्य को और उन्हें बीमा कंपनी से बीमा दावे के 5 लाख रु० मिले हैं।

[अनुवाद]

वीरप्पन को पकड़ने के लिए संयुक्त योजना

3534. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने वन माफिया और चन्दन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक संयुक्त विस्तृत योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्यों में कानून में और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके खोजना और ठोस उपाय करना राज्य सरकारों का काम है।

डा० राजकुमार के विरप्पन के बंधन से छोड़े जाने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकार ने विरप्पन को पकड़ने और विशेष कार्य बल अभियानों को पुन: सक्रिय करने के उद्देश्य से एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता उपलब्ध कराती रही है।

हज के दौरान बच्चों की तस्करी

3535. **डा० जसवंत सिंह यादव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से हज के दौरान बच्चों की तस्करी रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बच्चों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हज के दौरान बच्चों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने हेतु केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार इत्यादि द्वारा किए जाने वाले कतिपय निवारक उपाय सुझाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना; बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में प्रवासियों के प्रवेश को रोकने हेतु कदम उठाना; मार्गरक्षी (एस्कोर्ट) के पासपोर्ट में बच्चे का नाम पृष्ठांकित करने को

बजाए प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत पासपोर्ट जारी करना; आव्रजन प्राधिकारियों द्वारा साऊदी अरब की यात्रा करने वाले अपंग बच्चों की जांच पड़ताल करना; भारतीय रिर्जव बैंक को सम्बद्व करना; केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और यूनीसेफ से विचार विमर्श करके अध्ययन आयोजित करना और उन क्षेत्रों के लिए, जहां से बच्चों को भीख मांगने के लिए लाया जाता है, बाल विकास योजनाएं बनाना और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अनेक कदम शामिल हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इस समस्या से संबंधित राज्य सरकार, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य हज समिति के अधिकारियों को इस समस्या पर काबू पाने की दृष्टि से निवारक उपाय अपनाने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों में इस समस्या के विरुद्ध जागरुकता पैदा करने के भी कदम उठाए हैं।

विदेश मंत्रालय ने भी अनुदेश जारी किए हैं कि मार्गरक्षी (एस्कोर्ट) के पासपोर्ट में बच्चे का नाम पृष्ठांकित करने की बजाए प्रत्येक बच्चे को अलग से पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

विमानापत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग आपरेशन

3536. श्री विनय कुमार सोराके : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्री ने भारतीय विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग आपरेशन के लिए डी०एन०ए०टी०ए०, अमीरात समूह की एक सहायक कम्पनी को ठेका देने के लिए आपके मंत्रालय से मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का डी०एन०ए०टी०ए० को ठेका दिए जाने की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तनों पर ग्राऊंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में कतिपय मामलों को सुरक्षा निकासी मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को भेजा है।

इस संबंध में संबंधित एजेंसियों के साथ उपयुक्त परामर्श करने के पश्चात उस मंत्रालय को सलाह भेज दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ हिन्दी में पत्राचार

3537. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकार आयोग मुख्यालय में बहुत से प्रपत्र केवल अंग्रजी में उपलब्ध हैं और अधिकांश पत्राचार भी केवल अंग्रेजी में ही होता है;

(ख) यदि हां, तो राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वियन और राजभाषा हिन्दी को उपेक्षा से बचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर प्रपत्र, बिल, फार्म इत्यादि द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी में) हैं और हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। आयोग, राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रहा है। उठाए जाने वाले कदमों में, प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में हिन्दी सप्ताह का आयोजन, मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर मासिक समाचार बुलेटिनों सहित साहित्य का हिन्दी में प्रकाशन, राजभाषा में मूल लेखन या पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद आदि के लिए विशेष पुरस्कारों को शुरू करना शामिल है। आयोग ने निर्णय भी लिया है कि सभी प्राप्तियों/शिकायतों की पावतियां हिन्दी में भेजी जाए और इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से एक उपयुक्त सोफ्टवेयर पैकेज विकसित करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय सीमाओं का गलत चित्रण

3538. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्र की सीमाओं का गलत चित्रण संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही के वर्षों में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल ने भारत के मानचित्र को तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत का नागरिक उस संस्था के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है जिसने भारत की सीमाओं का तोड़-मरोड़ कर मानचित्र प्रकाशित किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (ग) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा (2) की उप धारा (2) [जिसे दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) अधिनियम 1790 के तहत शामिल किया गया] में यह व्यवस्था है कि भारत के मानचित्र का गलत चित्रण करना एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों ही दण्ड दिए जा सकते हैं। अभी तक कुल मिलाकर, 17 मामले ध्यान में आए हैं।

(घ) और (ङ) डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की बाहरी सीमाओं का चित्रण सही नहीं किया गया है। जम्मू और कश्मीर के कुछ भागों को पाकिस्तान/चीन का भाग दिखाया गया है जबकि अरुणाचल प्रदेश को विवादास्पद क्षेत्र दिखाया गया है। इस मामले को स्विट्जरलैंड के भारतीय दूतावास के मार्फत डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल ने इस गलती के लिए माफी मांगी है और मानचित्र का वितरण बंद कर दिया है। आगे, यह सूचित किया गया है कि उन्होंने गलती को सुधारने के लिए कदम भी उठाए हैं।

(च) और (छ) जैसा कि उपर्युक्त (क) भाग में उल्लेख किया गया है, इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

फ्लोर स्केल इन्डैक्स और फ्लोर एरिया रेश्यो में संशोधन

3539. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक जोनों में फ्लोर स्केल इन्डैक्स और फ्लोर एरिया रेश्यो में कमी करने वाले संशोधन संबंधी लिए गए निर्णय के खिलाफ एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय एक तरफा कर लिया है जबकि परिषद ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व और अधिक समय की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने जन-विरोधी आदेशों को वापस लेने और इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वर्तमान उप नियमों में संशोधन करने का निर्णय नगर परिषद, दमन से विचार-विमर्श करने के पश्चात् किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) भवन निर्माण उप-नियमों में संशोधन का निर्णय, निर्माण संबंधी सुरक्षा इत्यादि से संबंधित कतिपय हितकारी प्रावधानों को प्रारम्भ करने के उद्देश्य से लिया गया था। मामले में यथास्थिति बनाए रखने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विश्व बैंक सहायता

3540. श्री राजो सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि की सहायता दिये जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) उक्त धनराशि का किन परियोजनाओं पर खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) बिहार के 20 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए विश्व बैंक द्वारा 15.24 करोड़ अमरीकी डालर (लगभग 530 करोड़ रु.) आई.डी.ए. क्रेडिट का वचन दिया गया है। यह राशि झारखंड के 7 जिलों के लिए भी है।

[अनुवाद]

पुलिस जांच में गुणात्मक सुधार

3541. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस प्रमुख ने पुलिस जांच और प्रणाली के कार्यकरण में गुणात्मक सुधार लाने तथा अपराध समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो जनता में विश्वास जगाने और पुलिस कर्मियों में गौरव की भावना भरने के उद्देश्य से पुलिस की छवि सुधारने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, उच्च अपराध दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना, जमानत और पैरोल पर छोड़े गए अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना अपराध बाहुल क्षेत्रों में गश्त को गहन करना, ज्ञात अपराधियों का रिकार्ड रखना और उन्हें कारगरता के साथ निष्क्रिय करना, अर्न्तराज्यीय गिरोहों को निष्क्रिय करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय, पुलिस जनता के संबंधों को मुकर बनाने के लिए नई सामुदायिक पुलिस व्यवस्था योजनाएं शुरू करना, मामलों की जांच- पड़ताल के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग और लोगों की शिकायतों को शीघ्र निपटाना शामिल है।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, पिछले दो वर्षों के दौरान अपराधों की संख्या में लगातार कमी आई है।

सी.एफ.सी.एल., कोटा से मूल्यह्रास शुल्क वसूलना

3542. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फिक्की" ने चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कोटा से मूल्यह्रास शुल्क के रूप में 166 करोड़ रुपये न तो वसूल किए हैं और न ही समायोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कंपनी से यह राशि वसूलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) मूल्यह्रास प्रभारों के कारण चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कोटा से कोई वसूली/समायोजन बकाया नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गांवों/कस्बों में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूल

3543. श्री सुबोध राय:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा का लाभ पाने वाले गांवों और कस्बों की राज्यवार संख्या अलग-अलग कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 30.9.1993 तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

कस्बों के संबंध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

सातवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण करने की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

ऐसे गांवों की राज्यवार संख्या जहां विभिन्न स्तरों के स्कूल हैं 1993-94

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	ऐसे गांव, जहां निम्नलिखित स्तर के स्कूल हैं		
			प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर	उच्चतर माध्यमिक स्तर
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	26650	23535	4317	464
2.	अरुणाचल प्रदेश	3623	1411	114	44

1	2	3	4	5	6
3.	असम	23888	16513	2472	438
4.	बिहार	67512	43810	2908	394
5.	गुजरात	360	322	153	29
6.	गोवा	18003	17298	3431	740
7.	हरियाणा	6728	5909	1678	240
8.	हिमाचल प्रदेश	16958	6571	1031	179
9.	जम्मू और कश्मीर	6590	5552	825	110
10.	कर्नाटक	27073	22725	3428	678
11.	केरल	1384	1327	1022	247
12.	मध्य प्रदेश	71611	55397	2745	1243
13.	महाराष्ट्र	40516	36982	6821	1234
14.	मणिपुर	2190	1835	260	35
15.	मेघालय	5492	3337	276	11
16.	मिजोरम	682	596	134	2
17.	नागालैंड	1228	1030	97	4
18.	उड़ीसा	46927	31175	4358	517
19.	पंजाब	12415	10324	1865	354
20.	राजस्थान	37889	29157	2811	445
21.	सिक्किम	440	378	80	21
22.	तमिलनाडु	15822	13439	2629	882
23.	त्रिपुरा	855	814	338	93
24.	उत्तर प्रदेश	112803	60487	4040	2346
25.	पश्चिम बंगाल	37733	26815	3353	642
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	504	226	54	29
27.	चंडीगढ़	24	19	11	2
28.	दादरा और नगर हवेली	71	69	11	5
29.	दमन और दीव	24	20	9	0
30.	दिल्ली	200	168	78	59
31.	लक्षद्वीप	7	6	5	1
32.	पांडिचेरी	263	175	36	12
	कुल	586465	417422	51390	11500

घरेलू हिंसा निरोधक विधेयक लाना

3544. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज में महिलाओं की लगातार गिरती स्थिति के संकेतकों के बीच अति शीघ्र 'घरेलू हिंसा निरोधक विधेयक' लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधेयक को लाने हेतु कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके अंतिम राय बनाने के पश्चात् ही विशिष्ट कानूनी उनबंधों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त कानून बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर आधारित है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाना

3545. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के लगभग 2000 कर्मियों के विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में प्रैस में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है और इन पुलिसकर्मियों ने किस स्वरूप के आपराधिक कृत्य किए हैं;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में शिकायत दर्ज की गई थी और जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) कितने मामले सिद्ध हुए और प्रत्येक दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागार राव): (क) और (ख) दिनांक 1 अगस्त, 2001 के नवभारत टाइम्स के अंक में ''अपनों से भी निपटना पड़ता है दिल्ली पुलिस को'' शीर्षक से एक समाचार छपा था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले वर्ष 150 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें 200 पुलिस कार्मिक संलिप्त पाए गए थे। 1992 से 2001 (30 जून, 2001 तक) की अवधि के दौरान विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पुलिस कर्मियों के ब्यौरे नीचे गए हैं:-

क्र. सं.	अपराध का स्वरूप	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मियों की संख्या
1.	हत्या/हत्या का प्रयास	124	154
2.	धन ऐंठना/लूटपाट	84	127
3.	धोखाधड़ी/चोरी	99	128
4.	बलात्कार/उत्पीड़न	76	90
5.	नोट पहुंचना	371	316
6.	भ्रष्टाचार	198	260
7.	अपहरण	24	31
8.	विविध	588	671
	कुल	1466	1777

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या	रद्द किए गए मामलों की संख्या	जांच-पड़ताल के लिए लम्बित मामलों की संख्या	विचारण के लिए लम्बित मामलों की संख्या	दोषमुक्त किए गए	डिस्चार्ज किए गए	दोषी सिद्ध किए गए
1446	6	422	914	81	31	12

व्यय सुधार समिति की सिफारिशें

3546. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यय सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय से संबद्ध दो सहायक निकायों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) समिति द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) इन्हें किस सीमा तक स्वीकार और कार्यान्वित किया गया हैं;

(ङ) क्या इस्पात, खान, खनिज और कोयला मंत्रालय को एक विभाग के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इससे देश में इस्पात उत्पादन में सुधार लाने में किस सीमा तक मदद मिलेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क), (ख) और (घ) व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) की छठी रिपोर्ट में विहित सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है।

(ग) व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई अन्य प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. **इस्पात मंत्रालय के आधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी प्रबंधन की कम्पनियां**

सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों में से आठ उपक्रमों और सरकारी प्रबंधन की एक कम्पनी की विनिवेश/निजीकरण/बन्द करने की संभावना की दृष्टि से निश्चित समय-सीमा में जांच की जानी चाहिए।

2. **इस्पात मंत्रालय**

समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों को कम करने की संभाव्यता की जांच करना तथा डेस्क अधिकारी प्रणाली शुरू करना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

3547. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अधीन 'राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान' नामक कोई संस्था कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे बंद किए जाने के संबंध में सरकार के आदेश का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना

3548. **श्री लक्ष्मण सेठ : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ और भाषाओं, विशेषकर, संथाल भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सरकार ने, निर्णय किया था कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक उपयुक्त मानदण्ड तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि भारत के संविधान में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। तद्नुसार, मानदण्ड बनाये जाने के मुद्दे को विचारार्थ संविधान के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग को भेजा गया है। संथाली सहित और अधिक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर मानदंड बनाए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए पदों का आरक्षण

3549. **डा० अशोक पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ०जा०/अ०ज०जा० सांसदों के फोरम ने सभी विभागों में महत्वपूर्ण पदों/कार्यों के लिए उपयुक्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को तैनात किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों/उनसे संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में एसोशिएट प्रोफेसर/उसके समतुल्य पदों की संख्या कितनी है और 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रत्येक पद पर कार्य कर रहे अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत कुल पदों की तुलना में कितना है;

(ग) इन पदों पर 1.1.1997 के बाद कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और इनमें से कितने व्यक्ति अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित थे और कुल नियुक्तियों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था; और

(घ) इन पदों पर व्यक्तियों का चयन करने वाली समितियों/बोर्डों का स्वरूप/संघटन क्या है और अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित व्यक्तियों को इन समितियों/बोर्डों में शामिल किए जाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवासीय विद्यालय खोलने हेतु धन का आवंटन

3550. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में आवासीय विद्यालय खोलने हेतु आवंटित धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों के लिए आवंटित धन जारी नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने विद्यालय खोले गए और इनसे कितने बच्चे लाभान्वित हुए; और

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ जारी किए गए धन का राज्यावार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के लिए नौवीं योजना अवधि के औरान कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्रति स्कूल 2.5 करोड़ रु० की कुल लागत वाले 100 आवासीय स्कूल मंजूर किए। राज्यवार स्कूलों का आवंटन तथा वर्षवार निर्मुक्त धनराशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। आरंभिक अग्रिम के बाद व्यय को प्रगति के आधार पर धनराशि निर्मुक्त की जाती है। स्कूल स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 275(I) के अंतर्गत जनजातियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए निर्मुक्त की गई निधियों की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु० करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	9वीं योजना के दौरान आवंटित आवासीय स्कूलों की संख्या	प्रति स्कूल 1.00 करोड़ रु० की दर से 1997-98 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	1998-99 के दौरान निर्मुक्त राशि	2000-01 के दौरान निर्मुक्त राशि	2001-02 के दौरान निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6	3.00	3.00	—	—
2.	असम	4	2.00	—	—	—
3.	बिहार	7	4.00	—	—	—
4.	गुजरात	6	4.00	—	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	2	1.00	—	—	—
6.	जम्मू व कश्मीर	3	1.00	—	—	—
7.	कर्नाटक	3	2.00	—	—	—
8.	केरल	2	1.00	1.00	—	—
9.	मध्य प्रदेश	17	7.00	10.00	—	—
10.	महाराष्ट्र	9	4.00	—	—	—
11.	मणिपुर	3	1.00	—	4.00	—

1	2	3	4	5	6	7
12.	उड़ीसा	8	4.00	–	–	–
13.	राजस्थान	7	4.00	3.00	5.00	–
14.	सिक्किम	1	1.00	–	–	–
15.	तमिलनाडु	2	1.00	–	–	–
16.	त्रिपुरा	3	2.00	1.00	–	1.50
17.	उत्तर प्रदेश	2	1.00	–	–	–
18.	पश्चिम बंगाल	5	2.00	3.00	–	–
19.	अरुणाचल प्रदेश	2	1.00	–	–	–
20.	मेघालय	3	2.00	–	–	–
21.	मिजोरम	2	1.00	–	–	–
22.	नागालैंड	3	1.00	2.00	4.50	–
	कुल	100	50.00	23.00	13.50	1.50

टिप्पणी : राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रों तथा प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने तथा सोसाइटियों के पंजीकरण न होने आदि के कारण 1999-2000 के दौरान कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई।

विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित किया जाना

3551. श्री रामजी लाल सुमन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों व संकायों में अधिकारियों की अकादमिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में सुधार लाने के लिए विश्व के जाने-माने संस्थानों में उनके प्रशिक्षण हेतु उन्हें नामित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय से विदेशों में लघु और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष-वार कितने लोग विदेश भेजे गए;

(ग) ऐसे लोगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लोगों की संख्या कितनी थी और ऐसे लोगों की कुल संख्या में इनकी प्रतिशतता कितनी थी; और

(घ) उक्त प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में नामित नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय के उन अधिकारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित, जिन्होंने विदेश में दीर्घ/अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया, की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	अधिकारियों की कुल संख्या	उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित	प्रतिशतता
1998	3	–	–
1999	2	1	50%
2000	1	–	–

(घ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकन वरीयता, अर्हताओं और आयु सीमा तथा पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों/देशों द्वारा अपेक्षित संगत अनुभव के आधार पर किया जाता है। विदेश में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों का नामांकन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को यथोचित महत्व दिया जाता है जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। तथापि, विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामांकित अधिकारियों का अन्तिम चयन पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

3552. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न कोयला खान दुर्घटनाओं में खान-वार कितने खनिक घायल हुए, दब गये और मारे गये; और

(ख) मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की कितनी राशि प्रदान की गयी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कंपनी	वर्ष	घायल	दब गए या मारे गए		अन्य सांघातिकताएं	
			संख्या	आज की तिथि तक दिया गया मुआवजा	संख्या	आज की तिथि तक दिया गया मुआवजा
1	2	3	4	5	6	7
ईसीएल	1998	151	1	प्रक्रियाधीन	24	32.50
	1999	195	1	1.81	24	34.12
	2000	173	2	3.50	15	19.98
	2001 (जुलाई तक)	76*	—	—	11	1.50
बीसीसीएल	1998	88	2	3.74	24	35.72
	1999	69	1	1.81	27	37.73
	2000	63	1	1.66	17	24.61
	2001 (जुलाई तक)	21*	1	1.21	37	51.70
एसईसीएल	1998	43	1	0.87	11	17.50
	1999	62	2	3.80	19	31.12
	2000	100	—	—	15	21.53
	2001 (जुलाई तक)	46*	1	2.06	9	5.94

1	2	3	4	5	6	7
डब्ल्यूसीएल	1998	71	—	—	15	23.50
	1999	53	—	—	11	18.70
	2000	80	11	20.50	13	19.46
	2001 (जुलाई तक)	27*	8	13.45	4	2.25
सीसीएल	1998	36	—	—	11	18.70
	1999	30	—	—	7	12.12
	2000	28	—	—	15	17.00
	2001 (जुलाई तक)	17*	—	—	1	—
एमसीएल	1998	16	—	—	8	14.34
	1999	17	—	—	7	23.80
	2000	17	—	—	2	1.97
	2001 (जुलाई तक)	7*	—	—	3	1.85
एनसीएल	1998	26	—	—	5	9.15
	1999	19	—	—	3	5.22
	2000	9	—	—	7	12.33
	2001 (जुलाई तक)	9*	—	—	3	1.72
एनईसी	1998	1	—	—	2	3.38
	1999	2	—	—	1	1.50
	2000	1	—	—	1	1.13
	2001 (जुलाई तक)	1*	—	—	0	—
सीआईएल	1998	432	4	4.61	100	154.79
	1999	447	4	7.42	99	164.31
	2000	471	14	25.66	85	118.01
	2001 (जुलाई तक)	204*	10**	16.72	68	64.96

* घायलों के आंकड़े जून, 2001 तक के हैं।

** 3 पर्यवेक्षक तथा ठेकेदार के 3 श्रमिक भी शामिल हैं।

टिप्पणी : गंभीर रूप से घायल तथा अन्य सांघातिकताओं के लिए आंकड़े डी.जी.एम.एस. से मिलान के अध्याधीन। वर्ष 2001 में हुई अन्य सांघातिकताओं मे बीसीसीएल की बागडिगी खान में हुई 29 सांघातिकताएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए समिति

3553. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों ने संगठन के मुख्यालयों और केन्द्रीय विद्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए एक सामान्य संवर्ग बनाने के संबंध में सलाह देने हेतु हाल ही में एक अन्य समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है और उसके विचारणी विषय क्या हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए पहले गठित की गयी समितियों का व्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसी उद्देश्य के लिए अन्य सम्मिति गठित करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1993 में स्थापित समिति ने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों के गैर-अध्यापन पदों को एक साथ मिला देने की सिफारिश की थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरनाथ यात्रा

3554. **श्री ए० वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना० मोहोल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा की घटना के बाद स्थिति का अध्ययन करने के लिये जम्मू कश्मीर में किसी केन्द्रीय दल को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, हां। गृह मंत्रालयों में गृह राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामी ने गृह मंत्रालय में जम्मू और कश्मीर मामलों के विशेष सचिव के साथ राज्य में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने तथा जम्मू और कश्मीर के माननीय राज्यपाल और सुरक्षा बलों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए 22.7.2001 को श्रीनगर और शेषनाग का दौरा किया।

इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों को, पिछले अनुभव और आतंकवादियों के इरादों के संबंध में मिली जानकारियों को देखते हुए अनके उच्चस्तरीय बैठकों के पश्चात् तैयार किए गए प्रबन्धों के साथ सुदृढ़ किया गया। इस बार, यात्रा सुरक्षा हेतु तैयार की गई सुरक्षा बलों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा थी। क्षेत्र प्रभुत्व और यात्रा के मार्ग के साथ-साथ ऊंचे स्थानों पर तैनाती, सड़क खोलने वाली पार्टियां, मार्गरक्षी ड्यूटी, शिविर सुरक्षा, जांच चौकियों में पहुंच नियंत्रण और उन पर तैनाती, तोड़-फोड़ निरोधी जांच के संबंध में विभिन्न बलों और यूनिटों के कार्यात्मक और क्षेत्रीय अधिकार तथा कार्य राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिए गए थे। यात्रा हेतु सुरक्षा प्रबंधों के बेहतर समन्वय और योजना के लिए, राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर में एकीकृत मुख्यालय के कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को लेकर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्राइन बोर्ड और संबंधित उप पुलिस महानिरीक्षकों तथा ब्रिगेडियरों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करके एक शीर्ष निकाय बनाया गया था। यात्रा के निचले स्तरों पर भी सुरक्षा समन्वय ग्रुप गठित किए गए थे।

केन्द्रीय दल ने पाया कि सुरक्षा प्रबन्ध पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर थे। यह सिफारिश की गई कि आगामी वर्षों में प्रत्येक यात्री शिविर के सुरक्षित क्षेत्र के बाहर लंगरवालों/पौनीवालों को कोई तम्बु लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस वर्ष के लिए सुरक्षित क्षेत्र के बाहर लगे मौजूदा तम्बुओं को सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए। केन्द्रीय दल ने यह भी संस्तुति की कि साधुओं की जांच और पहचान की जाए। केन्द्रीय दल के दौरे के अतिरिक्त, इस वर्ष की यात्रा को जारी रखने हेतु राज्य सरकार ने नवीन सुरक्षा उपाय किए हैं और सुरक्षित जोन के बाहर स्थापित लंगरवालों/पौनीवालों के तम्बुओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए कदम भी उठाए हैं।

राष्ट्रीय पहचान पत्र

3555. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी संभाव्यता अध्ययन की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट में पहचान पत्र जारी करने हेतु जनसंख्या के एकीकृत डाटा बेस के सृजन की व्यवहार्यता के बारे में व्यापक रूप से जांच की गई है। इनमें, लोगों की धारणा और इस प्रणाली को अपनाने के प्रति उनकी इच्छा का पता लगाने; अन्य देशों में व्यक्तिगत पहचानों के राष्ट्रीय डाटा बेस के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटियों का अध्ययन; भारत के निर्वाचन आयोग की मतदाता फोटो पहचान पत्र योजना का अनुभव; डाटा बेस हेतु सूचना एकत्र करने के लिए जनगणना की प्रक्रिया के इस्तेमाल की व्यवहार्यता; इस डाटा को प्रोसेस करने और बायो-मैट्रिक्स को अधिकार में लेने के लिए संस्थागत पद्धति इत्यादि से संबंधित सभी पहलुओं को भी कवर किया गया है। इसमें सबसे निचले स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता की भी जांच की गई है ताकि व्यक्तिगत पहचानों के एकीकृत डाटा बेस का नियमित आधार पर अद्यतन करने को सुनिश्चित किया जा सके।

रिपोर्ट में नागरिकों के जीवनवृत्तों को एकत्र करने और राष्ट्रीय पहचान पत्रों के मुद्रण का कार्य करने हेतु एक विशेष प्रयोजन निकाय के रूप में क्रियान्वयन तंत्र का निगमीकरण करने की सिफारिश की गई है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा

3556. **श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रबंधित जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिये शारीरिक शिक्षा आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यालयों में आमतौर पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या व्याख्यान सत्रों के माध्यम से खेल और कूद के सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में बच्चों को शिक्षा देने हेतु कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यालयों में इन्डोर खेलों की सुविधाओं के साथ-साथ फुटबाल, वालीबाल, हॉकी, बास्केटबाल और दौड़ आदि के लिये आवश्यक मैदान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। खेल-कूद सामग्री प्राप्त करने के लिये समुचित प्रावधान किये गये हैं। प्रत्येक विद्यालय में दो प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक—एक पुरुष और एक महिला की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। प्रशिक्षण के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक नियमित सैद्धान्तिक कक्षाएं लेते हैं। विद्यालयों द्वारा बच्चों के प्रदर्शन का नियमित रूप से आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रावधान के अनुसार कक्षा 10 में, विद्यालय स्तर पर की गई आंतरिक ग्रेडिंग के बारे में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सूचना दी जाती है।

नवोदय विद्यालय समिति, बच्चों द्वारा स्कूल खेलों और फेडरेशन आफ इंडिया की दौड़ों में भाग लेने हेतु बच्चों के चयन के लिये क्लस्टर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों तथा दौड़ों का आयोजन भी करती है।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर होने वाला व्यय

3557. **श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय की जा रही धनराशि की मात्रा को ठीक-ठीक से निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि इसमें सुरक्षा स्टाफ, संचार, परिवहन, वाहनों और विशिष्ट व्यक्तियों और सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा डयूटियों में लगी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सबंध में समग्र देख-रेख इत्यादि पर होने वाला व्यय शामिल है।

(ख) और (ग) विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समय-समय

पर समीक्षा की जाती है और मौजूदा खतरे की संभावना के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

हुडको द्वारा उड़ीसा में आवासों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया धन

3558. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भुवनेश्वर में, विशेष कर मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिये आवासों का निर्माण किये जाने हेतु हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ख) महाचक्रवात और हाल की बाढ़ के पश्चात् हुडको द्वारा निर्मित आवासों की संख्या कितनी है;

(ग) उड़ीसा में इस प्रयोजन हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) हुडको, स्लम वासियों सहित कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु रिहायशी ब्याज दरों पर ऋण के रूप में केवल वित्तीय सहायता देता है और सीधे मकानों का निर्माण नहीं करता है। वर्ष 1999 में महा-चक्रवात (तूफान) के बाद हुडको ने 1,47,500 मकानों के निर्माण के लिए उड़ीसा, ग्रामीण आवास विकास निगम (ओ आर एच डी सी) को 516.25 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। इस ऋण सहायता में से 299.34 करोड़ रु० की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 97,500 मकानों के निर्माण के लिए कलेक्टरों के जरिये 306.25 करोड़ रु० की ऋण सहायता स्वीकृत की है। लाभार्थियो में स्लम वासी शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित ऋण सहायता के अतिरिक्त हुडको ने एक लाख मकानों के निर्माण के लिये हुडको निवास के अन्तर्गत राज्य सरकार कर्मचारियों को 500 करोड़ रु० की ऋण सहायता स्वीकृत की है। यह स्कीम व्यक्तिगत सीधे ऋण मुहैया कराने के लिए 1999 में शुरू की गई थी। पूरी ऋण राशि जारी कर दी गई है और 375 करोड़ रु० के लिए उपयोग प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गए हैं।

हुडको ने 40,000 यूनिटों के निर्माण के लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने हेतु सहायता के रूप में 200 करोड़ रु० का ऋण स्वीकृत किया है।

संक्षेप में, भीषण चक्रवात (तूफान) के बाद हुडको ने उड़ीसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3,75,000 मकानों के निर्माण के लिए 1522.50 करोड़ रु० की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है।

हाल की बाढ़ के बाद मकानों के पुनर्निर्माण के लिए अभी तक कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश में पेयजल संबंधी सब-मिशन परियोजनाएं

3559. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पेयजल सब-मिशन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए आंध्र प्रदेश को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इसके द्वारा राज्य के निवासियों को किस सीमा तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाने की सभावना है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) अब तक केन्द्र द्वारा राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए योजनाओं/परियोजनाओं को शुरू करती हैं। भारत सरकार उनके प्रयासों में मदद करती है तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता की समस्या का समाधान करने के लिए आबंटित निधियों के 20% का उपयोग किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फ्लोराइड संदूषण तथा खारापन से सहित स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना शामिल है। ऐसी परियोजनाओं को पी एम जी वाई के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत भी शुरू किया जा सकता है। 1.4.98 से पहले आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड संदूषण तथा खारेपन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को सवच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए उप मिशन के अंतर्गत सभी 56 परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत 571.00 करोड़ रु० है जिसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। 1.4.98 से ए आर डब्ल्यू एस पी तथा पी एम जी वाई के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं की योजना, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं।

(ख) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 4196 बसावटों को कवर करने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 56 परियोजनाओं में से 41 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है तथा इनके चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार का अंश 428.00 करोड़ रु० है जिसमें से अब तक 411.34 करोड़ रु० राज्य सरकार को रिलीज कर दिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया देय

3560. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की सेवाएं लेने से संबंधित राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कितनी धनराशि बकाया है और यह कब से बकाया है;

(ख) राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की जिस दर पर तैनाती की गई थी उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन बकायों की वसूली करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने कुछ राज्यों की राशि को माफ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य-वार कितनी राशि माफ की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षैत्रों पर 1171.61 करोड़ रुपए (लगभग) और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के लिए 645.84 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से एक वर्ष और एक वर्ष से कम अवधि से बकाया पड़ी राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) वर्तमान में, छूट न प्राप्त श्रेणी के राज्यों से केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए प्रति वर्ष प्रति बटालियन 9.43 करोड़ रुपए और त्वरित कार्रवाई बल (आर ए एफ) के लिए प्रति वर्ष प्रति बटालियन 11.57 करोड़ रुपए की दर से वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा इन बटालियनों के परिवहन/लाने-ले जाने पर हुआ वास्तविक व्यय भी वसूल किया जाता है। छूट प्राप्त श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैः-

1. जम्मू और कश्मीर
2. नागालैंड
3. सिक्किम
4. मिजोरम
5. मणिपुर
6. त्रिपुरा
7. मेघालय
8. हिमाचल प्रदेश
9. अरुणाचल प्रदेश

II. असम को तैनाती मूल्य का केवल 10 प्रतिशत भुगतान करना है।

III. बिना विधान मण्डल के संघ शासित क्षेत्र।

सवर्जजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के लिए वास्तविक खर्च वसूल किया जाता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षी स्थापना की लागत, कुल राशि पर 9.85% की दर से (छुट्टी वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान को छोड़कर) पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में वसूल की जाती है।

(ग) तैनाती लागत वसूल की जा रही है लेकिन विभिन्न राज्यों द्वारा वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए जाने के कारण ये पूरी तरह वसूल नहीं की जा सकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के बकायों के मामले में, बकाया वसूल किया जा रहा है। तथापि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है क्योंकि या तो वे रूग्ण हो गए हैं या बंद हो गए हैं या वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। तथापि, मामले को चूक करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ऐसे उपक्रमों से प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ भी समय-समय पर उठाया जाता है। यह मंत्रालय, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपनी-अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नियमित रूप से कहता रहता है। इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यों को जारी धनराशियों को उनकी बकाया राशियों के विरुद्ध समायोजित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

क्र. सं.	के. अर्द्धसैनिक बल का नाम	3 वर्ष से अधिक बकाया राशि	3 वर्ष से 1 वर्ष के बीच बकाया राशि	1 वर्ष से कम अवधि से बकाया राशि	1.7.2001 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया राशि
1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	4087069480	2836914683	1868710995	8792695158
2.	सीमा सुरक्षा बल	337877747	—	—	337877747
3.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	192774755	170465754	96297980	459538489
4.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	915051299	1080145803	130780809	2125977911
	कुल	5532773281	4087526240	2095789784	11716089305

[हिन्दी]

कॉलेजों में रैगिंग

3561. **श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 2001 के 'नवभात टाइम्स' में ''कोर्ट के आदेश ताक पर रखकर कॉलेजों में हुई रैगिंग'' शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय सहित राजधानी के विभिन्न कालेजों में नए विद्यार्थियों की अत्यधिक रैगिंग के मामले पाए गए और कालेज प्रशासन कालेज परिसर में रैगिंग की ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इन असफलताओं से संबंधित कारणों का पता लगाया गया है/लगाया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एन.एल.सी. खदानों का विस्तार

3562. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एन.एल.सी. खदानों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खदानों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा लिग्नाइट उत्खनन के संबंध में उनकी क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेयवेली में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए किसी देशी/विदेशी एजेन्सी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। नेयवेली, तमिलनाडु में एन.एल.सी. की निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

खान	क्षमता	पूर्ण उत्पादन का अनुमानित वर्ष
खान I विस्तार (6.5 एम टी पी ए से 10.5 एम टी पी ए)	4 एम टी पी ए	अप्रैल, 2003
खान I ए	3 एम टी पी ए	अप्रैल, 2003

एनएलसी ने खान II की क्षमता को 10.5 एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 15 एम.टी.पी.ए. करने की योजना बनाई है जिसके लिए उन्होंने व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परंतु परियोजना का प्रारंभ सरकारी अनुमोदन तथा अन्य सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, एनएलसी की पूर्व विचारित 12 एम.टी.पी.ए. क्षमता के स्थान पर 8 एम.टी.पी.ए. क्षमता वाली एक नई खान शुरू करने की योजना है। इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय शिक्षा कोष

3563. **श्री किरीट सोमैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना करने का है;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े कार्पोरेट घरानों पर शिक्षा उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) सरकार देश में शिक्षा के विकास हेतु बजट के अतिरिक्त संसाधनों के सृजन के लिए व्यक्तियों और अप्रवासी भारतीय समेत कारपोरेटों, भारतीय मूल के व्यक्तियों से दान/अंशदान/धर्मस्व प्राप्त करने हेतु ''भारत शिक्षा कोष'' की स्थापना करने का विचार रखती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गए पत्रों के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 12 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 526(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3953/2001]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

2. सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल (सामान्य ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 जो 30 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल चिकित्सा संवर्ग, समूह 'घ' पद (योधक) भर्ती नियम, 2001 जो 14 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 363(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3954/2001]

(व्यवधान)

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): मैं नेशनल बिल्डिंग्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3955/2001]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, ईटानगर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, ईटानगर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3956/2001]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3957/2001]

(5) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) भोपाल, के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) भोपाल, के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3958/2001]

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (7) और (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3959/2001]

(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (10) और (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3960/2001]

(13) एजूकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3961/2001]

(14) (एक) मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखारीक्षित लेखे।

(दो) मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3962/2001]

(16) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3963/2001]

(18) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3964/2001]

(20) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3965/2001]

(22) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणासी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणासी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3966/2001]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री सैयद शाहनवाज हुसैन की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3967/2001]

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1)के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार—(सिविल) (2001 की संख्या 4)—स्वायत्त निकाय।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3968/2001]

(दो) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार—(रेल)—(2001 की संख्या 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3969/2001]

(तीन) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2001 की संख्या 12)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3970/2001]

(चार) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2001 की संख्या 12क) मूल्यांकन प्रणाली ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3971/2001]

(2) वर्ष 1999-2000 के 'विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग-I—एक समीक्षा' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3972/2001]

(3) वर्ष 1999-2000 के 'विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग-II—विस्तृत विनियोग लेखे' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3973/2001]

(4) वर्ष 1999-2000 के 'विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग-II—विस्तृत विनियोग लेखे (अनुलग्नक-छ)' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3974/2001]

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 8 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 8 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3975/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री रमाकांत आंग्ले (मारमागाओ) : महोदय, मैं, गोवा के गोवादा, कुन्बी, वेलिप और धांगर समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के बारे में गोवा के श्री एण्टोनियो गांवकर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3976/2001]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक*

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था कोपित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोपित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन।

(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 14.8.2001 में प्रकाशित।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव का दो बातों के आधार पर विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस सभा की विधायी क्षमता से बाहर है। दूसरी बात यह कि इस विधेयक को इस सभा ने 18 दिसम्बर, 2000 को पहले ही पारित कर दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.04 बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब सभा ने विधेयक पर निर्णय ले लिया है तो कार्यपालिका को अनुच्छेद 123 के अधीन अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)* इस विधेयक पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और सभा इस मामले से पूरी तरह अवगत है। ऐसे मामलों में आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने बी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य, 1987 (ए.आई.आर. 579) में यह कहते हुए अपना निर्णय दिया कि न्यायालय इस पुर्नप्रख्यापित अध्यादेश को संविधान के साथ धोखा मानते हुए खारिज कर देगा ...*(व्यवधान)*

इन परिस्थितियों में मंत्री के पास कोई अधिकार या शक्ति नहीं है कि वह उस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव करे जो निष्प्रभावी है...*(व्यवधान)*... इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.05 बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगमोहन : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

अपराह्न 12.06 बजे

भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: महोदय, श्री जसवन्त सिंह की ओर से मैं भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3977/2001]

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

***कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.06¼ बजे

(दो) लोकपाल विधेयक*

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध काने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के.पी. सिंह देव

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे: मैं विधेयक पुर: स्थापित** करती हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले#

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 14.8.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

#सभा-पटल पर रखे माने गए।

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश में गौंडा-गोरखपुर लूप लाइन का आमान परिवर्तन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): हमारे संसदीय जनपद सिद्धार्थ नगर छोटी लाइन हाने के कारण इस क्षेत्र का संबंध अनेक क्षेत्र कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली से कट गया है। यहां तक कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी तक जाने के लिए गाड़ी गोंडा से बदलनी पड़ती है। इस जनपद का विकास रुका हुआ है। गोरखनुर गोंडा आमान परिवर्तन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और हर वर्ष बताया जाता है कि इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन का आमान परिवर्तन वर्ष 1997-98 के रेल बजट में ले लिया गया था, जिसकी कुल लागत 250 करोड़ है। योजना की योजना आयोग से स्वीकृति करा ली गयी। विस्तारित बोर्ड द्वारा कुछ ब्यौरे मांगे गए थे, जिन्हें दिया गया। इस परियोजना पर विस्तारित बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जाएगा, जिसके पश्चात् स्वीकृति के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात् लगभग एक साल व्यतीत हो गया, परंतु आज तक कार्य नहीं हुआ। इस लाइन के बनने से सुनोली और बढनी से जो बसें यात्रियों को लेकर आती हैं, वहां की जनता को भी काफी राहत मिलेगी ।

अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि गोंडा गोरखपुर लूप लाइन का आमान परिवंतन शीघ्र कराया जाए।

(दो) भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन को मध्यप्रदेश में कटनी, दमोह, सागर और बीना तथा गुजरात में राजकोट से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मेरी संसदीय क्षेत्र सागर एवं समीपस्थ संसदीय क्षेत्र दमोह, कटनी, बीना रेल मार्ग पर पड़ते हैं। कटनी-बीना मार्ग को रेल विभाग द्वारा गड्स ट्रेक घोषित करने के कारण जब भी कोई नई ट्रेन रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित की जाती है, उसको इस मार्ग से चलाने के स्थान पर कटनी-जबलपुर-इटारसी मार्ग से चलाया जाता है। भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस का कटनी-दमोह-सागर-बीना-भोपाल-राजकोट इस मार्ग से चलाये जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन इटारसी मार्ग से जबलपुर तक बढ़ाया गया है। कटनी, बीना मार्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। कटनी, सागर, दमोह में बड़ी संख्या में गुजराती बंधु रहते हैं। इन क्षेत्रों की जनता का व्यापारिक कार्यो से बड़ी संख्या में गुजरात आना जाना होता है। गुजरात जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। ये ट्रेन तीन दिन तक भोपाल में ही खड़ी रहती है। तीन दिन भोपाल में गाड़ी को खड़ा करने के स्थान पर इसको कटनी तक बढ़ाकर कटनी-दमोह-सागर-बीना-भोपाल के रास्ते से चलाकर यात्रियों को सुविधा व रेलवे राजस्व प्राप्त कर सकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सप्ताह के बाकी तीन दिन भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस को कटनी, बीना, भोपाल राजकोट इस मार्ग से चलाये जाने का सहयोग करें।

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गरीबों के लाभ के लिए केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): केन्द्र सरकार द्वारा देश भरके किसानों के हित में कई योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं, जिनमें फसल, बीमा योजना, किसानों की उपज का समर्थन मूल्य, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये सस्ती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु विभिन्न योजनाएं तथा एतदर्थ भारी राशि केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रदेशों को जिनमें मध्य प्रदेश व राजस्थान प्रमुख है, दी गयी है, किंतु इन प्रदेशों में न तो फसल बीमा का लाभ ही किसनों को मिल पाया है न समर्थन मूल्य का लाभ ही किसान प्राप्त कर पाते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए आरंभ की गयी योजनाओं की भी यही स्थिति है और व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इन योजनाओं के लिए भविष्य में ऐसी मानिटरिंग व्यवस्था हो कि समय पर योजनाओं के लिए दी गयी राशि किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे व उसमें किसान व ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके।

(चार) गुजरात के मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांकरपारा परमाणु विद्युत परियोजना की दस किलोमीटर की परिधि में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): मेरे संसदीय क्षेत्र मांडवी में जब कांकरपारा अणु विद्युत परियोजना को आरंभ किया गया था, उस समय यह समझौता किया गया था कि इस परियोजना के दस किलोमीटर के दायरे में आदिवासी लोगों को पेयजल, शिक्षा एवं सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य किये जायेंगे एवं यहां के लोगों की जमीन को अधिगृहीत भी किया गया था। यह शत प्रतिशत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जहां-जहां पर आदिवासी क्षेत्रों में कई परियोजनायें चली हैं और नियमों के अनुसार जो विकास कार्य किया जाना था वे नहीं किये गये हैं। आदिवासी लोग शान्त किस्म की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिसके कारण सरकार के अधिकारी लोग इन नियमों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांकरपारा अणु विद्युत परियोजना के अंतर्गत विकास कार्य 10 किलोमीटर के दायरे में किये जायें।

(पांच) राजस्थान के जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): मैं राजस्थान प्रदेश के जोधपुर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसे पुराने समय में मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। मारवाड़ के खासकर जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर के लाखों लोग दक्षिण भारत एवं मुम्बई में रहते हैं। इन लोगों को मारवाड़ आने-जाने में रेल यातायात की वजह से काफी परेशानी होती है इसलिए बंगलौर ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलाई जाए, नव जीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद से जोधपुर तक और सूर्य नगरी को अहमदाबाद से मुम्बई तक बढ़ाया जाये। ये सभी ट्रेनें व्यवसायिक होगी एवं लाखों लोगों को आने-जाने की सुविधा भी हो जायेगी। मारवाड़ का दक्षिण भारत से सीधा संबंध होने से देशी एवं विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा हो जायेगी, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।

[अनुवाद]

(छह) मुम्बई में बांद्रा से नरीमन प्वाइंट तक "वेस्टर्न फ्रीवे सी-लिंक" के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): पिछले दो दशकों से विद्यमान नरीमन प्वाइन्ट से बांद्रा तक फैला पश्चिमी गलियारा (वेस्टर्न कॉरिडोर) भीड़-भाड़ अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है जिसके परिणामस्वरूप यातायात की औसत गति कम हो जाती है और अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। इस समय मुम्बई उपनगर को द्वीप नगरी से जोड़ने वाला केवल एक ही रास्ता महिम पुलिया है। इस स्थान की क्षमता में वृद्धि होने के कारण पश्चिमी गलियारे में जिस पर प्रतिदिन लगभग 1,20,000 वाहन आते-जाते हैं, यातायात की समस्या लगातार गम्भीर बनी रहती है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने 1960 में बांद्रा से नरीमन प्वाइन्ट तक वेस्टर्न फ्रीवे परियोजना बनाई। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी संभाव्यता रिपोर्ट (फिजीबेलिटी) शीघ्र मंजूरी के लिए मार्च 2001 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को दी थी। एम एस आर डी सी द्वारा 10 मार्च, 2001 को विहित फार्म पर संवर्धित अनुप्रयोग और प्रश्नावली पर्यावरण और वन मंत्रालय को दी गयी थी।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी दी जाए ताकि प्राथमिकता के आधार पर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चत किया जा सके।

(सात) "क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम" के अन्तर्गत जिगनी और बोम्मासान्द्रा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच सम्पर्क सड़क को चौड़ा करने और इसके लिए धन उपलब्ध कराने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): भारत सरकार की महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा संतुलन योजना के तहत, कर्नाटक में दिनांक 22.9.2000 के संदर्भ सं० सी.आई. 85 एस.पी.आई. 99 के अंतर्गत एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव जिगानी औद्योगिक क्षेत्र से बोम्मासान्द्रां औद्योगिक क्षेत्र तक के लिंक रोड को चौड़ा करने और उसकी मरम्मत के लिए था यह आगे जाकर बंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जुड़ता है। इस परियोजना की लागत दस करोड़ रुपये है और इस सड़क मार्ग की लम्बाई 9.25 किलोमीटर है। इसमें केन्द्र का हिस्सा 5 करोड़ रुपए है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में लंबित है। भारत सरकार का 50% अंश अर्थात् 5 करोड़ रुपये मंत्रालय द्वारा अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

अतः, मैं सरकार से यह धनराशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(आठ) पश्चिम बंगाल में उत्तर दीनाजपुर और माल्दा जिलों के राजस्व विकासखंडों की बाढ़ से सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): इत्ताहार, उत्तर दिनाजपुर के रायगंज राजस्व खंड और मालदा जिले के रतुआ खरबा और हरिश्चन्द्रपुर ब्लॉक पिछले कुछ वर्षों से विनाशकारी बाढ़ की तबाही से अभिशप्त हैं जिससे इन क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था—आधारभूत ढांचा तहस-नहस हो गया है और सड़क संपर्क छिन्नभिन्न हो गया है। महानन्दा, नागर, सुई, कुलिक, श्रीमति फुलोहर और आंशिक रूप से गंगा नदी विनाश ढा रही है। चूंकि अधिकांश नदियों के तले में गाद की मात्रा अधिक है इसलिए उनमें मानसून की भारी बारिश का पानी नहीं समा पाता। बंगाल के इन राजस्व खंडों को बाढ़ की भीषणता से बचाने के लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई व्यापक योजना नहीं अपनाई है। प्रत्येक तत्काल राजस्व-खंड में कम से कम 20 बाढ़ आश्रय गृह और बाढ़ प्रबन्धन बृहत योजना बनाई जानी चाहिए अन्यथा उत्तर मालदा उपखंड तथा नव- निर्मित जिला उत्तर दिनाजपुर का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इत्ताहार दूसरे किनारे को भी महानंदा मास्टर प्लान के अंतर्गत किया जाना आवश्यक हैं।

मैं योजना आयोग और जल संसाधन मंत्रालय से मांग करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि वे बिना कोई विलंब किए तत्काल उपर्युक्त राजस्व खंडों के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करें।

(नौ) पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): केरल में नारियल उत्पादों की कीमतों में गिरावट राज्य में संकट उत्पन्न कर रही है। नारियल के तेल की कीमतें बहुत अधिक गिर गई हैं। गरी के मूल्य में भी गिरावट आई है। नेफेड और अन्य एजेंसियां गरी खरीदनें में हिचकिचा रही हैं। अत:, मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि पॉम आयल के आयात पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाये और खरीद एजेंसियों को बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए निर्देश दें।

(दस) मुर्गी-पालन उद्योग में ''पैरेन्ट लेवल ब्रीडिंग स्टांक'' के आयात की अनुमति देने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चाडा सुरेश रेड्डी (हनमकोण्डा): आंध्र प्रदेश में अण्डों और ब्रायलरो का उत्पादन बहुत व्यापक पैमाने पर होता है और हजारों किसान तथा अन्य कर्मचारी मुर्गी-पालन उद्योग पर निर्भर हैं। मुर्गी-पालन उद्योग को केवल 9% राजसहायता मिलती है। यह विकसित देशों में दी जा रही राजसहायता से भी काफी कम है। ऐसी स्थिति मे, घरेलू मुर्गी-पालन उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने मुर्गी-पालन उद्योग में 'पेरेंट लेवल ब्रीडिंग स्टॉक' के आयात की अनुमति देने संबंधी निर्णय लिया है। परन्तु मुर्गी-पालकों को आशंका है कि इन आयातित पक्षियों के साथ बीमारियां भी आयेंगी जिनकी जानकारी भारतीय मुर्गी-पालन उद्योग को नहीं है। इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह दुष्प्रभावी परिणामों से बचने के लिए 'पेरेन्ट लेवल ब्रीडिंग स्टॉक' आयात करने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए मुर्गी-पालन उद्योग को और अधिक राजसहायता प्रदान करे।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के ''तराई क्षेत्र'' को विशेष निर्यात जोन घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने भारतीय किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। अब यह आवश्यक हो गया है कि विशेष निर्यात प्रसंस्करण प्रक्षेत्र बनाकर निर्यातोन्मुखी कृषि पर विशेष बल प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां फल, फूल, सब्जियां, जड़ी-बुटियों तथा मसालों की खेती परम्परागत रूप से की जा रही है, परन्तु निर्यात को प्रभावित कर रहा है।

सदन के माध्यम मे सरकार से अनुरोध है कि उ०प्र० के तराई क्षेत्र विशेषकर जनपद खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच, हरदोई तथा लखनऊ इत्यादि को विशेष निर्यात क्षेत्र घोषित करे, जिससे समय रहते बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके तथा इस दिशा में व्यवस्थित रोजगार सृजन किया जा सके।

(बारह) प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): प्याज के ऊपर लगाई पाबंदी हटनी चाहिए, इसलिए संसद में हमेशा इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक पाबंदी हटाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। प्याज यह परेशियस गुड्स है और इसलिए प्याज को किसान ज्यादा दिन अपने यहां रख नहीं सकता। पाबंदी होने से किसानों को प्याज का अच्छा दाम भी नहीं मिलता और पाबंदी से किसानों को और देश को काफी नुकसान हो जाता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्याज के ऊपर लगी पाबंदी तुरन्त हटायी जाये, जिससे किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तोआ और बीनापारा में कुंअर नदी पर पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० बलिराम (लालगंज): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में तोआ, लाहडीह, सरायमीर तथा बीनापारा की ओर दिलाना चाहता हूं। तोआ व बीनापारा से होकर कुंअर नदी बहती है, बीनापारा में तो सैंकड़ो वर्षों पुराना लकड़ी का जर्जर हालत में पुल है लेकिन तोआ में वह भी नहीं है, जिसके कारण स्थानीय जनता को हमेशा आवागमन में परेशानी रहती है तथा बरसात में तो लोगों का आवागमन ही बंद हो जाता है, जिसके कारण लगभग पचास गांवों के लोगों के जीवन पर असर पड़ता ही है साथ में तोआ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। इस क्षेत्र के विकास व आवागमन के सुगम साधन के लिए तोआ व बीनापारा में पुल बनाना आवश्यक है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद विधान सभा क्षेत्र में स्थित तोआ व बीनापारा में कुंअर नदी पर तत्काल पुल का निर्माण कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध करावें।

[अनुवाद]

(चौदह) तमिलनाडु में तिरुवनमलाई जिले में मेलचेंगम स्थित सेंट्रल स्टेट फार्म का कार्य जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर): वर्ष 1971 में भारत सरकार के उपक्रम, स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, तमिलनाडु, पड़ोसी राज्यों और अन्य जरूरतमंद राज्यों के किसानों को गुणवत्तापरक बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करने के उद्देश्य से, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तिरूवन्नामलाई जिले में मेलछेराम में केन्द्रीय राज्य फार्म की स्थापना की थी। जब इन बीजों का उत्पादन अलाभकारी हो गए तो इस फार्म ने बागवानी पादम सामग्री जैसे आम, चीकू, अनार अमरूद, नीबू के पौधे तथा सामाजिक वानिकी के लिए छोटे पौधों की पैदावार बढ़ाने और उनकी आपूर्ति करने पर ध्यान केन्द्रित किया।

तमिलनाडु सरकार के वन विभाग के साथ इस फार्म में 3904 हेक्टेयर भूमि का पट्टा संविदा इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया और यह केन्द्रीय उद्यम वहां अपनी इस कृषि गतिविधि को बन्द कर रहा है।

अत: मेरा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस फार्म को लाभार्जित करने वाला उद्यम न समझकर हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के सामाजिक दायित्व के रूप में ले और इसे पुन: चलाये। इससे बागवानी गतिविधियां और फलोद्यान बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और कृषि विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

(पन्द्रह) तमिलनाडु के डिन्डीगुल जिले में डिन्डीगुल और मदातुकुलम के बीच रेल फाटकों पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० कुमारासामी (पलानी) : मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 209 डिडीगुल बाईपास सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सड़क डिंडीगुल से कोयम्बटूर और सत्यमंगलम से होते हुए बंगलौर तक जाती है। डिंडीगुल से मदायुकुलम तक यह सड़क डिंडीगुल जिले में है। यह सड़क 76.2 किलोमीटर है। इस सड़क पर 5 लेवल क्रासिंग पड़ते हैं। ये लेवल क्रासिंग अठीकोम्बई, कुजन्थई वेल्लाप्पारकोइल, (ओडानशथीराम) छतीरापट्टी, आयाकुडी और थाजाइयुथु में है। चूंकि यह व्यस्त राजमार्ग है, अत: इस पर हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इस सड़क पर डिंडीगुल और कोयम्बटूर बड़े व्यवसायिक केन्द्र हैं, पास में ही पलानी प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र है।

इन लेवल क्रासिंग्स की वजह से यह राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर बंद रहता है। सुचारू यातायात के लिए इन लेवल क्रासिंग्स पर ऊपरिपुल का निर्माण आवश्यक है। अत:, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल धनराशि मंजूर करके शीघ्र ही इन पर ऊपरिपुलों का निर्माण करे।

अपराह्न 12.07 बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कल आपने कमीज उतार दी थी। आज आप इश्तिहार दिखा रहे हैं। यह क्या है? आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आपको सभा में कुछ तो अनुशासन रखना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गुरूवार, 16 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 16 अगस्त, 2001/ 25 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/18/17/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुदित।